विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र – 1 (प्रति विद्यालय)

विद्यालय का नाम .... विद्यालय का कोड ....

क्र.स.	सत्र	ब्लॉक	जिला	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	नियमानुसार व्यय हां/नहीं	शेष/अवशेष राशि	शेष रहने का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2015–16								
योग									

हस्ताक्षर संक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र – 2 (विद्यालय स्तर पर रिकार्ड संधारण)

सत्र 2015–16

क्र.स.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम/पता/मोबाईल नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर संक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र – 3 (विद्यालयों का समेकित)

सत्र 2015–16

क्र.स.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम/पता/ मोबाईल नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर संक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र – 4 (जिला स्तरीय समेकित)

जिला का नाम ....

क्र.स.	सत्र	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों में जारी राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	नियमानुसार व्यय हां/नहीं	अनियमितता के सन्दर्भ में की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2015–16						
योग							

हस्ताक्षर संक्षम अधिकारी मय सील

विद्यवालद्मवि य वष्य..

क्रमांक :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक :

विद्यालय षवकर्आन्मु

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2015–16 हेतु वार्षिक अनुदान मद में ....(विद्यालय का नाम) को प्राप्त राशि .... में से .... राशि नियमानुसार व्यय की गई है , उक्त में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

प्रमाणितकर्ता संस्था प्रधान
मय मोहर

....

क्रमांक :   दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2015–16 में ....(विद्यालय का नाम) को प्राप्त स्वच्छता अनुदान राशि रू0 .... दिनांक .... का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया था। शेष राशि (यदि कोई हो) .... इस मद में अधिशेष है। विद्यालय के समस्त शौचालय एवं पेयजल सुविधा स्वच्छ व कार्यशील है। विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता सुविधाओं का नियमित उपयोग किया जाता है एवं साबुन से हाथ धोये जात है।

प्रमाणितकर्ता संस्था प्रधान
मय मोहर

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र – 1 (प्रति विद्यालय)

विद्यालय का नाम .... विद्यालय का कोड ....

क्र.स.	सत्र	ब्लॉक	जिला	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	नियमानुसार व्यय हां/नहीं	शेष/अवशेष राशि	शेष रहने का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2015–16								
योग									

हस्ताक्षर संक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र – 2 (विद्यालय स्तर पर रिकार्ड संधारण)

सत्र 2015–16

क.स.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम/पता/मोबाईल नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर संक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र – 3 (विद्यालयों का समेकित)

सत्र 2015–16

क्र.स.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम/पता/ मोबाईल नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर संक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र – 4 (जिला स्तरीय समेकित)

जिला का नाम ....

क्र.स.	सत्र	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों में जारी राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	नियमानुसार व्यय हां/नहीं	अनियमितता के सन्दर्भ में की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2015–16						
योग							

हस्ताक्षर संक्षम अधिकारी मय सील

विद्यवालय्बवि य वष्य...

क्रमांक :   दिनांक :

<u>विद्यालय ष वकर्आन्ाु</u>

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2015—16 हेतु वार्षिक अनुदान मद में ....(विद्यालय का नाम) को प्राप्त राशि .... में से .... राशि नियमानुसार व्यय की गई है , उक्त में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

प्रमाणितकर्ता संस्था प्रधान
मय मोहर

....

क्रमांक :   दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2015–16 में ....(विद्यालय का नाम) को प्राप्त स्वच्छता अनुदान राशि रू0 .... दिनांक .... का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया था। शेष राशि (यदि कोई हो) .... इस मद में अधिशेष है। विद्यालय के समस्त शौचालय एवं पेयजल सुविधा स्वच्छ व कार्यशील है। विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता सुविधाओं का नियमित उपयोग किया जाता है एवं साबुन से हाथ धोये जात है।

प्रमाणितकर्ता संस्था प्रधान
मय मोहर

गतिविधि किट उपयोगिता प्रमाण – पत्र

विद्यालय का नाम ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय माध्यमिक विद्यालय ....के नाम गतिविधि किट (20 रूपये प्रति छात्र) कक्षा 1 से 5 हेतु ....रूपये दिनांक ....का उपयोग उन्हीं उद्धेश्यों के लिये किया गया है जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था । शेष राशि यदि कोई हो ....रूपये इस मद में अधिशेष है ।

हस्ताक्षर

संस्था प्रधान (मय मोहर)

कार्यालय प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक राउमावि/रामावि /राबाउमावि/विद्यालय...

(जिला परियोजना कार्यालय रमसा प्रतापगढ़ द्वारा प्राप्त राशि का)

सत्र–2015–16

कमांक....................   दिनांक ....

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

विद्यालय स्वच्छता अनुदान

यू–डाईस कोड...............................संस्थाप्रधान का नाम ....मो.नं.................................

विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति का नाम...ब्लॉक............................

विद्यालय स्वच्छता अनुदान से प्राप्त राशि 5000/–दिनांक............................

सामग्री कय एवं उपयोगिता विवरण

बैंक का नाम ....शाखा का नाम ....

बैंक खाता संख्या...IFSC Code..

क. सं.	माह	बिल संख्या	दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि	रोकड़ पुस्तिका संख्या	उपयोग का विवरण हो तो
1	जूलाई–16						
2	अगस्त–16						
3	सितम्बर–16						
4	अक्टुबर–16						
5	नवम्बर–16						
6	दिसम्बर–16						
7	जनवरी–16						
8	फरवरी–16						
9	मार्च–16						
	योग						

प्रमाणित किया जाता हैं कि विद्यालय को सत्र 2015–16 में विद्यालय प्रबन्धन समिति (नाम)..को सत्र में दिनांक ....को प्राप्त विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि रू...का उपयोग उन्ही उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था। अवशेष राशि ....इस मद में अधिशेष हैं। विद्यालय के समस्त शौचालय एवं पेयजल सुविधा स्वच्छ व कार्यशील है एवं साबून से हाथ धोये जाते है। उक्त राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) व (BF&AR) के अनुसार किया गया है।

हस्ताक्षर

सचिव एसडीएमसी/एसएमसी

राउमावि/रामावि/बालिका....................................

हस्ताक्षर

अध्यक्ष एसडीएमसी/एसएमसी

राउमावि/रामावि/बालिका..............................

कार्यालय राजकीय ....तहसील ...., जिला प्रतापगढ (राज.)

रेमेडियल टीचिंग राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र

यू–डाईस कोड – संस्था प्रधान का नाम – मोबाईल नम्बर –

विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति का नाम –

विषय –1 शिक्षक का नाम – पदस्थापन स्थान – मोबाईल नम्बर

विषय –2 शिक्षक का नाम – पदस्थापन स्थान – मोबाईल नम्बर

प्राप्त विवरण – **प्रारम्भिक शेष** शून्य **वर्ष 2015–16 में प्राप्त राशि** **कुल राशि** **व्यय राशि सत्र 2015–16**

क्र.सं.	विषय	विशेष कक्षा हेतु चयनित छात्र/छात्रा	लाभान्वित छात्र/छात्रा	शिक्षक को दिया गया मानदेय (225 रू. प्रति छात्र/छात्रा)	रोकड पुस्तिका पृष्ठ संख्या	स्टेशनरी व्यय (25रू. प्रति छात्र/छात्रा)							
						बिल नं.	दिनांक	फर्म का नाम	सामग्री का विवरण	राशि	अस्थायी स्टॉक पं. इन्द्राज पृष्ठ क्रमांक	रोकड पुस्तिका संख्या	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
कुल योग													

प्रमाणित किया जाता है कि प्राप्त राशि .... अक्षरे..का उपरोक्तानुसार उपयोग कर लिया गया है। अवशेष राशि शून्य है। उक्त राशि का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) व (BF&AR) के अनुसार व्यय किया गया है।

1– शिक्षक का नाम मय हस्ताक्षर

2– शिक्षक का नाम मय हस्ताक्षर

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय सील

कार्यालय प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक राउमावि/रामावि /राबाउमावि/विद्यालय.......................................

(जिला परियोजना कार्यालय रमसा प्रतापगढ़ द्वारा प्राप्त राशि का)

सत्र–2015–16

क्रमांक.................... दिनांक ....

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

विद्यालय स्वच्छता अनुदान

यू–डाईस कोड..............................संस्थाप्रधान का नाम ....मो.नं...............................

विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति का नाम...ब्लॉक..........................

विद्यालय स्वच्छता अनुदान से प्राप्त राशि 5000/–दिनांक..........................

सामग्री क्रय एवं उपयोगिता विवरण

बैंक का नाम ....शाखा का नाम ....

बैंक खाता संख्या...**IFSC Code**..

क्र. सं.	माह	बिल संख्या	दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि	रोकड़ पुस्तिका संख्या	उपयोग का विवरण हो तो
1	जुलाई–16						
2	अगस्त–16						
3	सितम्बर–16						
4	अक्टुबर–16						
5	नवम्बर–16						
6	दिसम्बर–16						
7	जनवरी–16						
8	फरवरी–16						
9	मार्च–16						
	योग						

प्रमाणित किया जाता हैं कि विद्यालय को सत्र 2015–16 में विद्यालय प्रबन्धन समिति (नाम)...को सत्र में दिनांक ....को प्राप्त विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि रू.....................................का उपयोग उन्ही उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था। अवशेष राशि ....इस मद में अधिशेष हैं। विद्यालय के समस्त शौचालय एवं पेयजल सुविधा स्वच्छ व कार्यशील है एवं साबून से हाथ धोये जाते है। उक्त राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (**GF&AR**) व (**BF&AR**) के अनुसार किया गया है।

हस्ताक्षर

सचिव एसडीएमसी/एसएमसी

राउमावि/रामावि/बालिका...................................

हस्ताक्षर

अध्यक्ष एसडीएमसी/एसएमसी

राउमावि/रामावि/बालिका...........................

कार्यालय राजकीय ....तहसील ...., जिला प्रतापगढ (राज.)

रेमेडियल टीचिंग राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र

यू–डाईस कोड – संस्था प्रधान का नाम – मोबाईल नम्बर –

विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति का नाम –

विषय –1 शिक्षक का नाम – पदस्थापन स्थान – मोबाईल नम्बर

विषय –2 शिक्षक का नाम – पदस्थापन स्थान – मोबाईल नम्बर

प्राप्त विवरण – **प्रारम्भिक शेष** शून्य **वर्ष 2015–16 में प्राप्त राशि** **कुल राशि** **व्यय राशि सत्र 2015–16**

क्र.सं.	विषय	विशेष कक्षा हेतु चयनित छात्र/छात्रा	लाभान्वित छात्र/छात्रा	शिक्षक को दिया गया मानदेय (225 रू. प्रति छात्र/छात्रा)	रोकड पुस्तिका पृष्ठ संख्या	स्टेशनरी व्यय (25रू. प्रति छात्र/छात्रा)							
						बिल नं.	दिनांक	फर्म का नाम	सामग्री का विवरण	राशि	अस्थायी स्टॉक पं. इन्द्राज पृष्ठ क्रमांक	रोकड पुस्तिका संख्या	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
कुल योग													

प्रमाणित किया जाता है कि प्राप्त राशि .... अक्षरे...का उपरोक्तानुसार उपयोग कर लिया गया है। अवशेष राशि शून्य है। उक्त राशि का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) व (BF&AR) के अनुसार व्यय किया गया है।

1– शिक्षक का नाम मय हस्ताक्षर

2– शिक्षक का नाम मय हस्ताक्षर

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय सील

कार्यालय प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक राउमावि/रामावि /राबाउमावि/विद्यालय..

(जिला परियोजना कार्यालय रमसा प्रतापगढ़ द्वारा प्राप्त राशि का)

सत्र–2015–16

कमांक....................

दिनांक ....

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

विद्यालय स्वच्छता अनुदान

यू–डाईस कोड.................................संस्थाप्रधान का नाम ....मो.नं................................

विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति का नाम...ब्लॉक..............................

विद्यालय स्वच्छता अनुदान से प्राप्त राशि 5000/–दिनांक............................

सामग्री कय एवं उपयोगिता विवरण

बैंक का नाम ....शाखा का नाम ....

बैंक खाता संख्या..**IFSC Code**..

क. सं.	माह	बिल संख्या	दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि	रोकड़ पुस्तिका संख्या	उपयोग का विवरण हो तो
1	जूलाई–16						
2	अगस्त–16						
3	सितम्बर–16						
4	अक्टुबर–16						
5	नवम्बर–16						
6	दिसम्बर–16						
7	जनवरी–16						
8	फरवरी–16						
9	मार्च–16						
	योग						

प्रमाणित किया जाता हैं कि विद्यालय को सत्र 2015–16 में विद्यालय प्रबन्धन समिति (नाम)...को सत्र में दिनांक ....को प्राप्त विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि रू...का उपयोग उन्ही उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था। अवशेष राशि ....इस मद में अधिशेष हैं। विद्यालय के समस्त शौचालय एवं पेयजल सुविधा स्वच्छ व कार्यशील है एवं साबून से हाथ धोये जाते है। उक्त राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (**GF&AR**) व (**BF&AR**) के अनुसार किया गया है।

हस्ताक्षर

सचिव एसडीएमसी/एसएमसी

राउमावि/रामावि/बालिका....................................

हस्ताक्षर

अध्यक्ष एसडीएमसी/एसएमसी

राउमावि/रामावि/बालिका...............................

कार्यालय राजकीय ....तहसील ...., जिला प्रतापगढ (राज.)

रेमेडियल टीचिंग राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र

यू–डाईस कोड – संस्था प्रधान का नाम – मोबाईल नम्बर –

विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति का नाम –

विषय –1 शिक्षक का नाम – पदस्थापन स्थान – मोबाईल नम्बर

विषय –2 शिक्षक का नाम – पदस्थापन स्थान – मोबाईल नम्बर

प्राप्त विवरण – **प्रारम्भिक शेष** शून्य **वर्ष 2015–16 में प्राप्त राशि** **कुल राशि** **व्यय राशि सत्र 2015–16**

क्र.सं.	विषय	विशेष कक्षा हेतु चयनित छात्र/छात्रा	लाभान्वित छात्र/छात्रा	शिक्षक को दिया गया मानदेय (225 रू. प्रति छात्र/छात्रा)	रोकड पुस्तिका पृष्ठ संख्या	स्टेशनरी व्यय (25रू. प्रति छात्र/छात्रा)							
						बिल नं.	दिनांक	फर्म का नाम	सामग्री का विवरण	राशि	अस्थायी स्टॉक पं. इन्द्राज पृष्ठ क्रमांक	रोकड पुस्तिका संख्या	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
कुल योग													

प्रमाणित किया जाता है कि प्राप्त राशि .... अक्षरे..का उपरोक्तानुसार उपयोग कर लिया गया है। अवशेष राशि शून्य है। उक्त राशि का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) व (BF&AR) के अनुसार व्यय किया गया है।

1– शिक्षक का नाम मय हस्ताक्षर

2– शिक्षक का नाम मय हस्ताक्षर

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय सील

कार्यालय प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक राउमावि/रामावि /राबाउमावि/विद्यालय.......................................

(जिला परियोजना कार्यालय रमसा प्रतापगढ़ द्वारा प्राप्त राशि का)

सत्र–2015–16

कमांक.................... दिनांक ....

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

विद्यालय स्वच्छता अनुदान

यू–डाईस कोड..............................संस्थाप्रधान का नाम ....मो.नं..............................

विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति का नाम..ब्लॉक............................

विद्यालय स्वच्छता अनुदान से प्राप्त राशि 5000/–दिनांक..........................

सामग्री कय एवं उपयोगिता विवरण

बैंक का नाम ....शाखा का नाम ....

बैंक खाता संख्या..IFSC Code...

क. सं.	माह	बिल संख्या	दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि	रोकड़ पुस्तिका संख्या	उपयोग का विवरण हो तो
1	जूलाई–16						
2	अगस्त–16						
3	सितम्बर–16						
4	अक्टुबर–16						
5	नवम्बर–16						
6	दिसम्बर–16						
7	जनवरी–16						
8	फरवरी–16						
9	मार्च–16						
	योग						

प्रमाणित किया जाता हैं कि विद्यालय को सत्र 2015–16 में विद्यालय प्रबन्धन समिति (नाम)..को सत्र में दिनांक ....को प्राप्त विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि रू.....................................का उपयोग उन्ही उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था। अवशेष राशि ....इस मद में अधिशेष हैं। विद्यालय के समस्त शौचालय एवं पेयजल सुविधा स्वच्छ व कार्यशील है एवं साबून से हाथ धोये जाते है। उक्त राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) व (BF&AR) के अनुसार किया गया है।

हस्ताक्षर

सचिव एसडीएमसी/एसएमसी

राउमावि/रामावि/बालिका..................................

हस्ताक्षर

अध्यक्ष एसडीएमसी/एसएमसी

राउमावि/रामावि/बालिका..........................

कार्यालय राजकीय ....तहसील ...., जिला प्रतापगढ (राज.)

रेमेडियल टीचिंग राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र

यू–डाईस कोड – संस्था प्रधान का नाम – मोबाईल नम्बर –

विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति का नाम –

विषय –1 शिक्षक का नाम – पदस्थापन स्थान – मोबाईल नम्बर

विषय –2 शिक्षक का नाम – पदस्थापन स्थान – मोबाईल नम्बर

प्राप्त विवरण – **प्रारम्भिक शेष** शून्य **वर्ष 2015–16 में प्राप्त राशि** **कुल राशि** **व्यय राशि सत्र 2015–16**

क्र.सं.	विषय	विशेष कक्षा हेतु चयनित छात्र/छात्रा	लाभान्वित छात्र/छात्रा	शिक्षक को दिया गया मानदेय (225 रू. प्रति छात्र/छात्रा)	रोकड पुस्तिका पृष्ठ संख्या	स्टेशनरी व्यय (25रू. प्रति छात्र/छात्रा)							
						बिल नं.	दिनांक	फर्म का नाम	सामग्री का विवरण	राशि	अस्थायी स्टॉक पं. इन्द्राज पृष्ठ क्रमांक	रोकड पुस्तिका संख्या	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
कुल योग													

प्रमाणित किया जाता है कि प्राप्त राशि .... अक्षरे...का उपरोक्तानुसार उपयोग कर लिया गया है। अवशेष राशि शून्य है। उक्त राशि का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) व (BF&AR) के अनुसार व्यय किया गया है।

1– शिक्षक का नाम मय हस्ताक्षर

2– शिक्षक का नाम मय हस्ताक्षर

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय सील

गतिविधि किट उपयोगिता प्रमाण – पत्र

विद्यालय का नाम ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय माध्यमिक विद्यालय ....के नाम गतिविधि किट (20 रूपये प्रति छात्र) कक्षा 1 से 5 हेतु ....रूपये दिनांक ....का उपयोग उन्हीं उद्धेश्यों के लिये किया गया है जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था । शेष राशि यदि कोई हो ....रूपये इस मद में अधिशेष है ।

हस्ताक्षर

संस्था प्रधान (मय मोहर)

विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम ....

विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान से प्राप्त राशि .... दिनांक ....

बैंक का नाम ....   बैंक खाता संख्या...

सामग्री क्रय एवं उपयोगिता विवरण

क्र. सं.	बिल सं.	दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि	स्टॉक रजि. पृष्ठ संख्या	उपयोग का विवरण

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय प्रबन्धन समिति ....को सत्र............................ में प्राप्त विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान राशि रू. .... का उपयोग प्रबन्ध समिति में पारित प्रस्ताव संख्या ....के अनुसार सामग्री क्रय पश्चात् दिनांक ....को राशि का उपयोग कर लिया है। इससे निम्न लिखित कार्य कराये गये –

....

....

....

....

....

....

....

अध्यक्ष   **सचिव**

विद्यालय पुस्तकालय अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र सत्र 20...–20....

विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम ....

पुस्तकालय अनुदान में प्राप्त राशि .... दिनांक ....

बैंक का नाम .... बैंक खाता संख्या...

क्र. सं.	क्रय का दिनांक	प्रकाशक/फर्म का नाम	पुस्तक/सामग्री का विवरण	पुस्तकों/सामग्री की संख्या	क्रय मूल्य	पुस्तक भंडार पंजिका में दर्ज पृष्ठ संख्या एवं दिनांक

हस्ताक्षर
सदस्य
एसएमसी

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
एसएमसी

हस्ताक्षर
सचिव
एसएमसी

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत छात्र मूल्यांकन हेतु प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र

सत्र ....

विद्यालय प्रबन्ध समिति का नाम ....

विद्यालय की छात्र संख्या .... दर .... छात्र मूल्यांकन हेतु प्राप्त राशि ....

प्रमाणित किया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सत्र .... में मूल्यांकन अनुदान के तहत राशि .... रूपये दिनांक ....को प्राप्त हुए। इस राशि में से .... रूपये का उपयोग विद्यालय में आयोजित सतत मूल्यांकन/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र मुद्रण/मूल्यांकन प्रगति पत्रक तैयार करने में राशि................रूपये का उपयोग निम्नानुसार कर लिया गया है।

क्र.सं.	बिल सं.	दिनांक	सामग्री/कार्य का विवरण	राशि	स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या	एसएमसी का प्रस्ताव संख्या दिनांक

शेष राशि ....रूपये चैक संख्या .... दिनांक ....बैंक....................... .... के द्वारा भिजवायी जा रही है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर सचिव मय सील

कार्य अभ्यास पुस्तिका हेतु विशिष्ट माँग पत्र

कक्षा	डाईस का नामांकन	वास्तविक नामांकन	प्राप्त अभ्यास पुस्तिकाएं				विषयवार कार्य अभ्यास पुस्तिकाए जो कम प्राप्त हुई	
			गणित	अंग्रेजी	पर्यावरण अध्ययन	विज्ञान	विषय	मांग
1							गणित, अंग्रेजी	
2							गणित, अंग्रेजी	
3							गणित, अंग्रेजी ईवीएस	
4							गणित, अंग्रेजी विज्ञान	
5							गणित, अंग्रेजी विज्ञान	
8							गणित	
कुल								

प्राप्त टीएलएम सामग्री को शिक्षकों द्वारा टीएलएम पंजिका में निम्न प्रपत्र में संधारित किया जाये।

कच्ची सामग्री इंद्राज प्रपत्र

रजिस्टर के बायें पृष्ठ पर बनायें

क्र.सं.	दिनांक	प्राप्त सामग्री	संख्या	राशि	उपयोग विवरण

हस्ताक्षर अध्यापक

निर्मित सामग्री इन्द्राज प्रपत्र

रजिस्टर के दायें पृष्ठ पर बनायें

क्र.सं.	निर्मित सामग्री का विवरण	संख्या	उपयोग का विवरण	हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि बांये पृष्ठ पर प्राप्त कच्ची सामग्री से उक्तानुसार दर्शायी शिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया है।

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
अध्यापक

उपयोगिता प्रमाण पत्र (टीएलएम)

सत्र .... हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति ....(नाम विद्यालय) से दिनांक .... को प्राप्त टीएलएम राशि से निर्मित/ क्रय शिक्षण अधिगम सामग्री 1. ....2. .... 3. .... को रजिस्टर के पृष्ठ सं. .... पर दर्ज कर लिया गया है। सामग्री का कक्षा .... विषय .... के शिक्षण में उपयोग किया जा रहा है।

क्र. स.	नाम सामग्री	मात्रा	दर	राशि	विषय–वस्तु जिससे सम्बन्धित है	कच्चे माल से तैयार मॉडल का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज पृ. सं./दि.	अध्यापक जिसको इश्यू की गई

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री हेतु शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... के अनुरूप सामग्री क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
सचिव	अध्यक्ष (एसएमसी)	अध्यापक

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम ....
विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल ग्रांट) प्राप्त राशि .... दिनांक ....
बैंक का नाम .... बैंक खाता संख्या......................................
सामग्री क्रय विवरण :–

क्र.सं.	बिल सं.	दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि	स्टॉक रजि. पृष्ठ संख्या	विशेष विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय प्रबन्धन समिति ....को सत्र. ....में प्राप्त विद्यालय सुविधा अनुदान राशि रू. .... का उपयोग प्रबन्ध समिति में पारित प्रस्ताव के अनुसार सामग्री क्रय पश्चात् दिनांक ....को राशि का उपयोग कर लिया गया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रुपये...................का चैक संख्या..........................दिनांक........................ वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र. सं.	नाम सामग्री	मात्रा	दर	राशि	कंटेन्ट जिससे सम्बन्धित है	कच्चे माल से तैयार सामग्री का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज पृ. सं./दि.

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री हेतु शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... के अनुरूप सामग्री क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंध समिति

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंध समिति

नोटः– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त राशि का

उपयोगिता प्रमाण पत्र

सत्र ....

मद का नाम...

विद्यालय प्रबन्ध समिति का नाम ....

प्रमाणित किया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सत्र .... में .... (मद का नाम) के तहत राशि .... रूपये दिनांक .... .को प्राप्त हुए। इस राशि में से .... रूपये का उपयोग विद्यालय में निम्नानुसार कर लिया गया है।

क्र.सं.	बिल सं.	दिनांक	सामग्री/कार्य का विवरण	राशि	स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या	एसएमसी का प्रस्ताव संख्या दिनांक

उक्त व्यय का अनुमोदन एसमएमसी के प्रस्ताव संख्या .... द्वारा दिनांक .... को कर लिया गया है।

शेष राशि ....रूपये चैक संख्या .... दिनांक ....बैंक....................... .... के द्वारा भिजवायी जा रही है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर अध्यक्ष ***हस्ताक्षर सचिव मय सील***

विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम ....

विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान से प्राप्त राशि .... दिनांक ....

बैंक का नाम ....   बैंक खाता संख्या...

सामग्री क्रय एवं उपयोगिता विवरण

क्र. सं.	बिल सं.	दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि	स्टॉक रजि. पृष्ठ संख्या	उपयोग का विवरण

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय प्रबन्धन समिति ....को सत्र............................ में प्राप्त विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान राशि रू. .... का उपयोग प्रबन्ध समिति में पारित प्रस्ताव संख्या ....के अनुसार सामग्री क्रय पश्चात् दिनांक ....को राशि का उपयोग कर लिया है। इससे निम्न लिखित कार्य कराये गये –

....

....

....

....

....

....

....

अध्यक्ष   **सचिव**

विद्यालय पुस्तकालय अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र सत्र 20...–20....

विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम ....

पुस्तकालय अनुदान में प्राप्त राशि .... दिनांक ....

बैंक का नाम .... बैंक खाता संख्या..

क्र. सं.	क्रय का दिनांक	प्रकाशक/फर्म का नाम	पुस्तक/सामग्री का विवरण	पुस्तकों/सामग्री की संख्या	क्रय मूल्य	पुस्तक भंडार पंजिका में दर्ज पृष्ठ संख्या एवं दिनांक

हस्ताक्षर
सदस्य
एसएमसी

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
एसएमसी

हस्ताक्षर
सचिव
एसएमसी

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत छात्र मूल्यांकन हेतु प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र

सत्र ....

विद्यालय प्रबन्ध समिति का नाम ....

विद्यालय की छात्र संख्या .... दर .... छात्र मूल्यांकन हेतु प्राप्त राशि ....

प्रमाणित किया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सत्र .... में मूल्यांकन अनुदान के तहत राशि .... रूपये दिनांक ....को प्राप्त हुए। इस राशि में से .... रूपये का उपयोग विद्यालय में आयोजित सतत मूल्यांकन/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र मुद्रण/मूल्यांकन प्रगति पत्रक तैयार करने में राशि................रूपये का उपयोग निम्नानुसार कर लिया गया है।

क्र.सं.	बिल सं.	दिनांक	सामग्री/कार्य का विवरण	राशि	स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या	एसएमसी का प्रस्ताव संख्या दिनांक

शेष राशि ....रूपये चैक संख्या .... दिनांक ....बैंक....................... .... के द्वारा भिजवायी जा रही है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर सचिव मय सील

कार्य अभ्यास पुस्तिका हेतु विशिष्ट माँग पत्र

कक्षा	डाईस का नामांकन	वास्तविक नामांकन	प्राप्त अभ्यास पुस्तिकाएं				विषयवार कार्य अभ्यास पुस्तिकाए जो कम प्राप्त हुई	
			गणित	अंग्रेजी	पर्यावरण अध्ययन	विज्ञान	विषय	मांग
1							गणित, अंग्रेजी	
2							गणित, अंग्रेजी	
3							गणित, अंग्रेजी ईवीएस	
4							गणित, अंग्रेजी विज्ञान	
5							गणित, अंग्रेजी विज्ञान	
8							गणित	
कुल								

प्राप्त टीएलएम सामग्री को शिक्षकों द्वारा टीएलएम पंजिका में निम्न प्रपत्र में संधारित किया जाये।

<u>कच्ची सामग्री इंद्राज प्रपत्र</u>

रजिस्टर के बायें पृष्ठ पर बनायें

क्र.सं.	दिनांक	प्राप्त सामग्री	संख्या	राशि	उपयोग विवरण

हस्ताक्षर अध्यापक

<u>निर्मित सामग्री इन्द्राज प्रपत्र</u>

रजिस्टर के दायें पृष्ठ पर बनायें

क्र.सं.	निर्मित सामग्री का विवरण	संख्या	उपयोग का विवरण	हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि बांये पृष्ठ पर प्राप्त कच्ची सामग्री से उक्तानुसार दर्शायी शिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया है।

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
अध्यापक

उपयोगिता प्रमाण पत्र (टीएलएम)

सत्र .... हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति ....(नाम विद्यालय) से दिनांक .... को प्राप्त टीएलएम राशि से निर्मित/ क्रय शिक्षण अधिगम सामग्री 1. ....2. .... 3. .... को रजिस्टर के पृष्ठ सं. .... पर दर्ज कर लिया गया है। सामग्री का कक्षा .... विषय .... के शिक्षण में उपयोग किया जा रहा है।

क्र. स.	नाम सामग्री	मात्रा	दर	राशि	विषय–वस्तु जिससे सम्बन्धित है	कच्चे माल से तैयार मॉडल का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज पृ. सं./दि.	अध्यापक जिसको इश्यू की गई

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री हेतु शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... के अनुरूप सामग्री क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया।

हस्ताक्षर सचिव	हस्ताक्षर अध्यक्ष (एसएमसी)	हस्ताक्षर अध्यापक

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम ....
विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल ग्रांट) प्राप्त राशि .... दिनांक ....
बैंक का नाम .... बैंक खाता संख्या.....................................
सामग्री क्रय विवरण :–

क्र.सं.	बिल सं.	दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि	स्टॉक रजि. पृष्ठ संख्या	विशेष विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय प्रबन्धन समिति ....को सत्र. ....में प्राप्त विद्यालय सुविधा अनुदान राशि रू. .... का उपयोग प्रबन्ध समिति में पारित प्रस्ताव के अनुसार सामग्री क्रय पश्चात् दिनांक ....को राशि का उपयोग कर लिया गया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रुपये...................का चैक संख्या..........................दिनांक........................ वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र. सं.	नाम सामग्री	मात्रा	दर	राशि	कंटेन्ट जिससे सम्बन्धित है	कच्चे माल से तैयार सामग्री का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज पृ. सं./दि.

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री हेतु शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... के अनुरूप सामग्री क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंध समिति

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंध समिति

नोटः– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त राशि का

उपयोगिता प्रमाण पत्र

सत्र ....

मद का नाम..

विद्यालय प्रबन्ध समिति का नाम ....

प्रमाणित किया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सत्र .... में .... (मद का नाम) के तहत राशि .... रूपये दिनांक .... .को प्राप्त हुए। इस राशि में से .... रूपये का उपयोग विद्यालय में निम्नानुसार कर लिया गया है।

क्र.सं.	बिल सं.	दिनांक	सामग्री / कार्य का विवरण	राशि	स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या	एसएमसी का प्रस्ताव संख्या दिनांक

उक्त व्यय का अनुमोदन एसमएमसी के प्रस्ताव संख्या .... द्वारा दिनांक .... को कर लिया गया है।

शेष राशि ....रूपये चैक संख्या .... दिनांक ....बैंक...................... .... के द्वारा भिजवायी जा रही है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर अध्यक्ष ***हस्ताक्षर सचिव मय सील***

कार्यालय :-

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस विद्यालय का नाम..को सत्र ....प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग निम्नानुसार कर लिया है।

क्र.स.	माह का नाम	आंवटित राशि				खर्च की गई राशि				शेष राशि			
		जागृति दिवस	बालसमाहरोह	कलाकिट	स्कुल लेवल मीणा मंच बैठक	जागृति दिवस	बालसमाहरोह	कलाकिट	स्कुल लेवल मीणा मंच बैठक	जागृति दिवस	बालसमाहरोह	कलाकिट	स्कुल लेवल मीणा मंच बैठक

हस्तक्षर
संस्थाप्रधान

कार्यालय :–

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस विद्यालय का नाम..को सत्र ....प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग निम्मानुसार कर लिया है।

क्र.स.	माह का नाम	आंवटित राशि				खर्च की गई राशि				शेष राशि			
		जागृति दिवस	बालसमाहरोह	कलाकिट	स्कुल लेवल मीणा मंच बैठक	जागृति दिवस	बालसमाहरोह	कलाकिट	स्कुल लेवल मीणा मंच बैठक	जागृति दिवस	बालसमाहरोह	कलाकिट	स्कुल लेवल मीणा मंच बैठक

हस्तक्षर
संस्थाप्रधान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (CRC/PEEO/नोडल का नाम) को सत्र...............मे प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग निम्नानुसार कर लिया है।

क्र. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि		खर्च की गई राशि		शेष राशि	
		कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

हस्ताक्षर

नोडल प्रभारी/PEEO/CRC

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (CRC/PEEO/नोडल का नाम) को सत्र................मे प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग निम्नानुसार कर लिया है।

क्र. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि		खर्च की गई राशि		शेष राशि	
		कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

हस्ताक्षर

नोडल प्रभारी/PEEO/CRC

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जिला परियोजना कार्यालय, उदयपुर
(केन्द्र प्रवर्तित माध्यमिक शिक्षा योजनाएँ)
RCSE गोवर्धन विलास, एकलिंगगढ़ छावनी के सामने, उदयपुर – 313002
दूरभाष – 0294–2482044 Email: adpcrmsaudaipur@gmail.com

क्रमांक :– जिपस / रामाशिअ / उदय / विवाअ / 2015–16 / 271 दिनांक :– 25-06-2015

समस्त संस्था प्रधान
राउमावि / राबाउमावि /
रामावि / राबामावि
उदयपुर

विषय :– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2015–16 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग सम्बन्धी दिशा निर्देश।

सन्दर्भ :– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् पत्र क्रमांक रामाशिप / जय / एसएजी निर्देश / 2015 / 12407 दिनांक 23.06.2015

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2015–16 की वार्षिक योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग सम्बन्धी दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते है :–

➢ <u>विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2015–16 की राशि के उपयोग हेतु सामान्य दिशा – निर्देशः–</u>

1. रामाशिअ की वार्षिक योजना 2015–16 में विद्यालय वार्षिक अनुदान 633 विद्यालयों हेतु 50000 रू. प्रति विद्यालय की दर से स्वीकृत किया गया है, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग विद्यालय आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित वित्तीय सीमा में निम्नांकित मदों हेतु किया जावें :–

1.1 बिजली, पानी, टेलीफोन, इंटरनेट आदि सुविधाओं पर।
1.2 समाचार पत्रों, मैंगजीन, पीरियोडिकल्स, पुस्तक क्रय आदि पर।
1.3 खेलकूद सामग्री, संगीत, शिक्षण सहायक सामग्री, नक्शे, चार्टस, स्टेशनरी आदि।
1.4 स्पोर्ट्स दिवस, वार्षिक दिवस, बैठक आयोजन।
1.5 प्रयोगशाला उपकरणों के रिपेयर / रिप्लेसमेन्ट एवं प्रयोगशाला Consumables.
1.6 अन्य आवर्ती मद में विद्यालय आवश्यकतानुसार।

<u>नोट :– अनावर्ती मद जैसे फर्नीचर, उपकरण क्रय एवं अन्य सामग्री आदि पर व्यय नही किया जावें।</u>

1. विद्यालय द्वारा उक्त राशि एवं इसके विरूद्ध किये गये व्यय का पृथक से रिकॉर्ड संधारण किया जाना सुनिश्चित करे। विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित हो एवं विद्यालय पर इसका गुणात्मक प्रभाव दिखाई दे इसके लिए पुख्ता मॉनिटरिंग एवं आकस्मिक निरीक्षण का प्रावधान जिला स्तर पर किया गया है।
2. राज्य स्तर से लगातार प्रभारी अधिकारियों द्वारा विजिट के दौरान उक्त राशि की उपयोगिता बाबत् निरीक्षण किया जावेगा।
3. सभी विद्यालयों द्वारा उन्हें प्राप्त राशि का शत् प्रतिशत उपयोग दिनांक 28.02.2016 तक निर्धारित मापदण्डानुसार कर लिया जावें।
4. विद्यालय को जारी की गई राशि के विरूद्ध व्यय की सूचना संलग्न प्रपत्रानुसार संकलित की जायेगी।

➢ <u>कार्य प्रक्रिया – विद्यालय स्तर पर</u>

1. सर्वप्रथम विद्यालय विकास एंव प्रबन्धन समिति अपने विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं प्राथमिकता अनुसार विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति में प्रस्ताव का अनुमोदन करावें।
2. क्रय में वित्तीय नियमें की पालना सुनिश्चित करें तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तरीय होनी चाहिए।
3. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल बाउचर्स को सुव्यस्थित संधारित करे।

4. उपयोग के पश्चात् वित्तीय वर्ष समाप्ति के 1 माह के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा जिला कार्यालय में प्रेषित किया जावें।

➢ <u>विद्यालय वार्षिक अनुदान की जारी राशि व्यय निम्न मदों में नही किया जावें :—</u>

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/स्टॉफ कक्ष में फर्नीचर क्रय नही किया जावें)।
2. उत्सव मनाना व उत्सव आयोजन के फोटो खिंचावाना।
3. स्थायी सामग्री का क्रय।

➢ ध्यान देने योग्य बिन्दु :—

1. विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्ण पारदर्शिता एवं नियमानुसार क्रय की जावें।
2. सामग्री क्रय करते समय दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए छात्र/छात्रा हित एवं विद्यालय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जावें।
3. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुए, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जावें।
4. विद्यालय निरीक्षण के दौराने अधिकारी विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत् ली गई सामग्री के सार्थ उपयोग का भी अवलोकन करेंगे।
5. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2015—16 की क्रियान्विति निर्धारित समय सीमा में ही करे एवं 28 फरवरी 2016 तक समस्त राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.प्र.)
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
उदयपुर

क्रमांक :— जिपस/रामाशिअ/उदय/विवाअ/2015—16/271 दिनांक :— 25-06-2015

प्रतिलिपि :—

1. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्ष परिषद्, जयपुर।
3. नियंत्रक वित्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, एसएजी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय उदयपुर।
6. सहायक लेखाधिकारी स्थानीय कार्यालय को देकर लेख है कि सत्र 2015—16 में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समस्त संस्था प्रधानों से प्राप्त करे।
7. कार्यक्रम अधिकारी राजस्थान माध्यमिक शिक्ष परिषद् उदयपुर।

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.प्र.)
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
उदयपुर

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–1 (प्रति विद्यालय)

विद्यालय का नाम:–.. (विद्यालय कोड:–.................................)

क्र. सं.	सत्र	ब्लॉक	जिला	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	मद जिन पर व्यय किया गया	नियमानुसार व्यय हाँ/नहीं	शेष/अवशेष राशि	शेष रहने का कारण	विशेष विवरण
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2015–16									
		योग:–								

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–2 (विद्यालय स्तर पर रिकार्ड संधारण)

सत्र:– 2015–16

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम/पता/मोबाईल नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

(८)

कार्यालय का नाम:– ....

क्रमांक:– ....

दिनांक:– ....

उपयोगिता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2015–16 हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में.. ....(विद्यालय का नाम) को प्राप्त राशि ....में से ....राशि नियमानुसार व्यय की गई है, उक्त में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

प्रमाणितकर्ता (संस्था प्रधान)

मय मोहर

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–1 (प्रति विद्यालय)

विद्यालय का नाम:– ....

(विद्यालय कोड:– ....)

क्र. सं.	सत्र	ब्लॉक	जिला	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	नियमानुसार व्यय हाँ/नहीं	शेष/अवशेष राशि	शेष रहने का कारण	विशेष विवरण
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2015–16								
योग:–									

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–2 (विद्यालय स्तर पर रिकार्ड संधारण)

सत्र:– 2015–16

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम/पता/मोबाईल न.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

(7)

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–3 (विद्यालयों का समेकित)

सत्र:– 2015–16

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम / पता / मोबाईल न.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–4 (जिला स्तरीय समेकित)

जिला का नाम:–..

क्र. सं.	सत्र	विद्यालयों की संख्या	विद्यालय में जारी राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	नियमानुसार व्यय हाँ / नहीं	अनियमितता के सन्दर्भ में की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1	2015–16						
	योग:–						

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

उपयोगिता प्रमाण पत्र

विद्यालय माइनर रिपेयरिंग/पुस्तकालय/खेल–कुद/विद्युत एवं पानी/प्रयोगशला उपकरण अनुदान

विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम..ग्राम......................................ब्लॉक..........................

जिला... विद्यालय माइनर रिपेयरिंग/पुस्तकालय/खेल–कुद/विद्युत एवं पानी/ प्रयोगशला उपकरण अनुदान में प्राप्त राशि......................................दिनांक...

सामग्री क्रय एवं उपयोगिता विवरण

बैंक का नाम... बैंक खाता सं. ....

क. स.	बिल सं.	दिनांक	समग्री का विवरण	राशि	स्टॉक राजि. पृष्ट संख्या	उपयोग का विवरण

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति .... को सत्र ....में प्राप्त विद्यालय को माइनर रिपेयरिंग/पुस्तकालय/खेल–कुद/विद्युत एवं पानी/प्रयोगशला उपकरण अनुदान राशि रू. .... का उपयोग प्रबंधन समिति मे पारित प्रस्ताव संख्या .... के अनुसार सामग्री क्रय कर विद्यालय स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या .... पर इनद्राज पश्चात् दिनांक .... को राशि का नियमानुसार एवं मापदण्डानुसार उपयोग कर लिया गया है इससे निम्न कार्य कराये गए।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ह. विद्यालय भवन समिति/
शैक्षिक समिति सदस्य

ह. सचिव
एसडीएमसी

ह. अध्यक्ष
एसडीएमसी
(मय सील)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
जिला परियोजना कार्यालय, उदयपुर
(केन्द्र प्रवर्तित माध्यमिक शिक्षा योजनाएँ)
RCSE गोवर्धन विलास, एकलिंगगढ़ छावनी के सामने, उदयपुर – 313002
दूरभाष – 0294–2482044 Email: adpcrmsaudaipur@gmail.com

क्रमांक :– जिपस / रामाशिअ / उदय / वित्ता / 2015–16 / 271 दिनांक :– 25-06-2015

समस्त संस्था प्रधान
राउमावि / राबाउमावि /
रामावि / राबामावि
उदयपुर

विषय :– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2015–16 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग सम्बन्धी दिशा निर्देश।

सन्दर्भ :– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् पत्र क्रमांक रामाशिप / जय / एसएजी निर्देश / 2015 / 12407 दिनांक 23.06.2015

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2015–16 की वार्षिक योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग सम्बन्धी दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते है :–

➢ <u>विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2015–16 की राशि के उपयोग हेतु सामान्य दिशा – निर्देशः–</u>

1. रामाशिअ की वार्षिक योजना 2015–16 में विद्यालय वार्षिक अनुदान 633 विद्यालयों हेतु 50000 रू. प्रति विद्यालय की दर से स्वीकृत किया गया है, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग विद्यालय आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित वित्तीय सीमा में निम्नांकित मदों हेतु किया जावें :–

1.1 बिजली, पानी, टेलीफोन, इंटरनेट आदि सुविधाओं पर।
1.2 समाचार पत्रों, मैंगजीन, पीरियोडिकल्स, पुस्तक क्रय आदि पर।
1.3 खेलकूद सामग्री, संगीत, शिक्षण सहायक सामग्री, नक्शे, चार्टस, स्टेशनरी आदि।
1.4 स्पोटर्स दिवस, वार्षिक दिवस, बैठक आयोजन।
1.5 प्रयोगशाला उपकरणों के रिपेयर / रिप्लेसमेन्ट एवं प्रयोगशाला Consumables.
1.6 अन्य आवर्ती मद में विद्यालय आवश्यकतानुसार।

<u>नोट :– अनावर्ती मद जैसे फर्नीचर, उपकरण क्रय एवं अन्य सामग्री आदि पर व्यय नही किया जावें।</u>

1. विद्यालय द्वारा उक्त राशि एवं इसके विरूद्ध किये गये व्यय का पृथक से रिकॉर्ड संधारण किया जाना सुनिश्चित करे। विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित हो एवं विद्यालय पर इसका गुणात्मक प्रभाव दिखाई दे इसके लिए पुख्ता मॉनिटरिंग एवं आकस्मिक निरीक्षण का प्रावधान जिला स्तर पर किया गया है।
2. राज्य स्तर से लगातार प्रभारी अधिकारियों द्वारा विजिट के दौरान उक्त राशि की उपयोगिता बाबत् निरीक्षण किया जावेगा।
3. सभी विद्यालयों द्वारा उन्हें प्राप्त राशि का शत् प्रतिशत उपयोग दिनांक 28.02.2016 तक निर्धारित मापदण्डानुसार कर लिया जावें।
4. विद्यालय को जारी की गई राशि के विरूद्ध व्यय की सूचना संलग्न प्रपत्रानुसार संकलित की जायेगी।

➢ <u>कार्य प्रक्रिया – विद्यालय स्तर पर</u>

1. सर्वप्रथम विद्यालय विकास एंव प्रबन्धन समिति अपने विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं प्राथमिकता अनुसार विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति में प्रस्ताव का अनुमोदन करावें।
2. क्रय में वित्तीय नियमें की पालना सुनिश्चित करें तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तरीय होनी चाहिए।
3. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल बाउचर्स को सुव्यस्थित संधारित करे।

4. उपयोग के पश्चात् वित्तीय वर्ष समाप्ति के 1 माह के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा जिला कार्यालय में प्रेषित किया जावें।

➢ **विद्यालय वार्षिक अनुदान की जारी राशि व्यय निम्न मदों में नही किया जावें :—**

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/स्टॉफ कक्ष में फर्नीचर क्रय नही किया जावें)।
2. उत्सव मनाना व उत्सव आयोजन के फोटो खिंचावाना।
3. स्थायी सामग्री का क्रय।

➢ ध्यान देने योग्य बिन्दु :—

1. विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्ण पारदर्शिता एवं नियमानुसार क्रय की जावें।
2. सामग्री क्रय करते समय दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए छात्र/छात्रा हित एवं विद्यालय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जावें।
3. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुए, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जावें।
4. विद्यालय निरीक्षण के दौराने अधिकारी विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत् ली गई सामग्री के सार्थ उपयोग का भी अवलोकन करेंगे।
5. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2015—16 की क्रियान्विति निर्धारित समय सीमा में ही करे एवं 28 फरवरी 2016 तक समस्त राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.प्र.)
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
उदयपुर

क्रमांक :— जिपस/रामाशिअ/उदय/विवाअ/2015—16/271 दिनांक :— 25-06-2015

प्रतिलिपि :—

1. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्ष परिषद्, जयपुर।
3. नियंत्रक वित्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, एसएजी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय उदयपुर।
6. सहायक लेखाधिकारी स्थानीय कार्यालय को देकर लेख है कि सत्र 2015—16 में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समस्त संस्था प्रधानों से प्राप्त करे।
7. कार्यक्रम अधिकारी राजस्थान माध्यमिक शिक्ष परिषद् उदयपुर।

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.प्र.)
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्
उदयपुर

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–1 (प्रति विद्यालय)

विद्यालय का नामः–..

(विद्यालय कोडः–..)

क्र. सं.	सत्र	ब्लॉक	जिला	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	मद जिन पर व्यय किया गया	नियमानुसार व्यय हाँ/नहीं	शेष/अवशेष राशि	शेष रहने का कारण	विशेष विवरण
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2015–16									
		योगः–								

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–2 (विद्यालय स्तर पर रिकार्ड संधारण)

सत्रः– 2015–16

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम/पता/मोबाईल न.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

(८)

कार्यालय का नाम:– ....

क्रमांक:– ....

दिनांक:– ....

उपयोगिता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2015–16 हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में.. ....(विद्यालय का नाम) को प्राप्त राशि .... में से .... राशि नियमानुसार व्यय की गई है, उक्त में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

प्रमाणितकर्ता (संस्था प्रधान)

मय मोहर

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–1 (प्रति विद्यालय)

विद्यालय का नाम:– ....

(विद्यालय कोड:– ....)

क्र. सं.	सत्र	ब्लॉक	जिला	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	नियमानुसार व्यय हाँ / नहीं	शेष / अवशेष राशि	शेष रहने का कारण	विशेष विवरण
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2015–16								
		योग:–							

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–2 (विद्यालय स्तर पर रिकार्ड संधारण)

सत्र:– 2015–16

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम / पता / मोबाईल न.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–3 (विद्यालयों का समेकित)

सत्रः– 2015–16

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम / पता / मोबाईल न.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–4 (जिला स्तरीय समेकित)

जिला का नामः–.......................................

क्र. सं.	सत्र	विद्यालयों की संख्या	विद्यालय में जारी राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	नियमानुसार व्यय हाँ / नहीं	अनियमितता के सन्दर्भ में की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1	2015–16						
	योगः–						

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

उपयोगिता प्रमाण पत्र

विद्यालय माइनर रिपेयरिंग/पुस्तकालय/खेल–कुद/विद्युत एवं पानी/प्रयोगशला उपकरण अनुदान

विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम..ग्राम.......................................ब्लॉक..........................

जिला... विद्यालय माइनर रिपेयरिंग/पुस्तकालय/खेल–कुद/विद्युत एवं पानी/प्रयोगशला उपकरण अनुदान में प्राप्त राशि.......................................दिनांक...

सामग्री क्रय एवं उपयोगिता विवरण

बैंक का नाम.. बैंक खाता सं. ....

क. स.	बिल सं.	दिनांक	समग्री का विवरण	राशि	स्टॉक राजि. पृष्ट संख्या	उपयोग का विवरण

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति .... को सत्र ....में प्राप्त विद्यालय को माइनर रिपेयरिंग/पुस्तकालय/खेल–कुद/विद्युत एवं पानी/प्रयोगशला उपकरण अनुदान राशि रू. .... का उपयोग प्रबंधन समिति मे पारित प्रस्ताव संख्या .... के अनुसार सामग्री क्रय कर विद्यालय स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या .... पर इनद्राज पश्चात् दिनांक .... को राशि का नियमानुसार एवं मापदण्डानुसार उपयोग कर लिया गया है इससे निम्न कार्य कराये गए।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ह. विद्यालय भवन समिति/
शैक्षिक समिति सदस्य

ह. सचिव
एसडीएमसी

ह. अध्यक्ष
एसडीएमसी
(मय सील)

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम...यू डाईस कोड...............................

विद्यालय सुविधा अनुदान(स्कूल फेसिलिटी ग्रांट) प्राप्त राशि.......................दिनांक................................

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 मे प्राप्त विद्यालय सुविधा अनुदान राशि रू. .... का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा कर लिया है। शेष राशि (यदी कोई हो) रूपयं....................... का चैक संख्या....................................बैक............. ....शाखा.................................दिनांक द्वारा................................वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र.सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका मे इन्द्राज		वि.वि.
									पृ.सं.	दिनांक	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार शाला प्रबंन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या................ दिनांक................ के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक...................... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामाकंन का नही है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

नोटः– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करे। इसके लिए स्वंय उत्तरदायी होंगे।

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम...यू डाईस कोड...............................

विद्यालय सुविधा अनुदान(स्कूल फेसिलिटी ग्रांट) प्राप्त राशि.......................दिनांक...............................

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 मे प्राप्त विद्यालय सुविधा अनुदान राशि रू. .... का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा कर लिया है। शेष राशि (यदी कोई हो) रूपयं....................... का चैक संख्या...................................बैक............. ....शाखा................................दिनांक द्वारा................................वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र.सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका मे इन्द्राज		वि.वि.
									पृ.सं.	दिनांक	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार शाला प्रबंन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या................ दिनांक................ के अनुरूप कय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक...................... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामाकंन का नही है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

नोटः– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करे। इसके लिए स्वंय उत्तरदायी होंगे।

E-Mail Date 12-4-18
R.No. (145)

कार्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय .... बलौदे ....

क्रमांक दिनांक

–:उपयोगिता प्रमाण पत्र:–

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में राष्ट्रीय अविष्कार अभियान जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान बारां से राशि .... रुपये प्राप्त हुई है। जिसका उपयोग निम्नानुसार किया गया है।

क्र. स.	नाम गतिविधि	जारी राशि	व्यय राशि	रोकड़ पृष्ठ संख्या	स्टॉक इन्द्राज पृष्ठ संख्या
1	विज्ञान–गणित क्लब गठन	500			
2	विज्ञान मेले में मॉडल एवं चार्ट	2500			
3	विज्ञान मेले में भाग लेने हेतु	1000			
4	सामुदाय का संवेदीकरण एवं भागीदारी	1000			
5	विज्ञान एक्सपोजर विजिट	3000			
6	विज्ञान–गणित किट एवं पुस्तकें खरीद	5000			
7	प्रभावी कक्षा कक्ष सम्प्रेषण	2000			
	कुल योग	15000			

उपयोग की गई राशि अक्षरें :– ....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त जारी राशि .... शेले ....
राशि का उपयोग कर लिया गया है जिनका स्टॉक रजिस्टर मे पृष्ठ संख्या ....पर इन्द्राज कर लिया गया है।

हस्ताक्षर
विज्ञान/गणित
प्रभारी शिक्षक

हस्ताक्षर
पीईईओ/प्रधानाध्यापक

हस्ताक्षर
अध्यक्ष/सचिव

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान, बारां

कमरा नं. 101,111,112 मिनि सचिवालय, कोटा रोड बारां,
शिक्षा का अधिकार
e-mail : rajssa_baran@yahoo.co.in
फोन न: 07453-237024
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

क्रमांक/जिपस/सशिअ/बारां/आरएए/2017-18/3p1406 दिनांक: 9/4/2018

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त ब्लॉक।

विषयः- राष्ट्रीय अविष्कार अभियान 2017-18 की द्वितीय किस्त की राशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के तहत जिले के चयनित 149 विद्यालयों में प्रति विद्यालय 7000 रू (अक्षरे सात हजार रूपये) राशि हस्तान्तरित की गई है। इस द्वितीय किस्त की राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाना है।

क्र.स.	विद्यालय स्तर पर की जाने वाली गतिविधियाँ	बजट राशि (रूपये में)
1	विज्ञान गणित किट सामग्री एवं पुस्तकें खरीदना	5000
2	प्रभावी कक्षा कक्ष सम्प्रेषण	2000
	कुल योग	7000

अतः राष्ट्रीय अविष्कार अभियान 2017-18 के तहत ब्लॉक के चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त की कुल 15000 रू राशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र सात योम में जिला कार्यालय को उपलब्ध करवाने हेतु पाबन्द करें।

अति0 जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान, बारां

क्रमांक/जिपस/सशिअ/बारां/क्वालिटी/2017-18/3p1406
दिनांकः

प्रतिलिपिः-
1. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बारां।
2. समस्त पीईईओ समस्त ब्लॉक।
3. रक्षित पत्रावली।

अति0 जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान, बारां

E-Mail Date....12-4-18
R.No........(145)

कार्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय .... बलौदे ....

क्रमांक दिनांक

—:उपयोगिता प्रमाण पत्र:—

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में राष्ट्रीय अविष्कार अभियान जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान बारां से राशि .... रुपये प्राप्त हुई है। जिसका उपयोग निम्नानुसार किया गया है।

क. स.	नाम गतिविधि	जारी राशि	व्यय राशि	रोकड़ पृष्ठ संख्या	स्टॉक इन्द्राज पृष्ठ संख्या
1	विज्ञान–गणित कल्ब गठन	500			
2	विज्ञान मेले में मॉडल एवं चार्ट	2500			
3	विज्ञान मेले में भाग लेने हेतु	1000			
4	सामुदाय का संवेदीकरण एवं भागीदारी	1000			
5	विज्ञान एक्सपोजर विजिट	3000			
6	विज्ञान–गणित किट एवं पुस्तकें खरीद	5000			
7	प्रभावी कक्षा कक्ष सम्प्रेषण	2000			
	कुल योग	15000			

उपयोग की गई राशि अक्षरें :— ....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त जारी राशि .... में से .... राशि का उपयोग कर लिया गया है जिनका स्टॉक रजिस्टर मे पृष्ठ संख्या ....पर इन्द्राज कर लिया गया है।

हस्ताक्षर
विज्ञान/गणित
प्रभारी शिक्षक

हस्ताक्षर
पीईईओ/प्रधानाध्यापक

हस्ताक्षर
अध्यक्ष/सचिव

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान, बारां

कमरा नं. 101,111,112 मिनि सचिवालय, कोटा रोड बारां,
e-mail : rajssa_baran@yahoo.co.in
फोन न: 07453-237024

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

क्रमांक / जिपस / सशिअ / बारां / आरएए / 2017-18 / 8p 1406 दिनांकः 9/4/2018

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त ब्लॉक।

विषयः— राष्ट्रीय अविष्कार अभियान 2017-18 की द्वितीय किस्त की राशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के तहत जिले के चयनित 149 विद्यालयों में प्रति विद्यालय 7000 रू (अक्षरे सात हजार रूपये) राशि हस्तान्तरित की गई है। इस द्वितीय किस्त की राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाना है।

क्र.स.	विद्यालय स्तर पर की जाने वाली गतिविधियाँ	बजट राशि (रूपये में)
1	विज्ञान गणित किट सामग्री एवं पुस्तकें खरीदना	5000
2	प्रभावी कक्षा कक्ष सम्प्रेषण	2000
कुल योग		7000

अतः राष्ट्रीय अविष्कार अभियान 2017-18 के तहत ब्लॉक के चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त की कुल 15000 रू राशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र सात योम में जिला कार्यालय को उपलब्ध करवाने हेतु पाबन्द करें।

अति० जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान, बारां

क्रमांक / जिपस / सशिअ / बारां / क्वालिटी / 2017-18 / 8p 1406 दिनांकः
प्रतिलिपिः—
1. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बारां।
2. समस्त पीईईओ समस्त ब्लॉक।
3. रक्षित पत्रावली।

अति० जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान, बारां

क्रमांक :– दिनांक:–

विद्यालय का नाम..ब्लॉक..

वर्ष 2016–17 के लिये स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र

(राशि रूपयो में)

क्रसं	विवरण	विद्यालय वार्षिक अनुदान								
1.	वर्ष 2016–17 में प्राप्त राशि (स्वीकृति क्रमांक .... दिनांक ....)									50000/–
2.	वर्ष 2016–17 में प्राप्त राशि का वित्तीय वर्ष में व्यय	बिजली व पानी	टेलिफोन व इन्टरनेट	सफाई रंगाई पुताई	समाचार पत्र, मैंगजीन, पीरियोडिकल्स, पुस्तक क्रय	खेलकूद सामग्री, संगीत शिक्षण सामग्री, नक्शे व चार्टस, स्टेशनरी	स्पार्टस दिवस, वार्षिक दिवस एवं बैठक	प्रयोगशाला उपकरण एवं प्रयोगशाला कन्ज्यूमेबल, अग्निशमन यंत्र	अन्य आवर्ती मद व्यय व बुक रेक	योग
3.	शेष राशि (कॉलम 1 – कॉलम 2)									

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस विद्यालय के पक्ष में वर्ष 2016–17 के लिए स्वीकृत राशि का उपरोक्तानुसार दिये गये विवरण के अनुसार उन प्रयोजनों के लिए जिस हेतु उसे स्वीकृत किया गया था, नियमानुसार उपयोग कर लिया गया है तथा यह कि जिन शर्तों पर राशि स्वीकृत की गयी थी उन्हें विधिवत् पूरा कर लिया गया है।

स्थान..

क्रमांक :– दिनांक:–

रोकड़पाल संस्था प्रधान

विद्यालय का नाम ....

विद्यालय स्वच्छता अनुदान – उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2016–17 में .... विद्यालय (नाम) को प्राप्त विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि रू.5000/– दिनांक .... का उपयोग विभागीय निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत उन्ही उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया था। शेष राशि (यदि कोई हो) रू.......................... इस मद में अधिशेष है। विद्यालय के समस्त शौचालय एवं पेयजल सुविधा स्वच्छ व कार्यशील है। विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता सुविधाओं का नियमित उपयोग किया जाता है एवं साबुन से हाथ धोये जाते है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

मय मोहर

विद्यालय का नाम – राजकीय .... विद्यालय .... ब्लॉक .... जिला – श्री गंगानगर

व्यय विवरण ट्रांसपोर्ट वाउचर माह जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016

क्र.सं.	छात्रा का नाम	पिता का नाम	एसआर नं.	कक्षा	MONTH WISE ATTENDANCE OF GIRLS							Total Amount @20 per day
					Jul. 16	Aug. 16	Sep16	Oct 16	Nov 16	Dec. 16	Total Attendance	
1												
2												
3												
4												
5												
योग												

सत्र 2016 – 17 में रमसा से ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु प्राप्त राशि	1. 2. 3.	प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त योजना का लाभ पात्र छात्राओं को ही दिया गया है तथा उपरोक्त भुगतान का एसडीएमसी से अनुमोदन ले लिया गया है।
योग प्राप्त राशि		
माह जुलाई 16 से दिस. 16 तक व्यय की गई राशि		
शेष राशि		

अध्यक्ष सचिव

विद्यालय प्रबन्ध एवं विकास समिति

क्रमांक :– दिनांकः–

विद्यालय का नाम...ब्लॉक...

वर्ष 2016–17 के लिये स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र

(राशि रूपयो में)

क्रसं	विवरण	विद्यालय वार्षिक अनुदान								
1.	वर्ष 2016–17 में प्राप्त राशि (स्वीकृति क्रमांक .... दिनांक ....)									50000/–
2.	वर्ष 2016–17 में प्राप्त राशि का वित्तीय वर्ष में व्यय	बिजली व पानी	टेलिफोन व इन्टरनेट	सफाई रंगाई पुताई	समाचार पत्र, मैंगजीन, पीरियोडिकल्स, पुस्तक क्रय	खेलकूद सामग्री, संगीत शिक्षण सामग्री, नक्शे व चार्टस, स्टेशनरी	स्पार्टस दिवस, वार्षिक दिवस एवं बैठक	प्रयोगशाला उपकरण एवं प्रयोगशाला कन्ज्यूमेबल, अग्निशमन यंत्र	अन्य आवर्ती मद व्यय व बुक रेक	योग
3.	शेष राशि (कॉलम 1 – कॉलम 2)									

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस विद्यालय के पक्ष में वर्ष 2016–17 के लिए स्वीकृत राशि का उपरोक्तानुसार दिये गये विवरण के अनुसार उन प्रयोजनों के लिए जिस हेतु उसे स्वीकृत किया गया था, नियमानुसार उपयोग कर लिया गया है तथा यह कि जिन शर्तों पर राशि स्वीकृत की गयी थी उन्हें विधिवत् पूरा कर लिया गया है।

स्थान..

क्रमांक :– दिनांकः–

रोकड़पाल संस्था प्रधान

विद्यालय का नाम ....

विद्यालय स्वच्छता अनुदान – उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2016–17 में .... विद्यालय (नाम) को प्राप्त विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि रू.5000/– दिनांक .... का उपयोग विभागीय निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत उन्ही उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया था। शेष राशि (यदि कोई हो) रू......................... इस मद में अधिशेष है। विद्यालय के समस्त शौचालय एवं पेयजल सुविधा स्वच्छ व कार्यशील है। विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता सुविधाओं का नियमित उपयोग किया जाता है एवं साबुन से हाथ धोये जाते है।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

मय मोहर

विद्यालय का नाम – राजकीय .... विद्यालय .... ब्लॉक .... जिला – श्री गंगानगर

व्यय विवरण ट्रांसपोर्ट वाउचर माह जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016

क्र.सं.	छात्रा का नाम	पिता का नाम	एसआर नं.	कक्षा	MONTH WISE ATTENDANCE OF GIRLS							Total Amount @20 per day
					Jul. 16	Aug. 16	Sep16	Oct 16	Nov 16	Dec. 16	Total Attendance	
1												
2												
3												
4												
5												
योग												

सत्र 2016 – 17 में रमसा से ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु प्राप्त राशि	1. 2. 3.	प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त योजना का लाभ पात्र छात्राओं को ही दिया गया है तथा उपरोक्त भुगतान का एसडीएमसी से अनुमोदन ले लिया गया है।
योग प्राप्त राशि		
माह जुलाई 16 से दिस. 16 तक व्यय की गई राशि		
शेष राशि		

अध्यक्ष सचिव

विद्यालय प्रबन्ध एवं विकास समिति

D:\RMSA\NIRMAL SINGH\2016-17\PO'S WORK\BHATIA G\2016-17\TRANSPORT VOUCHAR\UC FOR TRANSPORT 2016-17.Docx

कार्यालय ब्लॉक.......................................जिला...........................

शिक्षक अनुदान/टी.एल.एम.

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 मे ब्लॉक............................ जिला........................ के विद्यालयो को प्राप्त शिक्षक अनुदान की राशि का उपयोग संबंधित एसएमसी द्वारा शिक्षक अनुदान हेतु परिषद से जारी दिशा–निर्देशो के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र मे यू.सी. प्रति माह प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है:–

क्र. स.	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	एसएमसी को प्राप्त राशि	एसएमसी द्वारा व्यय राशि	शेष राशि	वि.वि
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

हस्ताक्षर
संदर्भ व्यक्ति
....

हस्ताक्षर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
....

कार्यालय ब्लॉक.......................................जिला..........................

शिक्षक अनुदान/टी.एल.एम.

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 मे ब्लॉक............................ जिला........................ के विद्यालयो को प्राप्त शिक्षक अनुदान की राशि का उपयोग संबंधित एसएमसी द्वारा शिक्षक अनुदान हेतु परिषद से जारी दिशा–निर्देशो के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र मे यू.सी. प्रति माह प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है:–

क्र. स.	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	एसएमसी को प्राप्त राशि	एसएमसी द्वारा व्यय राशि	शेष राशि	वि.वि
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

हस्ताक्षर
संदर्भ व्यक्ति
....

हस्ताक्षर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
....

विद्यालय का नाम–

प्रपत्र

सत्र 2017 –2018

क्र. सं.	योजना का नाम	प्राप्त राशि मय दिनांक	व्यय की गई राशि	शेष राशि	शेष राशि डीपीसी कार्यालय को लौटाया जाने का विवरण		वर्तमान में शेष राशि
					चेक नं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6		
1	विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी)						
2	स्वच्छता अनुदान (राशि)						
3	स्टेशनरी सीसीई कक्षा 01 से 05 तक 05/– प्रति छात्र						
4	ट्रांसपोर्ट वाऊचर						
5	व्यवसायिक शिक्षा						
6	रेमेडियल कक्षा						
7	गार्गी मंच						
8	आईसीटी लैब						
9	विद्यालय विद्युतीकरण						
10	पुस्तकालय						
11	अन्य						

नोंट– रमसा कार्यालय द्वारा आपके कार्यालय/विद्यालय को प्रारम्भ से आज तक सत्र वार राशि जारी की गई है, उसकी सूचना प्रत्येक सत्र की अलग–अलग उक्त प्रारूप मे तत्काल अद्धोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावें।

हस्ताक्षर
संस्थाप्रधान मय सील

शैक्षिक समाचार राजस्थान

विद्यालय का नाम–

प्रपत्र

सत्र 2017 –2018

क्र. सं.	योजना का नाम	प्राप्त राशि मय दिनांक	व्यय की गई राशि	शेष राशि	शेष राशि डीपीसी कार्यालय को लौटाया जाने का विवरण		वर्तमान में शेष राशि
					चेक नं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6		
1	विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी)						
2	स्वच्छता अनुदान (राशि)						
3	स्टेशनरी सीसीई कक्षा 01 से 05 तक 05/– प्रति छात्र						
4	ट्रांसपोर्ट वाऊचर						
5	व्यवसायिक शिक्षा						
6	रेमेडियल कक्षा						
7	गार्गी मंच						
8	आईसीटी लैब						
9	विद्यालय विद्युतीकरण						
10	पुस्तकालय						
11	अन्य						

नोंट– रमसा कार्यालय द्वारा आपके कार्यालय/विद्यालय को प्रारम्भ से आज तक सत्र वार राशि जारी की गई है, उसकी सूचना प्रत्येक सत्र की अलग–अलग उक्त प्रारूप मे तत्काल अद्धोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावें।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

हस्ताक्षर
संस्थाप्रधान मय सील

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान

फैक्स: 0141–2701822

email : rajssa _cmecce@yahoo.com

क्रमांक : 15(31) राप्राशिप / जय / सामु.गति. / एसएमसी प्रशि. / दिशा निर्देश / 2017–18 / 3162 दिनांक : 22/6/17

दिशा–निर्देश
(सत्र 2017–18)

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर एसएमसी सदस्यों के लिए आयोजित किये जाने वाले तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण

प्रस्तावना :–

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–21 के प्रावधानानुसार राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा में सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता / अभिभावक, प्रत्येक अध्यापक, कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि सदस्य हैं। समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। गठित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनमें क्षमता विकास करना आवश्यक है ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सकें। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.15(1) प्राशि / संस्थापन / 2017 / जयपुर / दिनांक 07.02.2017 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में (ग्राम पंचायत क्षेत्रों में) पूर्व से प्रचलित नोडल विद्यालय व्यवस्था को समाप्त कर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी **(PEEO)** को **(CRCF)** के रूप में नामित किया गया है। अतः वर्तमान में **PEEO** द्वारा ही नोडल विद्यालय का दायित्व निभाया जाना है। शहरी क्षेत्र (नगरीय निकाय क्षेत्र) में नोडल व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी। इस हेतु **PEEO**/शहरी नोडल विद्यालय स्तर **(CRCF)** पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हैं।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2017-18 में **PEEO**/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर एसएमसी सदस्यों को तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को उनके दायित्वों, आरटीई एक्ट के प्रावधानों, सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों, मिड–डे–मील, बाल अधिकारों, आपणी लाडो, "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम, विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, विद्यालय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र, विद्यालय में संधारित लेखों का सामाजिक अंकेक्षण, आपदा प्रबंधन आदि के बारे मे जानकारी देना, विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करना, बालकों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, जैण्डर से सम्बन्धित विषयों पर संवेदनशील करना, विद्यालय स्तर पर योजना निर्माण करना एवं विद्यालय विकास में जनसाधारण की सहभागिता प्राप्त करना आदि शामिल हैं। कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्य जिन्होंने वर्ष 2016-17 तथा इससे पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नही किया है को प्राथमिकता देते हुए एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों तथा एक जनप्रतिनिधि को शामिल करते हुए प्रत्येक एसएमसी में से 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

1. वर्ष 2017-18 में विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

(लाख रूपये में)

क्र.स.	गतिविधि	यूनिट कॉस्ट (प्रति व्यक्ति तीन दिवस)	लक्ष्य 2017-18	
			भौतिक	वित्तीय
1	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण संभागी × दिन × दर प्रतिदिन 406968 × 3 × 100 = **1220.90** लाख रूपये	**0.00300**	**406968**	**1220.90**

2. **प्रशिक्षण मॉड्यूल** : विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को राज्य स्तर पर तैयार किये गये "विद्यालय प्रबन्धन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल"के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है।

3. **राज्य स्तर पर मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) के प्रशिक्षण** :

प्रत्येक जिले से 4 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) को राज्य स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिन जिलों में दस से अधिक ब्लॉक्स हैं वहां से 5 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के रूप में, पूर्व वर्षो में मुख्य संदर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षक, डाइट फैक्ल्टी, ब्लॉक आरपी या प्रशिक्षण में दक्षता रखने वाले जिले के किसी अन्य शिक्षक आदि में से नामित किया जा सकता है। जिला परियोजना कार्यालय प्रशिक्षण कार्य में रूचि रखने वाले सक्षम एवं दक्ष प्रशिक्षकों को चयनित कर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भेजें। प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्तियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण के लिए आने वाले मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को नियमानुसार टीए/डीए देय होगा।

4. **ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण** :

राज्य स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण उपरान्त PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर (CRCF) पर एसएमसी सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए संदर्भ व्यक्यों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्य में रूचि, अनुभव एवं दक्षता रखने वाले ब्लॉक के 20 से 25 शिक्षक/संस्था प्रधानों को सम्मिलित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किये जाने वाले PEEO/Head Teacher/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधानों के अलावा शेष सभी PEEO/ उनके द्वारा नामित Head Teacher को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगा ताकि प्रशिक्षण के समय वे प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन सही प्रकार से कर सकें एवं आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी निभा सकें। प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक ब्लॉक कार्यालय इन चिन्हित 20 से 25 संदर्भ व्यक्तियों की सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायें। जिला कार्यालय ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिन्हित सूची में से PEEO/शहरी नोडलवार (CRCF) प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार संदर्भ व्यक्ति लगाये।

नोडल संस्था प्रधानों/संदर्भ व्यक्तियों के लिए ब्लॉक स्तर पर आयोज्य प्रशिक्षण का व्यय प्रशिक्षण शाखा द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जाए। यह व्यय विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी समिति सदस्यों के PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोज्य तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2017-18 में निर्धारित बजट में से किया जायेगा। चूंकि संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अलग से बजट प्रावधान नहीं है।

अतः कुल प्रति व्यक्ति 300/- रूपये यूनिट कॉस्ट में से 15/- रूपये यूनिट कॉस्ट का आवश्यकतानुसार व्यय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण में किया जाए तथा विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु जिले को आवंटित भौतिक लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण कार्ययोजना तैयार कर प्रति संभागी तीन दिवस का 285/- रूपये व्यय किया जाए। जिला परियोजना कार्यालय इस बात का ध्यान रखे कि एसएमसी प्रशिक्षण के लिए जिले को आवंटित बजट से अधिक किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जाए अन्यथा सम्बन्धित से व्यक्तिगत वसूली की जावेगी।

5. जिला स्तर पर समीक्षा बैठक :

ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण से पूर्व जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित कर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले समस्त गतिविधियों के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी जावे ताकि ब्लॉक स्तर पर एवं PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर (CRCF) पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण में वे अपना सकारात्मक योगदान दे सकें। समीक्षा बैठक में ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्ययोजना भी निम्न प्रपत्र में तैयार करें इसमें राज्य स्तर से प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्ति को भी आमंत्रित किया जाए। कार्ययोजना की प्रति ब्लॉक कार्यालय को दी जाए तथा एक प्रति परिषद कार्यालय को भी प्रेषित की जाए। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात् 10 दिनों के अन्दर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाएँ। ब्लॉक कार्यालय द्वारा संदर्भ व्यक्तियों/PEEO/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण के दिनांक की सूचना समय पर दी जाए।

ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण कार्ययोजना

जिले का नाम : ....

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक पर प्रशिक्षण की दिनांक	प्रशिक्षण हेतु नियुक्त केआरपी का नाम

6. PEEO/शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति :

जिला परियोजना कार्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय से प्रत्येक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी। परन्तु नियुक्त संदर्भ व्यक्ति के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक कार्यालय से तत्काल आरक्षित संदर्भ व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा ताकि प्रशिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर 30 से कम संभागियों के होने पर एक संदर्भ व्यक्ति एवं 30 या 30 से अधिक संभागियों के होने पर दो संदर्भ व्यक्तियों को लगाया जाए। लेकिन एक बैच में 40 से अधिक संभागी ना हो। इससे अधिक संभागी होने पर पृथक् बैच बनाया जाए।

- प्रशिक्षण स्थल पर पदस्थापित PEEO अथवा उनके द्वारा नामित Head Teacher/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान को प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति के रूप में कार्य करने पर पृथक से मानदेय का प्रावधान नहीं है।

7. भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण : –

- जिले के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1** पर संलग्न हैं।
- चूंकि, प्रत्येक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या समान नहीं है इसलिए जिला कार्यालय द्वारा वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जावें।

8. ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रभारी के साथ एक बैठक आयोजित करते हुए प्रशिक्षण हेतु निम्न प्रपत्र में योजना का निर्माण करें :–

एसएमसी प्रशिक्षण कार्य योजना

जिले का नाम :–

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय का नाम	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय के अधीन प्रावि/उप्रावि Composite विद्यालयों की संख्या	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय का भौतिक लक्ष्य			PEEO/शहरी नोडल विद्यालय का वित्तीय लक्ष्य सदस्यों की संख्या × रूपये 285	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण की दिनांक
				प्रशिक्षण में भाग ले रहे एसएमसी के कार्यकारिणी के सदस्य (प्रति विद्यालय 5)	चुने हुए जन प्रतिनिधि (PRI) जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हो (प्रति विद्यालय एक)	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर कुल संभागी		

हस्ताक्षर

- बिन्दु संख्या 8 के अनुसार जिला स्तर से कार्ययोजना के अंतिमीकरण के बाद चरणबद्ध तरीके से PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण अगस्त 2017 से अक्टूबर 2017 के मध्य आयोजित किये जायेंगे।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण एक साथ आयोजित न करके चरणों में आयोजित किया जाए ताकि सघन एवं सुगम मॉनिटरिंग की जा सकें। एक ब्लॉक में एक चरण में 10 से अधिक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय में प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जाए।
- प्रत्येक जिले द्वारा PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण की कार्य योजना निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से कम से कम 15 दिवस पूर्व परिषद मुख्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए।
- कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को मिलाकर 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है। यदि किसी विद्यालय परिक्षेत्र के जनप्रतिनिधि अन्य किसी विद्यालय के एसएमसी सदस्य के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और उस विद्यालय के एसएमसी में अन्य कोई **जनप्रतिनिधि सदस्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके स्थान पर कार्यकारिणी समिति के ही एक अतिरिक्त सदस्य को जोड़कर** 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए।
- समस्त प्रशिक्षणों का वित्तीय समायोजन प्रशिक्षण समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से कर दिया जावे। किसी भी स्थिति में समायोजन को लम्बित नहीं रखा जावे।
- समय–समय पर विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के कुछ सदस्यों की कार्यकारिणी समिति से सदस्यता का समाप्त होना कई कारणों से संभावित है। जैसे :– बच्चे का अन्तिम कक्षा पास करके निकल जाना, बच्चों का ड्रॉप–आउट हो जाना, बच्चों का विद्यालय परिवर्तन कर देना, अभिभावक का स्थान परिवर्तन हो जाने के कारण बच्चों का विद्यालय छोड़ देना आदि। इसलिए प्रशिक्षण से पूर्व यह अति आवश्यक है कि

विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठक बुलाकर रिक्त हुए पदों को विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कर भरा जाए तथा नव निर्वाचित सदस्यों को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाए।

जिला परियोजना कार्यालय के दायित्व :

- टाईम लाइन चार्ट में निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण सम्पन्न करना।
- ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 7 दिवस पूर्व एवं PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर एसएमसी सदस्यों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 15 दिवस पूर्व परिषद को उपलब्ध कराना।
- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु स्वीकृति, आवश्यक राशि एवं दिशा निर्देश समय रहते PEEO/शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय तक पहुँचाना सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों की संख्या के आधार पर ब्लॉकवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु सम्पूर्ण राशि एक साथ जारी नहीं की जाकर PEEO/शहरी नोडल विद्यालय हेतु निर्धारित लक्ष्य की 60 प्रतिशत राशि जारी करना तथा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र/उपस्थिति के आधार पर वास्तविक व्यय की शेष राशि जारी करना।
- जिला कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु राशि सीधे ही PEEO/शहरी नोडल विद्यालय एसएमसी. के खाते में जारी करना तथा इसकी सूचना ब्लॉक कार्यालय को भी प्रेषित करना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का निर्धारण संभागियों की संख्या 30 मानकर किया गया है। परन्तु इस संख्या में PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार परिवर्तन संभावित है। अतः संभागियों की संख्या 30 से अधिक होने पर निर्धारित मानदण्डानुसार राशि कम होने की स्थिति में जिला कार्यालय द्वारा बचत वाले PEEO/शहरी नोडल विद्यालय से राशि कमी वाले PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर दी जा सकती है परन्तु जिले का प्रति व्यक्ति औसत व्यय निर्धारित राशि से अधिक न हो।
- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण एवं एसएमसी प्रशिक्षण का अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवलोकन सुनिश्चित करना।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं उपस्थिति के आधार पर शेष राशि जारी की जाने से पूर्व ब्लॉक कार्यालय से संभागियों के रजिस्ट्रेशन पत्र/उपस्थिति पंजिका, प्रशिक्षण प्रतिवेदन और ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की अवलोकन रिपोर्ट और आर.पी. द्वारा प्रमाणित उपस्थिति, फोटो आदि की प्राप्ति के प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण की शेष राशि जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आमंत्रित सदस्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधान अनुसार गठित विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से ही थे। यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2016-17 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है।
- प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् 15 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं, प्रतिवेदन एवं फोटो एलबम परिषद मुख्यालय को भिजवाना।
- प्रशिक्षण का भुगतान, विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी सदस्यों की संख्या के अनुपात में ही किया जाए।

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर तीन दिवसीय गैर आवासीय एसएमसी प्रशिक्षण सूचना

जिला :–

प्रपत्र–अ

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	ब्लॉक का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
	एसएमसी सदस्यों के PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1						
2						
	योग					

हस्ताक्षर

जिला :–

प्रपत्र–ब

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	एसएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO/ शहरी नोडल विद्यालय को आवंटित भौतिक लक्ष्य	प्रशिक्षण में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित एचएम/ सदस्य शिक्षक एवं पुरस्कृत शिक्षक /शिक्षा शास्त्री की सं0	प्रशिक्षण में उपस्थित कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों की संख्या	कुल	संभागियों का वर्गवार विवरण								कुल		
							सामान्य		ओबीसी		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति				
						(4+5+6)	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
	योग																

हस्ताक्षर

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण

जिला :–

प्रपत्र – स

क. स.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों की सं0	उपस्थित जन प्रतिनिधियों की सं0	उपस्थित जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण						कुल
				जिला पार्षद	नगर पार्षद	पंचायत समिति सदस्य	सरपंच	वार्डपंच	अन्य जनप्रतिनिधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

नोट :– प्रपत्र–ब के कॉलम सं0 4 में दर्शाये जनप्रतिनिधियों की संख्या का प्रपत्र–स में वर्गीकरण कराया गया है।

हस्ताक्षर

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का वर्गीकरण

जिला :–

प्रपत्र – द

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल संभागी	साक्षर संभागियों की संख्या		असाक्षर संभागियों की संख्या		योग	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

<u>बीईईओ के दायित्व</u> :

ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन पूर्व बीईईओ निम्न तैयारियों की कार्यक्रम प्रभारी के माध्यम से समीक्षा करें :–

- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण की सूचना संभागियों को समय पर देना, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण उपरान्त चयनित न्यूनतम 20-25 संदर्भ ब्यक्तियों की सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोज्य एसएमसी प्रशिक्षण की कार्ययोजना समय रहते तैयार करके जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- जिला कार्यालय के साथ समन्वय करके PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति करना।
- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु दिशा निर्देश की PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा (संदर्भ व्यक्ति) स्वयं एवं ब्लॉक के अन्य संदर्भ व्यक्तियों एवं अधिकारियों की अवलोकन कार्य योजना तैयार करना तथा तदनुसार प्रशिक्षण का अवलोकन करना।
- प्रशिक्षण अवलोकन के दौरान उपस्थिति पंजिका में सदस्यों की उपस्थिति प्रमाणित करना।
- प्रत्येक प्रशिक्षण का अवलोकन करना, संभागियों की उपस्थिति के प्रमाणीकरण के समय सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागी विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारणी समिति के ही सदस्य हो तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2016–17 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है।
- संदर्भ व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त 10 दिन के अन्दर प्रशिक्षण के फोटोग्राफस विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या, प्रशिक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में सूचना एवं फोटोग्राफस आवश्यक रूप से जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- जिला कार्यालय को यू.सी. एवं आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रशिक्षण की शेष राशि जारी करवाना।

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रधानाध्यापक के दायित्व :-

- जिला परियोजना/बीईईओ कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार करना।
- वर्ष 2016-17 तथा पूर्व वर्षो में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये कार्यकारिणी के सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए कार्यकारिणी सदस्यों में से 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को चिन्हित कर उनकी प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करना।
- प्रधानाध्यापक, PEEO से समन्वय करते हुए चिन्हित/चयनित एसएमसी सदस्यों एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना लिखित में उचित माध्यम से कम से कम प्रशिक्षण से 7 दिन पूर्व देना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी श्रेणी के सदस्यों यथा-महिलाओं, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अल्पसंख्यकों, शिक्षा से वंचित विशेष वर्ग आदि से प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को समस्त प्रधानाध्यापक, PEEO स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक एसएमसी सदस्य एवम् जनप्रतिनिधियों का पंजीकरण प्रपत्र संधारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण की दिनांक पर PEEO/PEEO द्वारा नामित Head Teacher/शहरी नोडल विद्यालय प्रधानाध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य है एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति की भूमिका का निर्वाह करना।
- प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना यथा-बिल वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलन आदि।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति के प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल को विद्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर एसएमसी सदस्यों द्वारा मॉड्यूल में दी गई जानकारी का उपयोग किया जा सकें।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय यथा-चाय नाश्ता, प्रशिक्षण सामग्री, संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय, संभागियों का किराया, प्रशिक्षण आयोजन हेतु बैठक व्यवस्था, फोटोग्राफ आदि पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं करना है।
- प्रशिक्षण समाप्ति के 7 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं, प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ एवं यू.सी. एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र बीईईओ कार्यालय को भिजवाना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान या उनके द्वारा मनोनीत अध्यापक ही व्यवस्थापक का कार्य करेंगे।

व्यय प्रावधान :-

- विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रावधित राशि 300/- रूपये प्रति व्यक्ति तीन दिवस में से PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु राशि 285/- रूपये प्रति व्यक्ति औसतन 30 संभागियों हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था निम्न प्रकार किया जाए एवं शेष* राशि में से ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का व्यय किया जाए।

30 संभागियों के लिए प्रावधित राशि = 9000/-

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर प्रशिक्षण–संभागी × दिन × दर

30 × 3 × 95 = 8550/-

क्र.सं.	विवरण	राशि रूपये	30 संभागियों पर व्यय
1.	भोजन एवं किराये का संभागियों को नकद भुगतान	135/- प्रति संभागी (तीन दिवस का)	4050.00
2.	जलपान (चाय–नाश्ता)	45/- प्रति संभागी (तीन दिवस का)	1350.00
	विविध व्यय		
3.	स्टेशनरी	10/- प्रति संभागी	300.00
4.	दक्ष प्रशिक्षक मानदेय (प्रत्येक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर अधिकतम 2 दक्ष प्रशिक्षक)	300/- प्रति दक्ष प्रशिक्षक प्रतिदिन	1800.00
5.	कार्यक्रम की व्यवस्था पर होने वाले अन्य विविध व्यय, बैठक व्यवस्था, सफाई, पानी, फर्श, दरी, फोटोग्राफी, प्रतिवेदन, सहायक सामग्री आदि पर,		750.00
6.	व्यवस्थापक को मानदेय	100/- रूपये प्रतिदिन	300.00
	योग		**8550**
	शेष*		**450**
	महायोग		**9000**

- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी सदस्यों एवं जनप्रतिनिधि को देय नकद भुगतान का बिल निम्न प्रारूप में संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधानाध्यापक से प्रमाणित करावें।
- आयोजन हेतु किए गए व्यय का भुगतान चैक अथवा बैंक खाते में किया जावे।

प्रपत्र

PEEO/**शहरी नोडल विद्यालय का नाम** :.............................. **प्रशिक्षण दिनांक** :...............

क्र. सं.	विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम	उपस्थित सदस्य का नाम	उपस्थित दिनों की संख्या	देय नकद राशि	एसएमसी सदस्य के हस्ताक्षर	संबंधित एसएमसी के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणीकरणकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1						

- प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

सामुदायिक गतिशीलता गतिविधि टाईम लाइन चार्ट 2017–18

S.No	Activity	Apr 17	May 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 17	Nov 17	Dec 17	Jan 18	Feb 18	Mar 18
1	एसएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार कार्य योजना निर्माण				√	√							
2	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण				√								
3	संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण					√							
4	एसएमसी सदस्यों का PEEO/श्शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण					√	√	√					
5	प्रगति की समीक्षा एवं व्यय समायोजन							√	√				

(डॉ.जोगाराम)
आयुक्त

क्रमांक : 15 (31) राप्राशिप / जय / सामु.गति. / एसएमसी प्रशि. / दिशा निर्देश / 2017–18 / 3163 दिनांक : 22/6/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. नियत्रंक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त–जिला।
5. उपायुक्त (प्लान) / मॉनिटरिंग, राप्राशिप, जयपुर।
6. उपायुक्त (आईटी) राप्राशिप, जयपुर। (वेब पोर्टल में अपलोड हेतु)
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राप्राशिप, जयपुर।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, RMSA।
10. समस्त PEEO
11. रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त आयुक्त

COMMUNITY MOBILISATION

SMC /PRI Training

(SMC Executive Members and PRI)

Proposed Physical and Financial Target of Districts 2017-18

S. No.	District	Total No. of Govt. PS, UPS & Composite Sec./Sr. Sec. Schools*	Three Day Training at Nodal Level	
			Target	
			Phy.	Fin. (in lacs)
1	Ajmer	1887	11322	33.97
2	Alwar	2875	17250	51.75
3	Banswara	2965	17790	53.37
4	Baran	1590	9540	28.62
5	Barmer	4831	28986	86.96
6	Bharatpur	1763	10578	31.73
7	Bhilwara	2897	17382	52.15
8	Bikaner	2026	12156	36.47
9	Bundi	1272	7632	22.90
10	Chittaurgarh	1829	10974	32.92
11	Churu	1440	8640	25.92
12	Dausa	1563	9378	28.13
13	Dhaulpur	1137	6822	20.47
14	Dungarpur	2469	14814	44.44
15	Ganganagar	1964	11784	35.35
16	Hanumangarh	1109	6654	19.96
17	Jaipur	3813	22878	68.63
18	Jaisalmer	1201	7206	21.62
19	Jalor	1929	11574	34.72
20	Jhalawar	1722	10332	31.00
21	Jhunjhunu	1622	9732	29.20
22	Jodhpur	3560	21360	64.08
23	Karauli	1414	8484	25.45
24	Kota	1093	6558	19.67
25	Nagaur	3095	18570	55.71
26	Pali	1806	10836	32.51
27	Pratapgarh	1583	9498	28.49
28	Rajsamand	1740	10440	31.32
29	Sawai Madhopur	1067	6402	19.21
30	Sikar	1980	11880	35.64
31	Sirohi	928	5568	16.70
32	Tonk	1472	8832	26.50
33	Udaipur	4186	25116	75.35
	Total	**67828**	**406968**	**1220.90**

**Source:U.DISE 2016-17*

T. D Gogne

आकाश दीप अरोड़ा

एसएमसी सदस्य प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र 2017–18

1. अवलोकनकर्ता का नाम :– .... पद ....
2. पदस्थापन स्थान :– .... मो.न. ....
3. अवलोकन की तिथि एवं समय ....
4. प्रशिक्षण आयोजक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय का नाम :– ....
5. PEEO/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान का नाम .... मो. न. ....
6. PEEO/शहरी नोडल विद्यालय के अधीन विद्यालयों की संख्या :– ....
7. प्रशिक्षण स्थल :– .... ब्लॉक :– ....जिला.............................
8. प्रशिक्षण दिनांक :– ....

7 प्रशिक्षण देने वाले संदर्भ व्यक्ति :–

(अ) नाम :– .... पद :– ....पदस्थापन स्थान :–...................मो.न. ....

(ब) नाम :– .... पद :– ....पदस्थापन स्थान :–...................मो.न. ....

8 कुल पंजीकृत संभागी :–. पुरूष ....महिला.................योग.....................

9 प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित संभागीगण :–

(अ) जनप्रतिनिधि (PRI)::– पुरूष ....महिला ....योग ....

(ब) अभिभावक सदस्य ::– पुरूष ....महिला ....योग ....

(स) मनोनीत सदस्य :– पुरूष ....महिला ....योग ....

(द) संस्था प्रधान (सचिव) पुरूष ....महिला ....योग ....

(य) शिक्षक सदस्य :– पुरूष ....महिला ....योग ....

योग :– पुरूष ....महिला ....योग ....

10 संभागियों की बैठक व्यवस्था :– ....

11. मॉड्यूल की उपलब्धता :– ....

12 अवलोकन के समय मॉड्यूल के किस विषय पर चर्चा हो रही थी :– ....

13 संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण देने का स्तर :– ....

14 प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे संभागियों के विचार :–

----

15. प्रशिक्षण व्यवस्था सुधारने में तत्काल दिये गये निर्देश :–

----

16 प्रशिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में अवलोकनकर्ता की टिप्पणी / सुझाव :–

प्रशिक्षण आयोजक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर (मय सील)

हस्ताक्षर अवलोकनकर्ता
दिनांक :–

कार्यालय का नाम :– ....

स्वच्छ शौचालय उपयोगिता प्रमाण पत्र

1. विद्यालय का नाम :–
2. नोडल विद्यालय का नाम :–
3. ब्लॉक का नाम :–
4. मद का नाम :–

क्र.सं.	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया	बिल क्रमांक दिनांक	क्रय की गई सामग्री	सामग्री मात्रा	दर	राशि	स्टॉक रजिस्टर की इन्द्राज संख्या

5. गतिविधि पर कुल व्यय की गई राशि ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यय विवराणानुसार क्रय की गई समस्त सामग्री बाजार दर का आंकलन कर न्यूनतम मूल्य पर क्रय की गई। जिनका इन्द्राज स्टोक रजिस्टर में उपरोक्तानुसार कर विद्यालय की रोकड पंजिका के पृष्ठ संख्या .... दिनांक .... पर कर लिया है

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2014–15 में माह .... से माह .... तक .... विद्यालय.. को प्राप्त विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि रू .... दिनांक .... का उपयोग उन्हीं उददेश्यों के लिए किया गया, जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था। शेष राशि (यदि कोई हो) रू .... इस मद में अधिशेष है। विद्यालय के समस्त शौचालय एवं पेयजल सुविधा स्वच्छ एवं कार्यशील हैं। विद्यालय में समस्त विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता सुविधाओं का नियमित उपयोग किया जाता है एवं साबुन से हाथ धाये जाते हैं।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष सचिव

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

सत्र 2017–18 हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति .... को दिनांक .... को प्राप्त टीएलएम राशि से निर्मित/क्रय शिक्षण अधिगम सामग्री को रजिस्टर के पृष्ठ संख्या .... पर दर्ज कर लिया गया है। सामग्री का कक्षा .... विषय .... के शिक्षण में उपयोग किया जा रहा है।

क्र. सं.	माह का नाम	नाम सामग्री	मात्रा	दर	राशि	विषय वस्तु जिससे सम्बन्धित है	कच्चे माल से तैयार मॉडल का विवरण	भंडार पंजिका इन्द्राज पृ. सं./ दि.	अध्यापक जिसको इश्यू की गई

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... के अनुसार क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया।

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
अध्यक्ष (एसएमसी)

हस्ताक्षर
अध्यापक

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम .... यू डाइस कोड ....

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट) प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में प्राप्त विद्यालय सुविधा अनुदान राशि रू. ....का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा कर लिया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रूपये .... का चैक संख्या .... बैंक .... शाखा .... दिनांक .... द्वारा वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र० सं०	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	

प्रमाणित किया जात है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबंधन समिति के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है। जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबन्धन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबन्धन समिति
....

नोट :– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम .... यूडाइस कोड ....

विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान में प्राप्त राशि .... दिनांक ....

बैंक का नाम .... बैंक खाता संख्या ....

<u>सामग्री क्रय एवं उपयोगिता विवरण</u>

क्र० सं०	बिल संख्या	दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि	स्टॉक रजि. पृष्ठ संख्या	उपयोग का विवरण

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जात है कि विद्यालय प्रबन्धन समिति .... को सत्र 2016–17 में प्राप्त विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान राशि रू. .... का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति में पारित प्रस्ताव संख्या .... के अनुसार कर लिया गया है। इससे निम्नलिखित कार्य कराये गये –

....

....

....

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबन्धन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबन्धन समिति
....

कार्यालय का नाम :– ....

स्वच्छ शौचालय उपयोगिता प्रमाण पत्र

1. विद्यालय का नाम :–
2. नोडल विद्यालय का नाम :–
3. ब्लॉक का नाम :–
4. मद का नाम :–

क्र.सं.	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया	बिल क्रमांक दिनांक	क्रय की गई सामग्री	सामान मात्रा	दर	राशि	स्टॉक रजिस्टर की इन्द्राज संख्या

5. गतिविधि पर कुल व्यय की गई राशि ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यय विवरणानुसार क्रय की गई समस्त सामग्री बाजार दर का आंकलन कर न्यूनतम मूल्य पर क्रय की गई। जिनका इन्द्राज स्टोक रजिस्टर में उपरोक्तानुसार कर विद्यालय की रोकड पंजिका के पृष्ठ संख्या .... दिनांक .... पर कर लिया है

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2014–15 में माह .... से माह .... तक .... विद्यालय.. को प्राप्त विद्यालय स्वच्छता अनुदान राशि रू .... दिनांक .... का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया, जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था। शेष राशि (यदि कोई हो) रू .... इस मद में अधिशेष है। विद्यालय के समस्त शौचालय एवं पेयजल सुविधा स्वच्छ एवं कार्यशील हैं। विद्यालय में समस्त विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता सुविधाओं का नियमित उपयोग किया जाता है एवं साबुन से हाथ धाये जाते हैं।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष सचिव

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

सत्र 2017–18 हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति .... को दिनांक .... को प्राप्त टीएलएम राशि से निर्मित/क्रय शिक्षण अधिगम सामग्री को रजिस्टर के पृष्ठ संख्या .... पर दर्ज कर लिया गया है। सामग्री का कक्षा .... विषय .... के शिक्षण में उपयोग किया जा रहा है।

क्र. सं.	माह का नाम	नाम सामग्री	मात्रा	दर	राशि	विषय वस्तु जिससे सम्बन्धित है	कच्चे माल से तैयार मॉडल का विवरण	भंडार पंजिका इन्द्राज पृ. सं./ दि.	अध्यापक जिसको इश्यू की गई

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... के अनुसार क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया।

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
अध्यक्ष (एसएमसी)

हस्ताक्षर
अध्यापक

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम .... यू डाइस कोड ....

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट) प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में प्राप्त विद्यालय सुविधा अनुदान राशि रू. .... का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा कर लिया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रूपये .... का चैक संख्या .... बैंक .... शाखा .... दिनांक .... द्वारा वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र० सं०	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा / संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	

प्रमाणित किया जात है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रंबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है। जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबन्धन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबन्धन समिति
....

नोट :– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम .... यूडाइस कोड ....

विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान में प्राप्त राशि .... दिनांक ....

बैंक का नाम .... बैंक खाता संख्या ....

सामग्री क्रय एवं उपयोगिता विवरण

क्र० सं०	बिल संख्या	दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि	स्टॉक रजि. पृष्ठ संख्या	उपयोग का विवरण

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जात है कि विद्यालय प्रबन्धन समिति .... को सत्र 2016–17 में प्राप्त विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव अनुदान राशि रू. .... का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति में पारित प्रस्ताव संख्या .... के अनुसार कर लिया गया है। इससे निम्नलिखित कार्य कराये गये –

....

....

....

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबन्धन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबन्धन समिति
....

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष : 0141–5192265, 5192261 E-mail: modelschools.rcse@gmail.com

RCSE

क्रमांक : रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/एस.ए.जी.–14/3123 दिनांक : 16/5/17

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

शैक्षिक समाचार

विषय :– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2017–18 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग संबंधी दिशा–निर्देश।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2017–18 की वार्षिक योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग संबंधी दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

A. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2017–18 की राशि के उपयोग हेतु सामान्य दिशा–निर्देश :–

1. रामाशिअ की वार्षिक योजना 2017–18 में विद्यालय वार्षिक अनुदान14056 विद्यालयों हेतु 50,000 रू. प्रति विद्यालय की दर से स्वीकृत किया गया है, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग विद्यालय आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित वित्तीय सीमा में निम्नांकित मदों हतु किया जावे :–
   - 1.1. बिजली, पानी, टेलिफोन, इंटरनेट, सफाई, रंगाई, पुताई आदि सुविधाओं पर।
   - 1.2. समाचार पत्रों, मैग्जीन, पीरियोडिकल्स, पुस्तक क्रय आदि पर।
   - 1.3. खेलकूद सामग्री, संगीत, शिक्षण सहायक सामग्री, नक्शे, चार्टस, स्टेशनरी आदि पर।
   - 1.4. स्पोर्ट्स दिवस, वार्षिक समारोह, शिक्षक अभिभावक संघ व विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति बैठक आयोजन।
   - 1.5. प्रयोगशाला उपकरणों के रिपेयर/रिप्लेसमेंट एवं प्रयोगशाल Consumables. अग्निशमन यंत्र रख–रखाव।
   - 1.6. अन्य आवर्ती मद में विद्यालय आवश्यकतानुसार।

नोट :– अनावर्ती मद जैसे फर्नीचर, उपकरण क्रय एवं अन्य स्थायी सामग्री आदि पर व्यय नहीं किया जावे।

2. एसएजी राशि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय, मॉडल स्कूलों एवं संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों को ही जारी की गई है।
3. विद्यालयों द्वारा उक्त राशि एवं इसके विरूद्ध किये गये व्यय का पृथक से रिकॉर्ड संधारण किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित हो एवं विद्यालय पर इसका गुणात्मक प्रभाव

दिखाई दे इसके लिए पुख्ता मॉनिटरिंग एवं आकस्मिक निरीक्षण का प्रावधान भी जिला स्तर पर किया जावें।

4. राज्य स्तर से लगातार प्रभारी अधिकारियों द्वारा विजिट के दौरान उक्त राशि की उपयोगिता बाबत् निरीक्षण किया जावेगा।
5. जिला कार्यालय को परिषद् से राशि प्राप्त होने के उपरांत सात दिवस के भीतर राशि संबंधित विद्यालयों में भिजवाना सुनिश्चित करें। विद्यालयों को प्रेषित की गई राशि की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 31.07.2017 तक राज्य कार्यालय को प्रेषित करें।
6. विद्यालयों को इस राशि के समुचित उपयोग के लिए संबंधित संस्थाप्रधानों को उपयुक्त एवं स्पष्ट निर्देश जारी करें।
7. सभी विद्यालयों द्वारा उन्हें प्राप्त राशि का शत् प्रतिशत उपयोग दिनांक 28.02.2018 तक निर्धारित मापदण्डानुसार कर लिया जावें। विद्यालयों को राशि जारी किए जाने की सूचनाा सात दिवस के भीतर परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करें।
8. विद्यालयों को जारी की गई राशि के विरूद्ध व्यय की सूचना संलग्न पत्रानुसार संकलित करें। (संलग्न प्रपत्र 1–4)

B. कार्य प्रक्रिया–विद्यालय स्तर पर :–

1. सर्वप्रथम विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति अपने विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हिकरण करें एवं प्राथमिकता अनुसार विद्यालण्य विकास एवं प्रबंधन समिति में प्रस्ताव का अनुमोदन करावें।
2. क्रय में वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करें तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च्च स्तरीय होनी चाहिए।
3. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल बाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
4. उपयोग के पश्चात् वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा जिला कार्यालय में प्रेषित किया जावे। इस हेतु संस्थाप्रधानों को निर्देशित करें।

विद्यालय वार्षिक अनुदान की जारी राशि का व्यय निम्न मदों में नहीं किया जावे :–

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्रधानाध्यापक/स्टॉफ कक्ष में फर्नीचर क्रय नहीं किया जावे)।
2. उत्सव मनाना व उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।
3. स्थायी सामग्री का क्रय।

C. ध्यान देने योग्य बिन्दु :–

1. विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्णपारदर्शिता एवं नियमानुसार क्रय की जावे।
2. सामग्री क्रय करते समय दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए छात्र/छात्रा हित एवं विद्यालय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जावे।

3. क्रय की गई सामग्री का उचित रख–रखाव करते हुए, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
4. विद्यालय निरीक्षण के दौरान अधिकारी विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत ली गई सामग्री के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2017–18 की क्रियान्विति निर्धारित समय सीमा में ही करें एवं 28 फरवरी, 2018 तक समस्त राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

जिन विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में नामांकन शून्य हैं उन विद्यालयों को यह राशि जारी नहीं की गई हैं।

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

(जस्साराम चौधरी)
अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
2. निजी सहायक, अति.राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
3. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर को देकर लेख है कि सत्र 2017–18 में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समस्त जिला परियोजना समन्वयक रामाशिअ से प्राप्त करावें।
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक, एसएजी, रामाशिप, जयपुर।
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ, समस्त जिले को देकर लेख है कि उपर्युक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।
6. लेखा शाखा, रामाशिप, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

16/5/17

अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष : 0141–5192265, 5192261 E-mail: modelschools.rcse@gmail.com

RCSE

क्रमांक : रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/एस.ए.जी.–14/3123 दिनांक : 16/5/17

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

शैक्षिक समाचार

विषय :– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2017–18 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग संबंधी दिशा–निर्देश।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2017–18 की वार्षिक योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग संबंधी दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

A. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2017–18 की राशि के उपयोग हेतु सामान्य दिशा–निर्देश :–

1. रामाशिअ की वार्षिक योजना 2017–18 में विद्यालय वार्षिक अनुदान14056 विद्यालयों हेतु 50,000 रू. प्रति विद्यालय की दर से स्वीकृत किया गया है, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग विद्यालय आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित वित्तीय सीमा में निम्नांकित मदों हतु किया जावे :–
   - 1.1. बिजली, पानी, टेलिफोन, इंटरनेट, सफाई, रंगाई, पुताई आदि सुविधाओं पर।
   - 1.2. समाचार पत्रों, मैग्जीन, पीरियोडिकल्स, पुस्तक क्रय आदि पर।
   - 1.3. खेलकूद सामग्री, संगीत, शिक्षण सहायक सामग्री, नक्शे, चार्टस, स्टेशनरी आदि पर।
   - 1.4. स्पोर्ट्स दिवस, वार्षिक समारोह, शिक्षक अभिभावक संघ व विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति बैठक आयोजन।
   - 1.5. प्रयोगशाला उपकरणों के रिपेयर/रिप्लेसमेंट एवं प्रयोगशाल Consumables. अग्निशमन यंत्र रख–रखाव।
   - 1.6. अन्य आवर्ती मद में विद्यालय आवश्यकतानुसार।

नोट :– अनावर्ती मद जैसे फर्नीचर, उपकरण क्रय एवं अन्य स्थायी सामग्री आदि पर व्यय नहीं किया जावे।

2. एसएजी राशि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय, मॉडल स्कूलों एवं संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों को ही जारी की गई है।
3. विद्यालयों द्वारा उक्त राशि एवं इसके विरूद्ध किये गये व्यय का पृथक से रिकॉर्ड संधारण किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित हो एवं विद्यालय पर इसका गुणात्मक प्रभाव

दिखाई दे इसके लिए पुख्ता मॉनिटरिंग एवं आकस्मिक निरीक्षण का प्रावधान भी जिला स्तर पर किया जावें।

4. राज्य स्तर से लगातार प्रभारी अधिकारियों द्वारा विजिट के दौरान उक्त राशि की उपयोगिता बाबत् निरीक्षण किया जावेगा।
5. जिला कार्यालय को परिषद् से राशि प्राप्त होने के उपरांत सात दिवस के भीतर राशि संबंधित विद्यालयों में भिजवाना सुनिश्चित करें। विद्यालयों को प्रेषित की गई राशि की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 31.07.2017 तक राज्य कार्यालय को प्रेषित करें।
6. विद्यालयों को इस राशि के समुचित उपयोग के लिए संबंधित संस्थाप्रधानों को उपयुक्त एवं स्पष्ट निर्देश जारी करें।
7. सभी विद्यालयों द्वारा उन्हें प्राप्त राशि का शत् प्रतिशत उपयोग दिनांक 28.02.2018 तक निर्धारित मापदण्डानुसार कर लिया जावें। विद्यालयों को राशि जारी किए जाने की सूचनाा सात दिवस के भीतर परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करें।
8. विद्यालयों को जारी की गई राशि के विरूद्ध व्यय की सूचना संलग्न पत्रानुसार संकलित करें। (संलग्न प्रपत्र 1–4)

B. कार्य प्रक्रिया–विद्यालय स्तर पर :–

1. सर्वप्रथम विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति अपने विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हिकरण करें एवं प्राथमिकता अनुसार विद्यालण्य विकास एवं प्रबंधन समिति में प्रस्ताव का अनुमोदन करावें।
2. क्रय में वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करें तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तरीय होनी चाहिए।
3. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल बाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
4. उपयोग के पश्चात् वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा जिला कार्यालय में प्रेषित किया जावे। इस हेतु संस्थाप्रधानों को निर्देशित करें।

विद्यालय वार्षिक अनुदान की जारी राशि का व्यय निम्न मदों में नहीं किया जावे :–

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्रधानाध्यापक/स्टॉफ कक्ष में फर्नीचर क्रय नहीं किया जावे)।
2. उत्सव मनाना व उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।
3. स्थायी सामग्री का क्रय।

C. ध्यान देने योग्य बिन्दु :–

1. विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्णपारदर्शिता एवं नियमानुसार क्रय की जावे।
2. सामग्री क्रय करते समय दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए छात्र/छात्रा हित एवं विद्यालय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जावे।

3. क्रय की गई सामग्री का उचित रख–रखाव करते हुए, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
4. विद्यालय निरीक्षण के दौरान अधिकारी विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत ली गई सामग्री के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2017–18 की क्रियान्विति निर्धारित समय सीमा में ही करें एवं 28 फरवरी, 2018 तक समस्त राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

जिन विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में नामांकन शून्य हैं उन विद्यालयों को यह राशि जारी नहीं की गई हैं।

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

(जस्साराम चौधरी)
अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
2. निजी सहायक, अति.राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
3. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर को देकर लेख है कि सत्र 2017–18 में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समस्त जिला परियोजना समन्वयक रामाशिअ से प्राप्त करावें।
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक, एसएजी, रामाशिप, जयपुर।
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ, समस्त जिले को देकर लेख है कि उपर्युक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।
6. लेखा शाखा, रामाशिप, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

16/5/17

अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष : 0141–5192265, 5192261 E-mail: modelschools.rcse@gmail.com

RCSE

क्रमांक : रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/एस.ए.जी.–14/3692 दिनांक : 07/06/17

शैक्षिक समाचार राजस्थान

संशोधित दिशा–निर्देश

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय :–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2017–18 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग संबंधी संशोधित दिशा–निर्देश।

सन्दर्भः–रामाशिप का पत्रांक रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/एस–ए–जी–14/3123 दिनांक 16.05.2017

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2017–18 की वार्षिक योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग संबंधी संशोधित दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

A. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2017–18 की राशि के उपयोग हेतु सामान्य दिशा–निर्देश :–

1. रामाशिअ की वार्षिक योजना 2017–18 में विद्यालय वार्षिक अनुदान14056 विद्यालयों हेतु 50,000 रू. प्रति विद्यालय की दर से स्वीकृत किया गया है, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग विद्यालय आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित वित्तीय सीमा में निम्नांकित मदों हेतु किया जावे :–
   - 1.1. बिजली, पानी, टेलिफोन, इंटरनेट, सफाई, रंगाई, पुताई आदि सुविधाओं पर।
   - 1.2. समाचार पत्रों, मैग्जीन, पीरियोडिकल्स, पुस्तक क्रय आदि पर।
   - 1.3. खेलकूद सामग्री, संगीत, शिक्षण सहायक सामग्री, नक्शे, चार्टस, स्टेशनरी आदि पर।
   - 1.4. स्पोर्ट्स दिवस, वार्षिक समारोह, शिक्षक अभिभावक संघ व विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति बैठक आयोजन।
   - 1.5. प्रयोगशाला उपकरणों के रख–रखाव, मरम्मत व अस्थाई सामग्री क्रय व अग्निशमन यंत्र रख–रखाव।
   - 1.6. अन्य आवर्ती मद में विद्यालय आवश्यकतानुसार।

नोट :– अनावर्ती मद जैसे फर्नीचर, उपकरण क्रय एवं अन्य स्थायी सामग्री आदि पर व्यय नहीं किया जावे।

2. एसएजी राशि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय, मॉडल स्कूलों एवं संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों को ही जारी की गई है।
3. विद्यालयों द्वारा उक्त राशि एवं इसके विरूद्ध किये गये व्यय का पृथक से रिकॉर्ड संधारण किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि

का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित हो एवं विद्यालय पर इसका गुणात्मक प्रभाव दिखाई दे इसके लिए पुख्ता मॉनिटरिंग एवं आकस्मिक निरीक्षण का प्रावधान भी जिला स्तर पर किया जावें।

4. संबंधित विद्यालयों को शीघ्र ही उनके एसडीएमसी खाते में राशि हस्तान्तरण रामाशिप, जयपुंर द्वारा किया जा रहा है तथा संस्कृत विद्यालय व आदिवासी विद्यालयों की राशि पूर्व की भांति जिलों को हस्तांतरित की जा रही है। विद्यालयों को राशि प्राप्त होने/नही होने की सूचना राशि जारी होने के 07 दिवस में परिषद को प्रेषित करें।
5. विद्यालयों को इस राशि के समुचित उपयोग के लिए संबंधित संस्थाप्रधानों को उपयुक्त एवं स्पष्ट निर्देश जारी कर नियमानुसार राशि का उपयोग सुनिश्चित करावें।
6. सभी विद्यालयों द्वारा उन्हें प्राप्त राशि का शत् प्रतिशत उपयोग दिनांक 28.02.2018 तक निर्धारित मापदण्डानुसार कर लिया जावें तथा जिला स्तर पर सूचना समेकित कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र लेखा शाखा रामाशिप, जयपुर को प्रेषित की जावे।
7. विद्यालयों को जारी की गई राशि के विरूद्ध व्यय की सूचना संलग्न पत्रानुसार संकलित करें। (संलग्न प्रपत्र 1–4)

B. कार्य प्रक्रिया–विद्यालय स्तर पर :–

1. सर्वप्रथम विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति अपने विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हिकरण करें एवं प्राथमिकता अनुसार विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति में प्रस्ताव का अनुमोदन करावें।
2. क्रय में वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करें तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तरीय होनी चाहिए।
3. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल बाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
4. उपयोग के पश्चात् वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा जिला कार्यालय में प्रेषित किया जावे। इस हेतु संस्थाप्रधानों को निर्देशित करें।

विद्यालय वार्षिक अनुदान की जारी राशि का व्यय निम्न मदों में नहीं किया जावे :–

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्रधानाध्यापक/स्टॉफ कक्ष में फर्नीचर क्रय नहीं किया जावे)।
2. उत्सव मनाना (स्पोर्ट्स दिवस व वार्षिक समारोह के अतिरिक्त) व उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।
3. स्थायी सामग्री का क्रय।

C. ध्यान देने योग्य बिन्दु :–

1. विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्णपारदर्शिता एवं नियमानुसार क्रय की जावे।
2. सामग्री क्रय करते समय दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थी हित एवं विद्यालय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जावे।

3. क्रय की गई सामग्री का उचित रख–रखाव करते हुए, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
4. विद्यालय निरीक्षण के दौरान प्रभारी/राज्य व जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत ली गई सामग्री के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन किया जावेगा एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2017–18 की क्रियान्विति निर्धारित समय सीमा में ही करें एवं 28 फरवरी, 2018 तक समस्त राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

जिन विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में नामांकन शून्य हैं उन विद्यालयों को यह राशि जारी नहीं की गई हैं।

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

(जस्साराम चौधरी)
अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
2. निजी सहायक, अति.राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
3. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर को देकर लेख है कि सत्र 2017–18 में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समस्त जिला परियोजना समन्वयक रामाशिअ से प्राप्त करावें।
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक, एसएजी, रामाशिप, जयपुर।
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ, समस्त जिले को देकर लेख है कि उपर्युक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।
6. लेखा शाखा, रामाशिप, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–1 (प्रति विद्यालय)

विद्यालय का नाम :

विद्यालय कोड :

राशि रूपयों में

क्र.सं.	सत्र	ब्लॉक	जिला	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	मद जिन पर व्यय किया गया	नियमानुसार व्यय हाँ/नहीं	शेष रहने का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017–18									
योग									

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–2 (विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड संधारण)

राशि रूपयों में

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम, पता व मोबाईल नं.
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2017–18											
योग											

शैक्षिक समाचार राजस्थान

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–3 (विद्यालयों का समेकित)

राशि रूपयों में

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम, पता व मोबाईल नं.
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2017–18											
योग											

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–4 (जिला स्तरीय समेकित)

क्र.सं.	सत्र	विद्यालयों की संख्या	विद्यालय को जारी राशि	विद्यालय द्वारा व्यय की गई राशि	शेष अनुपयोगिता राशि	नियमानुसार व्यय हाँ/नहीं	अनियमितता के संदर्भ में की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1	2	3	3	5	6	7	8	9
2017–18								
योग								

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

कार्यालय का नाम : ....

क्रमांक................................ दिनांक :........................

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में ....(विद्यालय का नाम) को प्राप्त राशि.......................में से............................राशि निम्नानुसार व्यय की गई है, उक्त में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

प्रमाणित कर्ता
(संस्थाप्रधान)
मय मोहर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष : 0141–5192265, 5192261 E-mail: modelschools.rcse@gmail.com

RCSE

क्रमांक : रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/एस.ए.जी.–14/3692 दिनांक 07/06/17

शैक्षिक समाचार राजस्थान

संशोधित दिशा–निर्देश

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय :–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2017–18 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग संबंधी संशोधित दिशा–निर्देश।

सन्दर्भः–रामाशिप का पत्रांक रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/एस.ए.जी–14/3123 दिनांक 16.05.2017

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2017–18 की वार्षिक योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग संबंधी संशोधित दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

A. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2017–18 की राशि के उपयोग हेतु सामान्य दिशा–निर्देश :–

1. रामाशिअ की वार्षिक योजना 2017–18 में विद्यालय वार्षिक अनुदान14056 विद्यालयों हेतु 50,000 रू. प्रति विद्यालय की दर से स्वीकृत किया गया है, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग विद्यालय आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित वित्तीय सीमा में निम्नांकित मदों हेतु किया जावे :–
   - 1.1. बिजली, पानी, टेलिफोन, इंटरनेट, सफाई, रंगाई, पुताई आदि सुविधाओं पर।
   - 1.2. समाचार पत्रों, मैग्जीन, पीरियोडिकल्स, पुस्तक क्रय आदि पर।
   - 1.3. खेलकूद सामग्री, संगीत, शिक्षण सहायक सामग्री, नक्शे, चार्टस, स्टेशनरी आदि पर।
   - 1.4. स्पोर्ट्स दिवस, वार्षिक समारोह, शिक्षक अभिभावक संघ व विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति बैठक आयोजन।
   - 1.5. प्रयोगशाला उपकरणों के रख–रखाव, मरम्मत व अस्थाई सामग्री क्रय व अग्निशमन यंत्र रख–रखाव।
   - 1.6. अन्य आवर्ती मद में विद्यालय आवश्यकतानुसार।

नोट :– अनावर्ती मद जैसे फर्नीचर, उपकरण क्रय एवं अन्य स्थायी सामग्री आदि पर व्यय नहीं किया जावे।

2. एसएजी राशि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय, मॉडल स्कूलों एवं संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों को ही जारी की गई है।
3. विद्यालयों द्वारा उक्त राशि एवं इसके विरूद्ध किये गये व्यय का पृथक से रिकॉर्ड संधारण किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि

का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित हो एवं विद्यालय पर इसका गुणात्मक प्रभाव दिखाई दे इसके लिए पुख्ता मॉनिटरिंग एवं आकस्मिक निरीक्षण का प्रावधान भी जिला स्तर पर किया जावें।

4. संबंधित विद्यालयों को शीघ्र ही उनके एसडीएमसी खाते में राशि हस्तान्तरण रामाशिप, जयपुंर द्वारा किया जा रहा है तथा संस्कृत विद्यालय व आदिवासी विद्यालयों की राशि पूर्व की भांति जिलों को हस्तांतरित की जा रही है। विद्यालयों को राशि प्राप्त होने/नही होने की सूचना राशि जारी होने के 07 दिवस में परिषद को प्रेषित करें।
5. विद्यालयों को इस राशि के समुचित उपयोग के लिए संबंधित संस्थाप्रधानों को उपयुक्त एवं स्पष्ट निर्देश जारी कर नियमानुसार राशि का उपयोग सुनिश्चित करावें।
6. सभी विद्यालयों द्वारा उन्हें प्राप्त राशि का शत् प्रतिशत उपयोग दिनांक 28.02.2018 तक निर्धारित मापदण्डानुसार कर लिया जावें तथा जिला स्तर पर सूचना समेकित कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र लेखा शाखा रामाशिप, जयपुर को प्रेषित की जावे।
7. विद्यालयों को जारी की गई राशि के विरूद्ध व्यय की सूचना संलग्न पत्रानुसार संकलित करें। (संलग्न प्रपत्र 1–4)

B. कार्य प्रक्रिया–विद्यालय स्तर पर :–

1. सर्वप्रथम विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति अपने विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हिकरण करें एवं प्राथमिकता अनुसार विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति में प्रस्ताव का अनुमोदन करावें।
2. क्रय में वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करें तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तरीय होनी चाहिए।
3. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल बाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
4. उपयोग के पश्चात् वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा जिला कार्यालय में प्रेषित किया जावे। इस हेतु संस्थाप्रधानों को निर्देशित करें।

विद्यालय वार्षिक अनुदान की जारी राशि का व्यय निम्न मदों में नहीं किया जावे :–

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्रधानाध्यापक/स्टॉफ कक्ष में फर्नीचर क्रय नहीं किया जावे)।
2. उत्सव मनाना (स्पोर्ट्स दिवस व वार्षिक समारोह के अतिरिक्त) व उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।
3. स्थायी सामग्री का क्रय।

C. ध्यान देने योग्य बिन्दु :–

1. विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्णपारदर्शिता एवं नियमानुसार क्रय की जावे।
2. सामग्री क्रय करते समय दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थी हित एवं विद्यालय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जावे।

3. क्रय की गई सामग्री का उचित रख–रखाव करते हुए, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
4. विद्यालय निरीक्षण के दौरान प्रभारी/राज्य व जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत ली गई सामग्री के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन किया जावेगा एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2017–18 की क्रियान्विति निर्धारित समय सीमा में ही करें एवं 28 फरवरी, 2018 तक समस्त राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

जिन विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में नामांकन शून्य हैं उन विद्यालयों को यह राशि जारी नहीं की गई हैं।

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

(जस्साराम चौधरी)
अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
2. निजी सहायक, अति.राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
3. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर को देकर लेख है कि सत्र 2017–18 में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समस्त जिला परियोजना समन्वयक रामाशिअ से प्राप्त करावें।
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक, एसएजी, रामाशिप, जयपुर।
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ, समस्त जिले को देकर लेख है कि उपर्युक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।
6. लेखा शाखा, रामाशिप, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–1 (प्रति विद्यालय)

विद्यालय का नाम :

विद्यालय कोड :

राशि रूपयों में

क्र.सं.	सत्र	ब्लॉक	जिला	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	मद जिन पर व्यय किया गया	नियमानुसार व्यय हाँ/नहीं	शेष रहने का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017–18									
योग									

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–2 (विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड संधारण)

राशि रूपयों में

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम, पता व मोबाईल नं.
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2017–18											
योग											

शैक्षिक समाचार राजस्थान

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–3 (विद्यालयों का समेकित)

राशि रूपयों में

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम, पता व मोबाईल नं.
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2017–18											
योग											

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–4 (जिला स्तरीय समेकित)

क्र.सं.	सत्र	विद्यालयों की संख्या	विद्यालय को जारी राशि	विद्यालय द्वारा व्यय की गई राशि	शेष अनुपयोगिता राशि	नियमानुसार व्यय हाँ/नहीं	अनियमितता के संदर्भ में की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1	2	3	3	5	6	7	8	9
2017–18								
योग								

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

कार्यालय का नाम : ....

क्रमांक................................ दिनांक :.........................

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में ....(विद्यालय का नाम) को प्राप्त राशि........................में से.............................राशि निम्नानुसार व्यय की गई है, उक्त में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

प्रमाणित कर्ता
(संस्थाप्रधान)
मय मोहर

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114

फैक्स: 0141–2701822

email : rajssa _cmecce@yahoo.com

क्रमांक : 15(31) राप्राशिप / जय / सामु.गति. / एसएमसी प्रशि. / दिशा निर्देश / 2017–18 / 3162 दिनांक : 22/6/17

दिशा–निर्देश
(सत्र 2017–18)

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर एसएमसी सदस्यों के लिए आयोजित किये जाने वाले तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण

प्रस्तावना :–

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–21 के प्रावधानानुसार राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा में सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता / अभिभावक, प्रत्येक अध्यापक, कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि सदस्य हैं। समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। गठित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनमें क्षमता विकास करना आवश्यक है ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सकें। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.15(1) प्राशि / संस्थापन / 2017 / जयपुर / दिनांक 07.02.2017 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में (ग्राम पंचायत क्षेत्रों में) पूर्व से प्रचलित नोडल विद्यालय व्यवस्था को समाप्त कर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी **(PEEO)** को **(CRCF)** के रूप में नामित किया गया है। अतः वर्तमान में **PEEO** द्वारा ही नोडल विद्यालय का दायित्व निभाया जाना है। शहरी क्षेत्र (नगरीय निकाय क्षेत्र) में नोडल व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी। इस हेतु **PEEO/**शहरी नोडल विद्यालय स्तर **(CRCF)** पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हैं।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2017-18 में **PEEO/**शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर एसएमसी सदस्यों को तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को उनके दायित्वों, आरटीई एक्ट के प्रावधानों, सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों, मिड–डे–मील, बाल अधिकारों, आपणी लाडो, "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम, विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, विद्यालय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र, विद्यालय में संधारित लेखों का सामाजिक अंकेक्षण, आपदा प्रबंधन आदि के बारे मे जानकारी देना, विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करना, बालकों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, जैण्डर से सम्बन्धित विषयों पर संवेदनशील करना, विद्यालय स्तर पर योजना निर्माण करना एवं विद्यालय विकास में जनसाधारण की सहभागिता प्राप्त करना आदि शामिल हैं। कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्य जिन्होंने वर्ष 2016-17 तथा इससे पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नही किया है को प्राथमिकता देते हुए एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों तथा एक जनप्रतिनिधि को शामिल करते हुए प्रत्येक एसएमसी में से 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

1. वर्ष 2017-18 में विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

(लाख रूपये में)

क्र.स.	गतिविधि	यूनिट कॉस्ट (प्रति व्यक्ति तीन दिवस)	लक्ष्य 2017-18	
			भौतिक	वित्तीय
1	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण संभागी × दिन × दर प्रतिदिन 406968 × 3 × 100 = **1220.90** लाख रूपये	**0.00300**	**406968**	**1220.90**

2. **प्रशिक्षण मॉड्यूल** : विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को राज्य स्तर पर तैयार किये गये "विद्यालय प्रबन्धन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल"के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है।

3. **राज्य स्तर पर मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) के प्रशिक्षण** :

प्रत्येक जिले से 4 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) को राज्य स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिन जिलों में दस से अधिक ब्लॉक्स हैं वहां से 5 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के रूप में, पूर्व वर्षो में मुख्य संदर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षक, डाइट फैक्ल्टी, ब्लॉक आरपी या प्रशिक्षण में दक्षता रखने वाले जिले के किसी अन्य शिक्षक आदि में से नामित किया जा सकता है। जिला परियोजना कार्यालय प्रशिक्षण कार्य में रूचि रखने वाले सक्षम एवं दक्ष प्रशिक्षकों को चयनित कर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भेजें। प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्तियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण के लिए आने वाले मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को नियमानुसार टीए/डीए देय होगा।

4. **ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण** :

राज्य स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण उपरान्त PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर (CRCF) पर एसएमसी सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए संदर्भ व्यक्यिों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्य में रूचि, अनुभव एवं दक्षता रखने वाले ब्लॉक के 20 से 25 शिक्षक/संस्था प्रधानों को सम्मिलित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किये जाने वाले PEEO/Head Teacher/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधानों के अलावा शेष सभी PEEO/ उनके द्वारा नामित Head Teacher को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगा ताकि प्रशिक्षण के समय वे प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन सही प्रकार से कर सकें एवं आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी निभा सकें। प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक ब्लॉक कार्यालय इन चिन्हित 20 से 25 संदर्भ व्यक्तियों की सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायें। जिला कार्यालय ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिन्हित सूची में से PEEO/शहरी नोडलवार (CRCF) प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार संदर्भ व्यक्ति लगाये।

नोडल संस्था प्रधानों/संदर्भ व्यक्तियों के लिए ब्लॉक स्तर पर आयोज्य प्रशिक्षण का व्यय प्रशिक्षण शाखा द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जाए। यह व्यय विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी समिति सदस्यों के PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोज्य तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2017-18 में निर्धारित बजट में से किया जायेगा। चूंकि संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अलग से बजट प्रावधान नहीं है।

अतः कुल प्रति व्यक्ति 300/- रूपये यूनिट कॉस्ट में से 15/- रूपये यूनिट कॉस्ट का आवश्यकतानुसार व्यय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण में किया जाए तथा विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु जिले को आवंटित भौतिक लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण कार्ययोजना तैयार कर प्रति संभागी तीन दिवस का 285/- रूपये व्यय किया जाए। जिला परियोजना कार्यालय इस बात का ध्यान रखे कि एसएमसी प्रशिक्षण के लिए जिले को आवंटित बजट से अधिक किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जाए अन्यथा सम्बन्धित से व्यक्तिगत वसूली की जावेगी।

5. जिला स्तर पर समीक्षा बैठक :

ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण से पूर्व जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित कर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले समस्त गतिविधियों के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी जावे ताकि ब्लॉक स्तर पर एवं PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर (CRCF) पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण में वे अपना सकारात्मक योगदान दे सकें। समीक्षा बैठक में ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्ययोजना भी निम्न प्रपत्र में तैयार करें इसमें राज्य स्तर से प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्ति को भी आमंत्रित किया जाए। कार्ययोजना की प्रति ब्लॉक कार्यालय को दी जाए तथा एक प्रति परिषद कार्यालय को भी प्रेषित की जाए। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात् 10 दिनों के अन्दर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाएँ। ब्लॉक कार्यालय द्वारा संदर्भ व्यक्तियों/PEEO/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण के दिनांक की सूचना समय पर दी जाए।

ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण कार्ययोजना

जिले का नाम : ....

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक पर प्रशिक्षण की दिनांक	प्रशिक्षण हेतु नियुक्त केआरपी का नाम

6. PEEO/शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति :

जिला परियोजना कार्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय से प्रत्येक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी। परन्तु नियुक्त संदर्भ व्यक्ति के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक कार्यालय से तत्काल आरक्षित संदर्भ व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा ताकि प्रशिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर 30 से कम संभागियों के होने पर एक संदर्भ व्यक्ति एवं 30 या 30 से अधिक संभागियों के होने पर दो संदर्भ व्यक्तियों को लगाया जाए। लेकिन एक बैच में 40 से अधिक संभागी ना हो। इससे अधिक संभागी होने पर पृथक् बैच बनाया जाए।

- प्रशिक्षण स्थल पर पदस्थापित PEEO अथवा उनके द्वारा नामित Head Teacher/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान को प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति के रूप में कार्य करने पर पृथक से मानदेय का प्रावधान नहीं है।

7. भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण : –

- जिले के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1** पर संलग्न हैं।
- चूंकि, प्रत्येक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या समान नहीं है इसलिए जिला कार्यालय द्वारा वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जावें।

8. ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रभारी के साथ एक बैठक आयोजित करते हुए प्रशिक्षण हेतु निम्न प्रपत्र में योजना का निर्माण करें :–

एसएमसी प्रशिक्षण कार्य योजना

जिले का नाम :–

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय का नाम	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय के अधीन प्रावि / उप्रावि Composite विद्यालयों की संख्या	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय का भौतिक लक्ष्य			PEEO/शहरी नोडल विद्यालय का वित्तीय लक्ष्य सदस्यों की संख्या × रूपये 285	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण की दिनांक
				प्रशिक्षण में भाग ले रहे एसएमसी के कार्यकारिणी के सदस्य (प्रति विद्यालय 5)	चुने हुए जन प्रतिनिधि (PRI) जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हो (प्रति विद्यालय एक)	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर कुल संभागी		

हस्ताक्षर

- बिन्दु संख्या 8 के अनुसार जिला स्तर से कार्ययोजना के अंतिमीकरण के बाद चरणबद्ध तरीके से PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण अगस्त 2017 से अक्टूबर 2017 के मध्य आयोजित किये जायेंगे।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण एक साथ आयोजित न करके चरणों में आयोजित किया जाए ताकि सघन एवं सुगम मॉनिटरिंग की जा सकें। एक ब्लॉक में एक चरण में 10 से अधिक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय में प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जाए।
- प्रत्येक जिले द्वारा PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण की कार्य योजना निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से कम से कम 15 दिवस पूर्व परिषद मुख्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए।
- कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को मिलाकर 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है। यदि किसी विद्यालय परिक्षेत्र के जनप्रतिनिधि अन्य किसी विद्यालय के एसएमसी, सदस्य के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और उस विद्यालय के एसएमसी में अन्य कोई **जनप्रतिनिधि सदस्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके स्थान पर कार्यकारिणी समिति के ही एक अतिरिक्त सदस्य को जोड़कर** 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए।
- समस्त प्रशिक्षणों का वित्तीय समायोजन प्रशिक्षण समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से कर दिया जावे। किसी भी स्थिति में समायोजन को लम्बित नहीं रखा जावे।
- समय–समय पर विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के कुछ सदस्यों की कार्यकारिणी समिति से सदस्यता का समाप्त होना कई कारणों से संभावित है। जैसे :– बच्चे का अन्तिम कक्षा पास करके निकल जाना, बच्चों का ड्रॉप–आउट हो जाना, बच्चों का विद्यालय परिवर्तन कर देना, अभिभावक का स्थान परिवर्तन हो जाने के कारण बच्चों का विद्यालय छोड़ देना आदि। इसलिए प्रशिक्षण से पूर्व यह अति आवश्यक है कि

विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठक बुलाकर रिक्त हुए पदों को विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कर भरा जाए तथा नव निर्वाचित सदस्यों को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाए।

<u>जिला परियोजना कार्यालय के दायित्व</u> :

- टाईम लाइन चार्ट में निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण सम्पन्न करना।
- ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 7 दिवस पूर्व एवं PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर एसएमसी सदस्यों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 15 दिवस पूर्व परिषद को उपलब्ध कराना।
- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु स्वीकृति, आवश्यक राशि एवं दिशा निर्देश समय रहते PEEO/शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय तक पहुँचाना सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों की संख्या के आधार पर ब्लॉकवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु सम्पूर्ण राशि एक साथ जारी नहीं की जाकर PEEO/शहरी नोडल विद्यालय हेतु निर्धारित लक्ष्य की 60 प्रतिशत राशि जारी करना तथा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र/उपस्थिति के आधार पर वास्तविक व्यय की शेष राशि जारी करना।
- जिला कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु राशि सीधे ही PEEO/शहरी नोडल विद्यालय एसएमसी. के खाते में जारी करना तथा इसकी सूचना ब्लॉक कार्यालय को भी प्रेषित करना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का निर्धारण संभागियों की संख्या 30 मानकर किया गया है। परन्तु इस संख्या में PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार परिवर्तन संभावित है। अतः संभागियों की संख्या 30 से अधिक होने पर निर्धारित मानदण्डानुसार राशि कम होने की स्थिति में जिला कार्यालय द्वारा बचत वाले PEEO/शहरी नोडल विद्यालय से राशि कमी वाले PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर दी जा सकती है परन्तु जिले का प्रति व्यक्ति औसत व्यय निर्धारित राशि से अधिक न हो।
- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण एवं एसएमसी प्रशिक्षण का अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवलोकन सुनिश्चित करना।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं उपस्थिति के आधार पर शेष राशि जारी की जाने से पूर्व ब्लॉक कार्यालय से संभागियों के रजिस्ट्रेशन पत्र/उपस्थिति पंजिका, प्रशिक्षण प्रतिवेदन और ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की अवलोकन रिपोर्ट और आर.पी. द्वारा प्रमाणित उपस्थिति, फोटो आदि की प्राप्ति के प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण की शेष राशि जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आमंत्रित सदस्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधान अनुसार गठित विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से ही थे। यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2016-17 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है।
- प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् 15 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं, प्रतिवेदन एवं फोटो एलबम परिषद मुख्यालय को भिजवाना।
- प्रशिक्षण का भुगतान, विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी सदस्यों की संख्या के अनुपात में ही किया जाए।

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर तीन दिवसीय गैर आवासीय एसएमसी प्रशिक्षण सूचना

जिला :–

प्रपत्र–अ

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	ब्लॉक का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
	एसएमसी सदस्यों के PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1						
2						
	योग					

हस्ताक्षर

जिला :–

प्रपत्र–ब

क. सं.	ब्लॉक का नाम	एसएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO/ शहरी नोडल विद्यालय को आवंटित भौतिक लक्ष्य	प्रशिक्षण में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित एचएम/ सदस्य शिक्षक एवं पुरस्कृत शिक्षक /शिक्षा शास्त्री की सं0	प्रशिक्षण में उपस्थित कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों की संख्या	कुल	संभागियों का वर्गवार विवरण								कुल		
							सामान्य		ओबीसी		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति				
						(4+5+6)	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
	योग																

हस्ताक्षर

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण

जिला :–

प्रपत्र – स

क. स.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों की सं0	उपस्थित जन प्रतिनिधियों की सं0	उपस्थित जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण						कुल
				जिला पार्षद	नगर पार्षद	पंचायत समिति सदस्य	सरपंच	वार्डपंच	अन्य जनप्रतिनिधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

नोट :– प्रपत्र–ब के कॉलम सं0 4 में दर्शाये जनप्रतिनिधियों की संख्या का प्रपत्र–स में वर्गीकरण कराया गया है।

हस्ताक्षर

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का वर्गीकरण

जिला :— प्रपत्र — द

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल संभागी	साक्षर संभागियों की संख्या		असाक्षर संभागियों की संख्या		योग	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

<u>बीईईओ के दायित्व</u> :

ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन पूर्व बीईईओ निम्न तैयारियों की कार्यक्रम प्रभारी के माध्यम से समीक्षा करें :—

- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण की सूचना संभागियों को समय पर देना, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण उपरान्त चयनित न्यूनतम 20-25 संदर्भ ब्यक्तियों की सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोज्य एसएमसी प्रशिक्षण की कार्ययोजना समय रहते तैयार करके जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- जिला कार्यालय के साथ समन्वय करके PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति करना।
- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु दिशा निर्देश की PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा (संदर्भ व्यक्ति) स्वयं एवं ब्लॉक के अन्य संदर्भ व्यक्तियों एवं अधिकारियों की अवलोकन कार्य योजना तैयार करना तथा तदनुसार प्रशिक्षण का अवलोकन करना।
- प्रशिक्षण अवलोकन के दौरान उपस्थिति पंजिका में सदस्यों की उपस्थिति प्रमाणित करना।
- प्रत्येक प्रशिक्षण का अवलोकन करना, संभागियों की उपस्थिति के प्रमाणीकरण के समय सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागी विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारणी समिति के ही सदस्य हो तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2016—17 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है।
- संदर्भ व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त 10 दिन के अन्दर प्रशिक्षण के फोटोग्राफस विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या, प्रशिक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में सूचना एवं फोटोग्राफस आवश्यक रूप से जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- जिला कार्यालय को यू.सी. एवं आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रशिक्षण की शेष राशि जारी करवाना।

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रधानाध्यापक के दायित्व :–

- जिला परियोजना/बीईईओ कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार करना।
- वर्ष 2016–17 तथा पूर्व वर्षो में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये कार्यकारिणी के सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए कार्यकारिणी सदस्यों में से 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को चिन्हित कर उनकी प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करना।
- प्रधानाध्यापक, PEEO से समन्वय करते हुए चिन्हित/चयनित एसएमसी सदस्यों एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना लिखित में उचित माध्यम से कम से कम प्रशिक्षण से 7 दिन पूर्व देना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी श्रेणी के सदस्यों यथा–महिलाओं, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अल्पसंख्यकों, शिक्षा से वंचित विशेष वर्ग आदि से प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को समस्त प्रधानाध्यापक, PEEO स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक एसएमसी सदस्य एवम् जनप्रतिनिधियों का पंजीकरण प्रपत्र संधारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण की दिनांक पर PEEO/PEEO द्वारा नामित Head Teacher/शहरी नोडल विद्यालय प्रधानाध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य है एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति की भूमिका का निर्वाह करना।
- प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना यथा–बिल वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलन आदि।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति के प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल को विद्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर एसएमसी सदस्यों द्वारा मॉड्यूल में दी गई जानकारी का उपयोग किया जा सकें।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय यथा–चाय नाश्ता, प्रशिक्षण सामग्री, संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय, संभागियों का किराया, प्रशिक्षण आयोजन हेतु बैठक व्यवस्था, फोटोग्राफ आदि पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं करना है।
- प्रशिक्षण समाप्ति के 7 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं, प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ एवं यू.सी. एवं आवश्यक प्रमाण–पत्र बीईईओ कार्यालय को भिजवाना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान या उनके द्वारा मनोनीत अध्यापक ही व्यवस्थापक का कार्य करेंगे।

व्यय प्रावधान :–

- विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रावधित राशि 300/- रूपये प्रति व्यक्ति तीन दिवस में से PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु राशि 285/- रूपये प्रति व्यक्ति औसतन 30 संभागियों हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था निम्न प्रकार किया जाए एवं शेष* राशि में से ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का व्यय किया जाए।

30 संभागियों के लिए प्रावधित राशि = 9000/-

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर प्रशिक्षण–संभागी × दिन × दर

30 × 3 × 95 = 8550/-

क्र.सं.	विवरण	राशि रूपये	30 संभागियों पर व्यय
1.	भोजन एवं किराये का संभागियों को नकद भुगतान	135/- प्रति संभागी (तीन दिवस का)	4050.00
2.	जलपान (चाय–नाश्ता)	45/- प्रति संभागी (तीन दिवस का)	1350.00
	विविध व्यय		
3.	स्टेशनरी	10/- प्रति संभागी	300.00
4.	दक्ष प्रशिक्षक मानदेय (प्रत्येक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर अधिकतम 2 दक्ष प्रशिक्षक)	300/- प्रति दक्ष प्रशिक्षक प्रतिदिन	1800.00
5.	कार्यक्रम की व्यवस्था पर होने वाले अन्य विविध व्यय, बैठक व्यवस्था, सफाई, पानी, फर्श, दरी, फोटोग्राफी, प्रतिवेदन, सहायक सामग्री आदि पर,		750.00
6.	व्यवस्थापक को मानदेय	100/- रूपये प्रतिदिन	300.00
	योग		**8550**
	शेष*		**450**
	महायोग		**9000**

- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी सदस्यों एवं जनप्रतिनिधि को देय नकद भुगतान का बिल निम्न प्रारूप में संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधानाध्यापक से प्रमाणित करावें।
- आयोजन हेतु किए गए व्यय का भुगतान चैक अथवा बैंक खाते में किया जावे।

प्रपत्र

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय का नाम :............................ प्रशिक्षण दिनांक :...............

क्र. सं.	विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम	उपस्थित सदस्य का नाम	उपस्थित दिनों की संख्या	देय नकद राशि	एसएमसी सदस्य के हस्ताक्षर	संबंधित एसएमसी के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणीकरणकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1						

- प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

सामुदायिक गतिशीलता गतिविधि टाईम लाइन चार्ट 2017–18

S.No	Activity	Apr 17	May 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 17	Nov 17	Dec 17	Jan 18	Feb 18	Mar 18
1	एसएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार कार्य योजना निर्माण				√	√							
2	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण				√								
3	संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण					√							
4	एसएमसी सदस्यों का PEEO/श्शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण					√	√	√					
5	प्रगति की समीक्षा एवं व्यय समायोजन							√	√				

(डॉ.जोगाराम)
आयुक्त

क्रमांक : 15 (31) राप्राशिप/जय/सामु.गति./एसएमसी प्रशि./दिशा निर्देश/2017–18/3163 दिनांक : 22/6/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. नियत्रंक वित्त, राप्राशिप. जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त–जिला।
5. उपायुक्त (प्लान)/मॉनिटरिंग, राप्राशिप, जयपुर।
6. उपायुक्त (आईटी) राप्राशिप, जयपुर। (वेब पोर्टल में अपलोड हेतु)
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राप्राशिप, जयपुर।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, RMSA।
10. समस्त PEEO
11. रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त आयुक्त

COMMUNITY MOBILISATION

SMC /PRI Training

(SMC Executive Members and PRI)

Proposed Physical and Financial Target of Districts 2017-18

S. No.	District	Total No. of Govt. PS, UPS & Composite Sec./Sr. Sec. Schools*	Three Day Training at Nodal Level Target	
			Phy.	Fin. (in lacs)
1	Ajmer	1887	11322	33.97
2	Alwar	2875	17250	51.75
3	Banswara	2965	17790	53.37
4	Baran	1590	9540	28.62
5	Barmer	4831	28986	86.96
6	Bharatpur	1763	10578	31.73
7	Bhilwara	2897	17382	52.15
8	Bikaner	2026	12156	36.47
9	Bundi	1272	7632	22.90
10	Chittaurgarh	1829	10974	32.92
11	Churu	1440	8640	25.92
12	Dausa	1563	9378	28.13
13	Dhaulpur	1137	6822	20.47
14	Dungarpur	2469	14814	44.44
15	Ganganagar	1964	11784	35.35
16	Hanumangarh	1109	6654	19.96
17	Jaipur	3813	22878	68.63
18	Jaisalmer	1201	7206	21.62
19	Jalor	1929	11574	34.72
20	Jhalawar	1722	10332	31.00
21	Jhunjhunu	1622	9732	29.20
22	Jodhpur	3560	21360	64.08
23	Karauli	1414	8484	25.45
24	Kota	1093	6558	19.67
25	Nagaur	3095	18570	55.71
26	Pali	1806	10836	32.51
27	Pratapgarh	1583	9498	28.49
28	Rajsamand	1740	10440	31.32
29	Sawai Madhopur	1067	6402	19.21
30	Sikar	1980	11880	35.64
31	Sirohi	928	5568	16.70
32	Tonk	1472	8832	26.50
33	Udaipur	4186	25116	75.35
	Total	**67828**	**406968**	**1220.90**

**Source:U.DISE 2016-17*

A.D Gupta

आकाश दीप अरोड़ा
उपायुक्त

एसएमसी सदस्य प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र 2017–18

1. अवलोकनकर्ता का नाम :– .... पद ....
2. पदस्थापन स्थान :– .... मो.न. ....
3. अवलोकन की तिथि एवं समय ....
4. प्रशिक्षण आयोजक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय का नाम :– ....
5. PEEO/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान का नाम .... मो. न. ....
6. PEEO/शहरी नोडल विद्यालय के अधीन विद्यालयों की संख्या :– ....
7. प्रशिक्षण स्थल :– .... ब्लॉक :– ....जिला........................
8. प्रशिक्षण दिनांक :– ....

7 प्रशिक्षण देने वाले संदर्भ व्यक्ति :–

(अ) नाम :– .... पद :– ....पदस्थापन स्थान :–....................मो.न. ....

(ब) नाम :– .... पद :– ....पदस्थापन स्थान :–....................मो.न. ....

8 कुल पंजीकृत संभागी :–. पुरूष ....महिला..................योग....................

9 प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित संभागीगण :–

(अ) जनप्रतिनिधि (PRI)::– पुरूष ....महिला ....योग ....

(ब) अभिभावक सदस्य ::– पुरूष ....महिला ....योग ....

(स) मनोनीत सदस्य :– पुरूष ....महिला ....योग ....

(द) संस्था प्रधान (सचिव) पुरूष ....महिला ....योग ....

(य) शिक्षक सदस्य :– पुरूष ....महिला ....योग ....

योग :– पुरूष ....महिला ....योग ....

10 संभागियों की बैठक व्यवस्था :– ....

11. मॉड्यूल की उपलब्धता :– ....

12 अवलोकन के समय मॉड्यूल के किस विषय पर चर्चा हो रही थी :– ....

13 संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण देने का स्तर :– ....

14 प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे संभागियों के विचार :–

----

15. प्रशिक्षण व्यवस्था सुधारने में तत्काल दिये गये निर्देश :–

----

16 प्रशिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में अवलोकनकर्ता की टिप्पणी / सुझाव :–

प्रशिक्षण आयोजक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रभारी
के हस्ताक्षर (मय सील)

हस्ताक्षर अवलोकनकर्ता
दिनांक :–

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन नं: 0141–2712376 फैक्स नं: 0141–2701822

क्रमांकः– राप्राशिप/जय/औ.शि./दिशा–निर्देश/BRC/2017–18/3453 दिनांकः– 3/7/17

दिशा–निर्देश सत्र 2017–18
ब्लॉक संदर्भ केन्द्र ग्रांट (BRC Grant)

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 में 301 ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (बीआरसी) हेतु बजट प्रावधान किया गया है। जिलेवार वार्षिक कार्य योजना में प्रावधान का विवरण संलग्न है जिनकी ईकाई लागत प्रत्येक बीआरसी (301) हेतु निम्न प्रकार हैः–

कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट	50,000 रूपये वार्षिक प्रति बीआरसी।
मीटिंग, टी.ए	30,000 रूपये वार्षिक प्रति बीआरसी।

इस प्रकार कुल 301 बीआरसी हेतु कुल राशि 80,000 रूपये प्रति बीआरसी वार्षिक की दर से राशि कुल 240.80 लाख रूपये का अनुमोदन किया गया है। संक्षेप में निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

- मीटिंग, टी.ए ग्रान्टस में से मीटिंग में उपस्थित होने पर नियमानुसार टी.ए., डी.ए. का भुगतान आहरण कर सकेंगे।
- कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट में से सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यो को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष द्वारा फीडिंग एवं मॉनिटरिंग का खर्चा शामिल है। इन व्ययों का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान की रोकड बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
- बीआरसी अपने अधीन विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन प्रदान करने, सूचना प्राप्त करने के लिए विजिट करने पर राजकीय नियमानुसार टीए प्राप्त कर सकेगा, जिसका समायोजन मीटिंग, टी.ए. मद में किया जावेगा।
- उपरोक्त राशि का व्यय होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समयानुसार परिषद को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 के अनुसार ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान (BRC Grant) सम्बन्धित को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि के साथ–साथ दिशा–निर्देश सम्बन्धित कार्यालयों/विद्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं, साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित समयानुसार प्रतिवेदन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध करावें। समयबद्ध कार्ययोजना निम्नानुसार है–

क्र.सं.	अनुदान	जारी करने का माह	परिषद् को रिपोर्ट करने का माह
1	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान (BRC Grant)	जून/जुलाई	अगस्त से प्रति माह

विशेष :–

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेण्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि BRC .... को सत्र 2017–18 में कन्टेन्जेन्सी एवं मीटिंग टी.ए. हेतु प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया जाकर कैश बुक के पृष्ठ संख्या .... पर इन्द्राज कर लिया है।

क. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि		खर्च की गई राशि		शेष राशि	
		कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.

हस्ताक्षर
बीआरसी प्रभारी / BEEO

जिला स्तर

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से जिले की कुल .... बीआरसी को .... राशि जारी की गई एवं परिषद् के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाकर .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा MPR में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार हैः–

Academic Support through Block Resource Centres Budget 2017-18 (Rs. In Lac.)

S.No.	District Name	BRC Grant					
		Contingency Grant		Meeting TA		Total	
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Ajmer	9	4.50	9	2.70	9	7.20
2	Alwar	14	7.00	14	4.20	14	11.20
3	Banswara	11	5.50	11	3.30	11	8.80
4	Baran	7	3.50	7	2.10	7	5.60
5	Barmer	17	8.50	17	5.10	17	13.60
6	Bhartpur	10	5.00	10	3.00	10	8.00
7	Bhilwara	12	6.00	12	3.60	12	9.60
8	Bikaner	7	3.50	7	2.10	7	5.60
9	Bundi	5	2.50	5	1.50	5	4.00
10	Chittoregarh	11	5.50	11	3.30	11	8.80
11	Churu	7	3.50	7	2.10	7	5.60
12	Dausa	6	3.00	6	1.80	6	4.80
13	Dholpur	5	2.50	5	1.50	5	4.00
14	Dungarpur	10	5.00	10	3.00	10	8.00
15	Ganganagar	9	4.50	9	2.70	9	7.20
16	Hanumangarh	7	3.50	7	2.10	7	5.60
17	Jaipur	19	9.50	19	5.70	19	15.20
18	Jaisalmer	3	1.50	3	0.90	3	2.40
19	Jalor	8	4.00	8	2.40	8	6.40
20	Jhalawar	8	4.00	8	2.40	8	6.40
21	Jhunjhunu	8	4.00	8	2.40	8	6.40
22	Jhodhpur	17	8.50	17	5.10	17	13.60
23	Karauli	6	3.00	6	1.80	6	4.80
24	Kota	6	3.00	6	1.80	6	4.80
25	Nagaur	14	7.00	14	4.20	14	11.20
26	Pali	10	5.00	10	3.00	10	8.00
27	Pratapgarh	5	2.50	5	1.50	5	4.00
28	Rajsamand	7	3.50	7	2.10	7	5.60
29	Sawai Madhopur	6	3.00	6	1.80	6	4.80
30	Sikar	9	4.50	9	2.70	9	7.20
31	Sirohi	5	2.50	5	1.50	5	4.00
32	Tonk	6	3.00	6	1.80	6	4.80
33	Udaipur	17	8.50	17	5.10	17	13.60
	Total	**301**	**150.50**	**301**	**90.30**	**301**	**240.80**

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
दिनांक:– 3/7/17

क्रमांकः– राप्राशिप/जय/औ.शि./दिशा–निर्देश/BRC/2017–18/3454

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु उपनिदेशकों/जि.शि.अ./ बीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. नियन्त्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह 6 तारीख तक राप्राशिप, जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।
6. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन नागिया)
उपायुक्त

E:\Sh. Suresh Ku. Sir DD AS\M.S.Office\PFE\Grants 2017-18\BRC Grant\BRC Grant.doc

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन नं: 0141–2712376 फैक्स नं: 0141–2701822

क्रमांक:– राप्राशिप / जय / औ.शि. / दिशा–निर्देश / SFG / 2017–18 / 3455 दिनांक:– 3/7/17

दिशा–निर्देश सत्र 2017–18

विद्यालय सुविधा अनुदान (SCHOOL FACILITY GRANT)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा पुराने उपस्करों के प्रतिस्थापन हेतु विद्यालय सुविधा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य–सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक / भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस डाटा 2016–17 के अनुसार राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक / उच्च प्राथमिक खण्ड हेतु देय है जो कि शिक्षा विभाग / पंचायती राज विभाग / संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों / शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों / मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों / समाज कल्याण विभाग के अधीन आते है। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा राशि का स्थानान्तरण सीधे ही विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति के बैंक खाते में किया जायेगा। अतः निम्नानुसार वितरित किया जा कर शत–प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करें।

वित्तीय प्रावधान :

क्र.सं.	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या		विद्यालय का स्तर		योग
		प्रा.वि.	उप्रावि	प्राथमिक विद्यालय स्तर	उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर	
1.	रा.प्रा.वि. (कक्षा 1 से 5)	1	—	5000 / –	0	5000 / –
2.	रा.उ.प्रा.वि. (कक्षा 1 से 8)	1	1	5000 / –	7000 / –	12000 / –
3.	रा.उ.प्रा.वि. (कक्षा 6से 8)	—	1	0	7000 / –	7000 / –
4.	रा.मा. वि. / उ.मा.वि. (कक्षा 1 से 10 व 1 से 12)	1	1	5000 / –	7000 / –	12000 / –
5.	रा.मा.वि. / उ.मा.वि. (कक्षा 6 से 10 व 6 से 12)	—	1	0	7000 / –	7000 / –

नोट :– उपरोक्त तालिका के क्र.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची पृथक से संलग्न है।

कक्षा 1 से 8 संचालित प्रत्येक उच्च प्राथमिक/मा.वि./उ.मा.वि. विद्यालय में कक्षा 1 से 5 को एक प्राथमिक विद्यालय एवं कक्षा 6 से 8 को एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में पृथक–पृथक गणना की जावे तथा सम्बन्धित लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति में जोड़ा जावे।

नोट :– मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा। जिसका ध्यान डीपीसी द्वारा रखा जायेगा।

विद्यालय स्तर :–

एसएफजी राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है –

1. दरी पट्टी/दरी।	2. श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग–रोगन/ ग्रीन बोर्ड/ आदमकद दर्पण/ कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण।
3. चॉक, डस्टर।	4. परीक्षा संबंधी स्टेशनरी।
5. पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय।	6. एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
7. विज्ञान/गणित किट सामग्री के प्रतिस्थापन पर व्यय।	8. विज्ञान व गणित विषय के ई–कंटेन्ट क्रय कर कल्प लैब हेतु उपलब्ध करवाना।
9. प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री /उपलब्धि प्रमाण–पत्र मुद्रण।	10. शौचालय स्वच्छता व्यय (केवल शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के लिये अधिकतम 150 रूपये प्रतिमाह की सीमा तक)।
11. अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।	12. अन्य उपयोज्य सामग्री यथाः झाडू, मटका, बाल्टी, मग आदि।
13. शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया।	14. विद्यालय सौंदर्यन (उक्त कार्यों के पश्चात् बचत होने पर)।

नोटः– उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जावें। अति–आवश्यक होने पर परिषद की अनुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।

कार्य प्रक्रिया :

1. सर्वप्रथम एसएमसी अपने विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
2. वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
3. बिन्दु संख्या 2 के अनुसार यदि वित्तीय प्रावधान अंतर्गत बचत होती है तो उसका उपयोग विद्यालय सौंदर्यन अथवा BALA (अधिगम सहायक सामग्री के रूप में भवन) की अवधारणा को कार्यान्वित करने में किया जाकर शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जाये।
4. एसएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
5. क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
6. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
7. उपयोग के तत्काल पश्चात या प्रत्येक तिमाही पश्चात् पूर्व निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक/ CRC/ PEEO के माध्यम से तीन प्रतियों में सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यालय को भिजवायें जिससे समय पर इसका समायोजन हो सके। राशियों का माह दिसम्बर तक उपयोग किया जाकर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिले की उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) संकलित कर संलग्न प्रपत्र में परिषद् कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

विद्यालय सुविधा अनुदान राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जावे–

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/स्टाफ रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)।
2. जलपान आदि पर।
3. उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।

ध्यान देने योग्य बिन्दु:–

1. स्कूल फेसिलिटी ग्रान्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्ण पारदर्शिता से क्रय की जावे।
2. सामग्री क्रय करते समय राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
3. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. विद्यालय अवलोकनकर्त्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान विद्यालय सुविधा अनुदान के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. कल्प लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना।

ब्लॉक एवं जिला कार्यालय स्तर :–

औपचारिक शिक्षा के ब्लॉक एवं जिला प्रभारी समस्त एस.एम.सी. को उक्त दिशा निर्देश की प्रति प्राप्त होना, दिशा–निर्देशों की पालना होना एवं यू.सी. प्राप्त कर ब्लॉक कार्यालय स्तर पर त्रैमासिक आधार पर संकलित कर जिले को प्रस्तुत करना एवं पूर्ण राशि की यू.सी. संकलित कर जिले को जनवरी, 2018 प्रथम सप्ताह तक आवश्यकरूप से प्रेषित करेंगे। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों को दिशा–निर्देश भिजवाना व पालना सुनिश्चित करवायी जावे। औपचारिक शिक्षा के जिला प्रभारी प्राप्त समस्त यू.सी. संकलित कर समय पर राशि का समायोजन कर जिले को आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न प्रपत्र में परिषद् को प्रस्तुत करेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 के अनुसार विद्यालय सुविधा अनुदान (SFG) सम्बन्धित को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि के साथ–साथ दिशा–निर्देश सम्बन्धित कार्यालयों/विद्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं, साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित समयानुसार प्रतिवेदन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करावें। समयबद्ध कार्ययोजना निम्नानुसार है–

क्र.सं.	अनुदान	जारी करने का माह	परिषद् को रिपोर्ट करने का माह
1	विद्यालय सुविधा अनुदान (SFG)	जून/जुलाई	अगस्त से प्रति माह

विशेष :–

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेण्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम .... यू डाईस कोड...

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट) प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में प्राप्त विद्यालय सुविधा अनुदान राशि रू. .... का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा कर लिया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रुपये...................का चैक संख्या............................ बैंक.................................. शाखा.................................दिनांक द्वारा .... वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा / संख्या	दर	राशि (रुपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

नोटः– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....
विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में ब्लॉक .... जिला .... के .... प्राथमिक विद्यालयों एवं .... उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जारी की गई विद्यालय सुविधा अनुदान की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा शाला सुविधा अनुदान हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्रति माह प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों को प्राप्त राशि	ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्राप्त राशि	ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों को व्यय राशि	ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को व्यय राशि	शेष राशि	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग								

हस्ताक्षर
संदर्भ व्यक्ति
....

हस्ताक्षर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
....

जिला स्तर
विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में जिला .... को शाला सुविधा अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... प्राथमिक विद्यालयों एवं कुल .... उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

School Facility Grant (SFG) Budget 2017-18 (In Lac)

S. No.	District Name	PS (Rs. 5000/- Unit Cost)		UPS (Rs. 7000/- Unit Cost)		Total	
		School	Fin.	School	Fin.	School	Fin.
1	Ajmer	1872	93.60	1250	87.50	3122	181.10
2	Alwar	2828	141.40	1970	137.90	4798	279.30
3	Banswara	2946	147.30	937	65.59	3883	212.89
4	Baran	1557	77.85	789	55.23	2346	133.08
5	Barmer	4810	240.50	2155	150.85	6965	391.35
6	Bhartpur	1744	87.20	1180	82.60	2924	169.80
7	Bhilwara	2847	142.35	1528	106.96	4375	249.31
8	Bikaner	1990	99.50	935	65.45	2925	164.95
9	Bundi	1258	62.90	691	48.37	1949	111.27
10	Chittoregarh	1800	90.00	1065	74.55	2865	164.55
11	Churu	1406	70.30	1093	76.51	2499	146.81
12	Dausa	1116	55.80	604	42.28	1720	98.08
13	Dholpur	2430	121.50	822	57.54	3252	179.04
14	Dungarpur	1534	76.70	866	60.62	2400	137.32
15	Ganganagar	1936	96.80	1046	73.22	2982	170.02
16	Hanumangarh	1088	54.40	787	55.09	1875	109.49
17	Jaipur	3734	186.70	2406	168.42	6140	355.12
18	Jaisalmer	1196	59.80	562	39.34	1758	99.14

19	Jalor	1906	95.30	940	65.80	2846	161.10
20	Jhalawar	1707	85.35	985	68.95	2692	154.30
21	Jhunjhunu	1585	79.25	1123	78.61	2708	157.86
22	Jhodhpur	3490	174.50	1625	113.75	5115	288.25
23	Karauli	1389	69.45	751	52.57	2140	122.02
24	Kota	1086	54.30	855	59.85	1941	114.15
25	Nagaur	3039	151.95	1843	129.01	4882	280.96
26	Pali	1785	89.25	1252	87.64	3037	176.89
27	Pratapgarh	1576	78.80	528	36.96	2104	115.76
28	Rajsamand	1720	86.00	856	59.92	2576	145.92
29	Sawai Madhopur	1051	52.55	744	52.08	1795	104.63
30	Sikar	1949	97.45	1415	99.05	3364	196.50
31	Sirohi	911	45.55	485	33.95	1396	79.50
32	Tonk	1453	72.65	1096	76.72	2549	149.37
33	Udaipur	4140	207.00	1544	108.08	5684	315.08
	Total	**66879**	**3343.95**	**36728**	**2570.96**	**103607**	**5914.91**

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त

क्रमांकः– राप्राशिप / जय / औ.शि. / दिशा–निर्देश / SFG / 2017–18 / 3456 दिनांक 3/7/17

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु उपनिदेशकों / जि.शि.अ. / बीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. नियन्त्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह 6 तारीख तक राप्राशिप, जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।
6. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन नोगिया)
उपायुक्त

225

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन नं: 0141–2712376 फैक्स नं: 0141–2701822

क्रमांक:– राप्राशिप / जय / औ.शि. / दिशा–निर्देश / CRC / 2017–18 / 3607 दिनांक:– 5/7/17

दिशा–निर्देश सत्र 2017–18

संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान (CRC Grant)

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 में संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) हेतु बजट प्रावधान किया गया है। जिलेवार वार्षिक कार्य योजना में प्रावधान का विवरण संलग्न है जिनकी ईकाई लागत प्रत्येक सीआरसी हेतु निम्न प्रकार है:–

कन्टीन्जेन्सी ग्रान्ट	2,878 रूपये वार्षिक
मीटिंग व टी.ए.	3,455 रूपये वार्षिक

इस प्रकार सीआरसी हेतु कुल राशि 676.28 लाख रूपये का अनुमोदन किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक प.15(1)प्राशि / संस्थापन / 2017 दिनांक 28.01.2017 की अनुपालना में 9894 ग्राम पंचायतों के माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान को पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) नामित किया गया है एवं आदेश कमांक प.15(1)राप्राशिप / संस्थापन / 2017 / जयपुर दिनांक 07.02.2017 द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEOs) को सर्व शिक्षा अभियान योजना हेतु जारी कार्यन्वयन के कार्यतंत्र अनुसार "संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (CRCF) घोषित किया गया है"। ग्रामीण क्षेत्र में नोडल प्रधानाध्यापक व्यवस्था को समाप्त कर PEEOs को ही संबंध कार्यों का दायित्व दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में कार्यरत सीआरसीएफ / नोडल द्वारा ही पूर्ववत्त उत्तदरायित्व निभाया जाना है। इस प्रकार राज्य सरकार के आदेश अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के 9894 आदर्श विद्यालयों को PEEO / संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) एवं 784 शहरी क्षेत्र के विद्यालयों को नोडल / सीआरसी का काम सौपा गया है। उक्त ग्रान्ट्स ब्लॉक कार्यालयो को भेजते हुए CRC / PEEO विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रावधानानुसार राशि हस्तान्तरण भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जावे। 10,678 सीआरसी को कन्टीन्जेन्सी के तहत प्रति सीआरसी 2,878 /– रूपये एवं मीटिंग व टी.ए. हेतु 3,455 /– रूपये, इस प्रकार कुल 6,333 /– रूपये प्रति सीआरसी हस्तान्तरित की जानी है। संक्षेप में निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

- PEEO की सूची एवं उनके SMC खातों की सूचना "ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी" द्वारा शाला दर्शन पोर्टल से अथवा संबंधित कार्यालयों से प्राप्त कर लेवें।
- पूर्व की नोडल प्रभारी / सीआरसी व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अतः BEEO द्वारा पूर्व के इन सीआरसी / नोडल कार्यालयों एवं उनके SMC खातों से पूर्व में जारी राशियों का मिलान कर सूचना जिला कार्यालयों के माध्यम से भेजना सुनिश्चित किया जाए।

- मीटिंग, टी.ए ग्रान्ट्स में से CRC/ PEEO प्रधानाध्यापकों के ब्लॉक पर मीटिंग में उपस्थित होने पर नियमानुसार टी.ए., डी.ए. का भुगतान आहरण कर सकेंगे। प्रति CRC/ PEEO हेतु उक्त मद में राशि 3455/– रूपये का प्रावधान है। मीटिंग की संख्या लगभग 10 (वार्षिक)।
- कन्टीन्जेन्सी ग्रान्ट 2878/– रूपये प्रति CRC/ PEEO हेतु वितरित करना। इस राशि में से सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष द्वारा फीड़िग एवं मॉनिटरिंग का खर्चा शामिल है। इन व्ययो का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान की रोकड बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
- CRC/ PEEO को अपने अधीन विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन प्रदान करने, सूचना प्राप्त करने के लिए विजिट करने पर राजकीय नियमानुसार टीए प्राप्त कर सकेगा, जिसका समायोजन मीटिंग टी.ए. मद में किया जावेगा।
- समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा उपरोक्त राशि का व्यय किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर समयानुसार परिषद् को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 के अनुसार संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान (CRC Grant) सम्बन्धित को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि के साथ–साथ दिशा–निर्देश सम्बन्धित कार्यालयों/विद्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं, साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित समयानुसार प्रतिवेदन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करावें। समयबद्ध कार्ययोजना निम्नानुसार है–

क्र.सं.	अनुदान	जारी करने का माह	परिषद् को रिपोर्ट करने का माह
1	संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान (CRC Grant)	जून/जुलाई	अगस्त से प्रति माह

विशेष :–

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेण्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि CRC/ PEEO/ नोडल ....(CRC/ PEEO/ नोडल का नाम) को सत्र....... में प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग निम्नानुसार कर लिया है।

क्र. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि		खर्च की गई राशि		शेष राशि	
		कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.

हस्ताक्षर

नोडल प्रभारी/ PEEO/ CRC

C:\Users\SSA\Downloads\CRC Grant.doc

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में ब्लॉक .... जिला .... को CRC/ PEEO/ नोडल को जारी की गई संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधानों द्वारा संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान हेतु परिषद् में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्रति माह प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण संलग्न कर प्रस्तुत है:–

क्र. सं.	माह का नाम	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	CRC/ PEEO/ नोडल को प्राप्त राशि	CRC/ PEEO/ नोडल द्वारा व्यय राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर
संदर्भ व्यक्ति
....

हस्ताक्षर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
....

जिला स्तर

संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में जिला .... को संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से .... सीआरसी (विद्यालयों) को .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा MPR में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

222

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है:-

Academic Support through Cluster Resource Centres Budget 2017-18

Districtwise CRC (Rural & Urban)

S.No.	District Name	Rural CRC (PEEO)	Urban CRC (Nodal)	Total CRC (PEEO / Nodal)	Contingency Grant (Rs. 2878/- per CRC) (Rs. In Lac.)	Meeting TA (Rs. 3455/- per CRC) (Rs. In Lac.)	Total
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (6+7)
1	Ajmer	282	62	344	9.90	11.89	21.79
2	Alwar	512	40	552	15.89	19.07	34.96
3	Banswara	346	7	353	10.16	12.20	22.36
4	Baran	221	10	231	6.65	7.98	14.63
5	Barmer	489	4	493	14.19	17.03	31.22
6	Bhartpur	374	21	395	11.37	13.65	25.02
7	Bhilwara	384	25	409	11.77	14.13	25.90
8	Bikaner	290	27	317	9.12	10.95	20.08
9	Bundi	183	13	196	5.64	6.77	12.41
10	Chittoregarh	290	17	307	8.84	10.61	19.44
11	Churu	254	52	306	8.81	10.57	19.38
12	Dausa	234	10	244	7.02	8.43	15.45
13	Dholpur	171	16	187	5.38	6.46	11.84
14	Dungarpur	291	7	298	8.58	10.30	18.87
15	Ganganagar	336	31	367	10.56	12.68	23.24
16	Hanumangarh	251	29	280	8.06	9.67	17.73
17	Jaipur	532	67	599	17.24	20.70	37.93
18	Jaisalmer	140	7	147	4.23	5.08	9.31
19	Jalor	274	13	287	8.26	9.92	18.18
20	Jhalawar	252	5	257	7.40	8.88	16.28
21	Jhunjhunu	301	19	320	9.21	11.06	20.27
22	Jhodhpur	466	62	528	15.20	18.24	33.44
23	Karauli	227	9	236	6.79	8.15	14.95
24	Kota	155	97	252	7.25	8.71	15.96
25	Nagaur	467	21	488	14.04	16.86	30.91
26	Pali	321	30	351	10.10	12.13	22.23
27	Pratapgarh	165	4	169	4.86	5.84	10.70
28	Rajsamand	207	9	216	6.22	7.46	13.68
29	Sawai Madhopur	200	12	212	6.10	7.32	13.43
30	Sikar	343	20	363	10.45	12.54	22.99
31	Sirohi	162	13	175	5.04	6.05	11.08
32	Tonk	230	13	243	6.99	8.40	15.39
33	Udaipur	544	12	556	16.00	19.21	35.21
	Total	**9894**	**784**	**10678**	**307.31**	**368.92**	**676.24**

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
दिनांक:- 5/7/17

क्रमांक:- राप्राशिप/जय/औ.शि./दिशा-निर्देश/CRC/2017-18/ 3602

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु उपनिदेशकों/जि.शि.अ./ बीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. नियन्त्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह 6 तारीख तक राप्राशिप, जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।
6. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन नोगिया)
उपायुक्त

C:\Users\SSA\Downloads\CRC Grant.doc

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

शिक्षा का अधिकार

फोन नं: 0141–2712376 फैक्स नं: 0141–2701822

क्रमांक:– राप्राशिप/जय/औ.शि./दिशा–निर्देश/TLE/2017–18/ 3459 दिनांक:– 3/7/17

दिशा–निर्देश सत्र 2017–18

शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (TLE Grant)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नव क्रमोन्नत हुए रा.उ.प्रा. विद्यालयों के सम्बलन के लिए शैक्षिक/सहशैक्षिक/ भौतिक उपकरण क्रय किये जाने हेतु टीएलई ग्रान्ट का प्रावधान है।

उद्देश्य :

विद्यालयों को भौतिक/अकादमिक सम्बलन प्रदान करना।

वित्तीय प्रावधान :

- नवक्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु पचास हजार रु. प्रति विद्यालय एकमुश्त।

ध्यान देने योग्य बिन्दु :

- प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुये विद्यालयों हेतु 50,000/– (पचास हजार) का अनुदान शिक्षण अधिगम उपकरण खरीदने हेतु एक बार दिये जाने का प्रावधान है एवं इसी रूप में सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया जाना है।
- टीएलई सामग्री का क्रय संबंधित विद्यालय की एसएमसी द्वारा किया जाना है।
- प्रत्येक एसएमसी पर गठित क्रय समिति टीएलई क्रय के लिए उत्तरदायी होगी। क्रय समिति में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सचिव, दो अभिभावक/ ग्रामीण जन एवं सर्वोच्च कक्षा का विद्यार्थी होंगे, जो एसएमसी के सदस्य हैं।
- सामग्री क्रय करने हेतु एसएमसी बैठक में विद्यालय की प्राथमिकता तय करते हुये सामग्री का क्रय किया जावे।
- टीएलई सामग्री का क्रय करने से पूर्व बाजार सर्वे किया जावे।
- राशि प्राप्त होते ही एसएमसी की बैठक आयोजित की जावे।
- सामग्री का क्रय पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जावे। पारदर्शिता के लिए सभी सम्बन्धित पक्षों को जानकारी देने हेतु एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला बुलाने का दायित्व सम्बन्धित जिला परियोजना समन्वयक का होगा।
- सामग्री क्रय करते समय छात्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे। छात्रों की बैठने की उचित व्यवस्था सर्वप्रथम सुनिश्चित की जावे।

- कोई भी सामग्री अनावश्यक रूप से अत्यधिक/अतिन्यून मात्रा में क्रय न की जावे। यदि कोई सामग्री विद्यालय में पूर्व से मौजूद है तो उसे अनावश्यक क्रय न करें।
- शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते समय ध्यान रखें कि सामग्री नवीन शिक्षण विधाओं पर आधारित हो तथा बच्चों के लिये आनन्ददायी अधिगम में प्रभावी भूमिका अदा करें।
- टीएलई के अन्तर्गत पुस्तकों का क्रय एनसीईआरटी द्वारा संस्तुति की गई सूची से किया जावे।
- सामग्री गुणवत्तापूर्ण व उच्च मानकों की होनी चाहिये। जिला स्तर पर गुणवत्ता निरीक्षण समिति का निर्माण किया जाकर इसका सुनिश्चयन अपेक्षित है।
- क्रय प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् टीएलई सामग्री का भौतिक सत्यापन जिले द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा किया जावे। जिले पर जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय तीन सदस्यीय पर्यवेक्षण दल बनाये जावे जिनमें लेखा–शाखा से भी एक व्यक्ति सम्मिलित किया जावे। इस पर नियमानुसार होने वाला वाहन व्यय मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन मद में प्रभारित किया जावे। सामग्री घटिया स्तर की पाई जाने पर सम्बन्धित एसएमसी के सदस्य व अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

टीएलई राशि का उपयोग निम्नानुसार आवश्यकता की सामग्री क्रय करने में किया जा सकेगा –

क्र.सं.	सामग्री क्रय हेतु	सन्दर्भ सामग्री का संक्षिप्त विवरण
1	प्रधानाध्यापक कक्ष सामग्री	कुर्सी साधारण केन की, मेज, अलमारी, घडी, फाईल रेक, डस्टबिन, कैंची, स्टेपलर, पंचिंग मशीन आदि।
2	प्रार्थना सभा सामग्री	घण्टी (पीतल की) हारमोनियम, ढोलक, घुंघरू, मंजीरे, स्पीच स्टैण्ड, माईक सैट, पीटी ड्रम, लेक्चर स्टेण्ड, खंजरी, झीका आदि।
3	कक्षा–कक्ष उपकरण (छात्रों के उपयोग हेतु)	श्यामपट्ट, ग्रीन बोर्ड, छात्र फर्नीचर, छात्रों हेतु दरी/दरी पट्टी अध्यापक मेज, कुर्सी, महान व्यक्तियों के चित्र, बुक फोल्डर, रेक आदि।
4	अध्ययन सामग्री	विज्ञान/गणित/सामान्य विषयों की अध्ययन–अध्यापन सामग्री, पाठ्य विषय की सीडीज, सन्दर्भ पुस्तके, किट्स, चार्ट्स, मॉडल्स, टीएलएम, बाल साहित्य (एनबीटी, एनसीईआरटी प्राथमिकता से) आदि।
5	खेल/स्वास्थ्य संबंधी सामग्री	आवश्यकता व बच्चों की उपयोगितानुसार फुटबॉल, वॉलीबॉल, रिंग बॉल, वज़न तौलने की मशीन, ऊंचाई मापक यंत्र, बेडमिंटन, रैकिट, कॉक, कूदने की रस्सी, जेवेलिन (भाला), सोटपुट, डिस्क (तस्तरी) नीकैप, इंकलेट, हवा भरने का पम्प आदि।
6	अन्य विविध सामग्री	विद्यालय की आवश्यकता को देखते हुये एसएमसी में लिये गये निर्णय अनुसार प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, दरी, गिलास, जग पानी निकालने का डंडीदार लोटा, फावड़ा, खुरपी, कुदाली, परात, बाल्टी, पोल, रामझारा, पुस्तकालय हेतु अलमारी (बुक सेल्फ), राष्ट्रीय ध्वज, पोषाहार हेतु ड्रम/टंकी, स्टील बॉक्स आदि।

सामग्री क्रय कर, उसका भौतिक सत्यापन कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित बीईईओ द्वारा जिला स्तर पर प्रदान किया जाये तथा जिले द्वारा परिषद् कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 के अनुसार शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (TLE Grant) सम्बन्धित को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि के साथ–साथ दिशा–निर्देश सम्बन्धित कार्यालयों/विद्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित समयानुसार प्रतिवेदन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करावें। समयबद्ध कार्ययोजना निम्नानुसार है–

क्र.सं.	अनुदान	जारी करने का माह	परिषद् को रिपोर्ट करने का माह
1	शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (TLE Grant)	जून/जुलाई	अगस्त से प्रति माह

विशेष :–

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेण्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (टी.एल.ई. ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम : .... यू डाइस कोड : ....

विद्यालय क्रमोन्नत वर्ष: .... क्रमोन्नत आदेश क्रमांक/दिनांक ....

शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (टी.एल.ई. ग्रांट) प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में प्राप्त शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान राशि रु. .... का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा कर लिया गया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रुपये................ डा चैक संख्या........................... बैंक.................................. शाखा.................................दिनांक द्वारा .... वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि.वि.
									पृ.सं.	दिनांक	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। शिक्षण अधिगम उपकरण सामग्री शाला में उपयोग में ली जा रही है/ उपयोग किया जा चुका है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

E:\Sh. Suresh Ku. Sir DD AS\M.S.Office\PFE\Grants 2017-18\TLE Grant\TLE Grant.doc

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....
शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (टी.एल.ई. ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में ब्लॉक .... जिला .... के विद्यालयों प्राप्त शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान की राशि का उपयोग संबंधित एसएमसी द्वारा शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान हेतु परिषद् में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	एसएमसी को प्राप्त राशि	एसएमसी द्वारा व्यय राशि	शेष राशि	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर
संदर्भ व्यक्ति
....

हस्ताक्षर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
....

जिला स्तर
शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (टी.एल.ई. ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में जिला .... को शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से .... विद्यालयों को .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है:–

शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (टी.एल.ई. ग्रांट) 2017–18

क्र.सं.	जिले का नाम	विद्यालय का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाखों में)
1.	बांसवाड़ा	G.P.S. TIMBA MAHUDI	1	0.50
		G.P.S. STALIYA	1	0.50
2.	बीकानेर	G.P.S. HEMERA	1	0.50
3.	डूंगरपुर	G.P.S. CHAKMAHURI	1	0.50
4.	गंगानगर	G.P.S. 3E CHOTI	1	0.50
5.	हनुमानगढ़	G.P.S. 2 SBN SABUANA	1	0.50
		G.P.S. 6 GGR	1	0.50
6.	जैसलमेर	G.P.S. RABLAU FKIROWALA	1	0.50
7.	झुन्झुनू	SAH. SLV.P.S. G.P.S. DHAKA KA BAS	1	0.50
8.	जोधपुर	G.P.S. MEGHWALI KI DHANI	1	0.50
9.	करौली	G.P.S. AKBARPUR	1	0.50
10.	सिरोही	G.P.S. RAMPURA	1	0.50
11.	उदयपुर	G.P.S. SATI KI CHORI	1	0.50
योग			13	6.50

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त

क्रमांक – राप्राशिप/जया/औ.शि./दिशा–निर्देश/TLE/2017–18/ 3460 दिनांक– 3/7/17

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु उपनिदेशकों/ जि.शि.अ./ बीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. नियन्त्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह 6 तारीख तक राप्राशिप, जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।
6. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन [illegible])
उपायुक्त

E:\Sh. Suresh Ka. Sir DD \S\M.S.Office\PFE\Grants 2017-18\TLE Grant\TLE Grant.doc

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्
द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
फोन नं: 0141–2712376
फैक्स नः 0141–2701822

क्रमांकः– राप्राशिप / जय / औ.शि. / दिशा–निर्देश / TLM / 2017–18 / 3457 दिनांकः– 3/7/17

दिशा–निर्देश सत्र 2017–18

शिक्षक अनुदान / टी.एल.एम. (Teacher Grant)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों के अधिगम के लिये रूचिपूर्ण विद्यालयी वातावरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दृष्टि से, बच्चों एवं शिक्षकों की सृजनशीलता को उभारने तथा कक्षा शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु शिक्षक अनुदान (टीएलएम) का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य टीएलएम हेतु प्रदत्त राशि द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर आनन्ददायी शिक्षण के लिए छात्र को क्रियाशील करना एवं कक्षा में शैक्षिक, रोचक एवं जीवन्त वातावरण का निर्माण करना है। सत्र 2017–18 में बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आनन्ददायी शिक्षा देने के लिए इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

यह अनुदान यू डाइस 2016–17 के अनुसार शिक्षा विभाग / पंचायती राज विभाग / संस्कृत शिक्षा / शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों / मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों / समाज कल्याण विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगाये गये शिक्षा सहयोगियों तथा राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को देय है। अतः उक्तानुसार अनुदान सत्र के प्रारम्भ में वितरित किया जाकर शत प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् इसकी प्रगति का उल्लेख मासिक प्रगति प्रतिवेदन में करें।

शिक्षक एवं संस्था प्रधान राशि के उपयोग की कार्य योजना तैयार करेंगे। विषय–वस्तु के आधार पर विद्यालय परिसर व दीवारों पर टीएलएम राशि से चित्रांकन अथवा लेखन कराया जा सकता है। "करके सीखना" (Learning by doing) से ग्रहण की गई शिक्षा स्थायी होती है। अतः टीएलएम का अधिकाधिक उपयोग कर बच्चों को आनन्दायी शिक्षण दिया जा सकता है। शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिये संभावित टीएलएम की सूची नीचे अंकित की जा रही है। प्रत्येक शिक्षक के पास निम्न टीएलएम सन्दर्भ सामग्री में से कम से कम एक सामग्री आवश्यक रूप से होना अपेक्षित है।

क्र.सं.	विषयाध्यापक	न्यूनतम अपेक्षित स्थायी टीएलएम संदर्भ सामग्री
		प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षा शिक्षक हेतु
1.	अंग्रेजी	अंग्रेजी व्याकरण पुस्तक, शब्दकोश
2.	गणित	ज्योमेट्री बॉक्स, पहाड़ा चक्र
3.	विज्ञान	शरीर के आन्तरिक संरचना के मॉडल, चार्ट्स, विज्ञान के दैनिक जीवन में प्रयोग सम्बन्धी पुस्तिकाएं

4.	पर्यावरण अध्ययन	एटलस, जिला, राज्य एवं भारत के मानचित्र, ग्लोब
5.	हिन्दी	हिन्दी व्याकरण पुस्तक, महान व्यक्तियों की जीवनियाँ, पंचतन्त्र की कहानियाँ, शब्दकोश।
6.	संस्कृत	संस्कृत व्याकरण पुस्तक, शब्दकोश।

शेष राशि का उपयोग मॉडल / चार्ट बनाने में कच्ची सामग्री क्रय करने में किया जा सकता है।

वित्तीय प्रावधान :– 500 रुपये प्रति शिक्षक वार्षिक।

कार्य प्रक्रिया :

राशि का हस्तान्तरण जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सीधे ही विद्यालय प्रबन्धन समिति के बैंक खाते में किया जायेगा। कक्षा अनुसार पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुरूप चिह्नित सामग्री की सूची शिक्षकों द्वारा तैयार कर विद्यालय स्तर पर समेकित की जायेगी तथा टीएलएम का क्रय एसएमसी द्वारा गठित क्रय समिति जिसमें एक शिक्षक एवं दो अभिभावक प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, द्वारा किया जायेगा। टीएलएम सामग्री विद्यालय को इकाई मानकर तथा सभी शिक्षकों की पाठ्यक्रम की दृष्टि से कक्षावार समेकित आवश्यकता को ध्यान में रखकर क्रय की जायेगी।

यह सामग्री दो प्रकार की होगी –

1. **अस्थायी सामग्री (25 प्रतिशत राशि अर्थात् 125 रूपये) :–** इसका उपयोग शिक्षक कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों की सहभागिता से शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) निर्माण में कर सकेंगे। इस राशि से फेविकोल, गोंद, रंग, ब्रुश, रूई, धागा, कैंची, पतंगी कागज, चार्ट पेपर, स्केच पेन, थर्मोकॉल शीट, ब्लेड, सेलो टेप, बॉस की लकड़ी, माचिस की तीली, कृत्रिम फूल, पत्तियां, टहनी, स्क्रेप, गत्ते के कार्टून, पुराने समाचार पत्र–पत्रिकाओं में से विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का संग्रह, फलालेन का कपड़ा, सेल, बल्ब, फ्लेश कार्ड, चकरियां, मुखौटे, सांपसीढ़ी, विलोम शब्द सीढ़ी, कागज के खिलौने, कठपुतलियां, मिट्टी के खिलौने, गिनती के चार्ट, वर्णमाला चार्ट आदि सामग्री का क्रय अथवा निर्माण किया जा सकता है।
2. **स्थायी सामग्री (75 प्रतिशत अर्थात् 375 रु.) :–** इसके अन्तर्गत तैयार टीचिंग ऐड / मॉडल / सन्दर्भ पुस्तक क्रय किये जायेंगे जिनकी सहायता से शिक्षक पाठ को सरल, रोचक एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकेंगें। इस राशि का उपयोग निम्न में किया जा सकता है –
   1. वर्किंग मॉडल्स।
   2. नॉन वर्किंग मॉडल्स।
   3. सन्दर्भ पुस्तकें, शब्दकोश।
   4. अन्य टीचिंग एड / कक्षा–कक्षों, बरामदों में सन्दर्भ शिक्षण सामग्री चित्रांकन जैसे – विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सन्धि, समास, कारक, गणित के सूत्र, यातायात संकेत, राजधानी, महापुरूषों के नाम व चित्र, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम, विज्ञान की जानकारियां आदि।

ध्यान देने योग्य बिन्दु :

1. प्रत्येक शिक्षक अपने द्वारा बनायी गई टीएलएम पर अपना नाम एवं निर्माण वर्ष अवश्य अंकित करें।
2. शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग मात्र प्रधानाध्यापक कक्ष को सजाने हेतु नहीं किया जाए बल्कि उसका उपयोग कक्षा–शिक्षण कार्य में विषय वस्तु को रोचक, आसान एवं आनन्ददायी बनाने हेतु किया जावे।
3. टीएलएम सामग्री को बक्से तथा अलमारी में बन्द नहीं रखें। उसका शिक्षण कार्य में दैनिक उपयोग करें तथा शिक्षक दैनन्दिनी में उल्लेख करें। उपयोग से सामग्री खराब होने की चिंता नहीं करें। इसका अधिकाधिक उपयोग करें।
4. हस्तनिर्मित सामग्री से वर्तनी (Spellings) की शुद्धतायुक्त, सुन्दर, स्पष्ट एवं सुपाठ्य लेखन एवं आकर्षक टीएलएम का निर्माण करें ताकि शिक्षण कार्य को सम्बलन मिल सके।
5. टीएलएम को कक्षा–कक्ष अथवा विद्यालय में निर्धारित स्थान (TLM Corner) पर रखें जिससे वह बच्चों को उपयोग करने हेतु आसानी से प्राप्त हो सके।
6. सामग्री को बरसात, नमीयुक्त जगह आदि से बचाकर रखें। टीएलएम के खराब न होने एवं रखरखाव आदि के लिए अध्यापक / प्रधानाध्यापक को सजग एवं जागरूक रहना चाहिए।
7. सामग्री का उपयोग कर उचित माध्यम से जिला परियोजना समन्वयक को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपयोग के एक माह के अन्दर भिजवाये व इसकी सूचना परिषद् पर आवश्यक रूप से भिजवाये।

प्रधानाध्यापक का दायित्वः

प्रधानाध्यापक अपने दैनिक कक्षा अवलोकन में शिक्षक द्वारा शिक्षण में उपयोग की गई टीएलएम का अंकन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि शिक्षक द्वारा टीएलएम का उपयोग विषयवस्तु के अनुसार अध्यापक दैनन्दिनी की पाठ योजना में दर्शाया गया है।

बीईईओ का दायित्वः

विद्यालय अवलोकन में टीएलएम के उपयोग को सुनिश्चित करावें तथा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की मासिक बैठक में टीएलएम के उपयोग के बारे में समीक्षा की जावे तथा डीपीसी, एसएसए को अनुपालना रिपोर्ट मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करें।

प्राप्त टीएलएम सामग्री को शिक्षकों द्वारा टीएलएम पंजिका में निम्न प्रपत्र में संधारित किया जायेः–

कच्ची सामग्री इंद्राज प्रपत्र

(रजिस्टर के बायें पृष्ठ पर बनायें)

क्र.सं.	दिनांक	प्राप्त सामग्री	संख्या	राशि	उपयोग विवरण

हस्ताक्षर अध्यापक

निर्मित सामग्री इन्द्राज प्रपत्र

(रजिस्टर के दायें पृष्ठ पर बनायें)

क्र.सं.	निर्मित सामग्री का विवरण	संख्या	उपयोग का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि बांये पृष्ठ पर प्राप्त कच्ची सामग्री से उक्तानुसार दर्शायी शिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया है।

हस्ताक्षर अध्यापक

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017-18 के अनुसार शिक्षक अनुदान (Teacher Grant) सम्बन्धित को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि के साथ-साथ दिशा-निर्देश सम्बन्धित कार्यालयों/विद्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं, साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित समयानुसार प्रतिवेदन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करावें। समयबद्ध कार्ययोजना निम्नानुसार है-

क्र.सं.	अनुदान	जारी करने का माह	परिषद् को रिपोर्ट करने का माह
1	शिक्षक अनुदान (Teacher Grant)	जून/जुलाई	अगस्त से प्रति माह

विशेष :-

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेण्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

उपयोगिता प्रमाण पत्र (विद्यालय स्तर)

सत्र 2017-18 हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति ....(नाम विद्यालय) को दिनांक .... को प्राप्त टीएलएम राशि से निर्मित/क्रय शिक्षण अधिगम सामग्री को रजिस्टर के पृष्ठ संख्या .... पर दर्ज कर लिया गया है। सामग्री का कक्षा.................. विषय.................. के शिक्षण में उपयोग किया जा रहा है

क्र. स.	माह का नाम	नाम सामग्री	मात्रा	दर	राशि	विषय-वस्तु जिससे सम्बन्धित है	कच्चे माल से तैयार मॉडल का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज पृ. सं./दि.	अध्यापक जिसको इश्यू की गई

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... के अनुरूप क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया।

हस्ताक्षर सचिव	हस्ताक्षर अध्यक्ष (एसएमसी)	हस्ताक्षर अध्यापक

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

शिक्षक अनुदान / टी.एल.एम.

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में ब्लॉक .... जिला .... के विद्यालयों को प्राप्त शिक्षक अनुदान की राशि का उपयोग संबंधित एसएमसी द्वारा शिक्षक अनुदान हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्रति माह प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	एसएमसी को प्राप्त राशि	एसएमसी द्वारा व्यय राशि	शेष राशि	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर
संदर्भ व्यक्ति
....

हस्ताक्षर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
....

जिला स्तर

शिक्षक अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में जिला .... को शिक्षक अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है:–

Teacher Grant Budget 2017-18

(Rs. In lakh)

S.No.	District Name	PS				UPS		Total	
		Class 1 to 2		Class 3 to 5		Class 6 to 8			
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Ajmer	1144	5.72	1717	8.59	5335	26.68	**8196**	**40.98**
2	Alwar	1929	9.65	2894	14.47	7742	38.71	**12565**	**62.83**
3	Banswara	2025	10.13	3039	15.20	4006	20.03	**9070**	**45.35**
4	Baran	1145	5.73	1719	8.60	2726	13.63	**5590**	**27.95**
5	Barmer	2493	12.47	3740	18.70	6183	30.92	**12416**	**62.08**
6	Bhartpur	1049	5.25	1575	7.88	4534	22.67	**7158**	**35.79**
7	Bhilwara	1783	8.92	2675	13.38	5872	29.36	**10330**	**51.65**
8	Bikaner	1250	6.25	1877	9.39	3853	19.27	**6980**	**34.90**
9	Bundi	789	3.95	1185	5.93	2500	12.50	**4474**	**22.37**
10	Chittoregarh	1086	5.43	1629	8.15	3779	18.90	**6494**	**32.47**
11	Churu	767	3.84	1152	5.76	4180	20.90	**6099**	**30.50**
12	Dausa	754	3.77	1132	5.66	2596	12.98	**4482**	**22.41**
13	Dholpur	1487	7.44	2232	11.16	2986	14.93	**6705**	**33.53**
14	Dungarpur	1029	5.15	1544	7.72	3381	16.91	**5954**	**29.77**
15	Ganganagar	1107	5.54	1662	8.31	3713	18.57	**6482**	**32.41**
16	Hanumangarh	555	2.78	834	4.17	2904	14.52	**4293**	**21.47**
17	Jaipur	2936	14.68	4406	22.03	9426	47.13	**16768**	**83.84**
18	Jaisalmer	698	3.49	1048	5.24	1658	8.29	**3404**	**17.02**
19	Jalor	1037	5.19	1556	7.78	3576	17.88	**6169**	**30.85**
20	Jhalawar	1112	5.56	1668	8.34	3630	18.15	**6410**	**32.05**
21	Jhunjhunu	998	4.99	1498	7.49	4449	22.25	**6945**	**34.73**
22	Jhodhpur	2401	12.01	3602	18.01	5833	29.17	**11836**	**59.18**
23	Karauli	1033	5.17	1550	7.75	2934	14.67	**5517**	**27.59**
24	Kota	915	4.58	1374	6.87	3108	15.54	**5397**	**26.99**
25	Nagaur	2225	11.13	3338	16.69	7405	37.03	**12968**	**64.84**
26	Pali	1213	6.07	1821	9.11	5032	25.16	**8066**	**40.33**
27	Pratapgarh	797	3.99	1196	5.98	1801	9.01	**3794**	**18.97**
28	Rajsamand	1027	5.14	1541	7.71	3417	17.09	**5985**	**29.93**
29	Sawai Madhopur	874	4.37	1313	6.57	2717	13.59	**4904**	**24.52**
30	Sikar	1367	6.84	2052	10.26	5773	28.87	**9192**	**45.96**
31	Sirohi	574	2.87	861	4.31	2253	11.27	**3688**	**18.44**
32	Tonk	1191	5.96	1787	8.94	3221	16.11	**6199**	**31.00**
33	Udaipur	2522	12.61	3784	18.92	5991	29.96	12297	61.49
	Total	**43312**	**216.56**	**65001**	**325.01**	**138514**	**692.57**	**246827**	**1234.14**

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त

क्रमांक:– राप्राशिप / जय / औ.शि. / दिशा–निर्देश / TLM / 2017–18 / 3458

दिनांक: 3/7/17

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु अतिनिदेशकों / जि.शि.अ. / बीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. नियन्त्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह 6 तारीख तक राप्राशिप, जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।
6. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन नोगिया)
उपायुक्त

E:\Sh. Suresh Ku. Sir DD AS\M.S.Office\PTT\Grants 2017-18\Teacher Grant\Teacher Grant.doc

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन नं: 0141-2712376 फैक्स नं: 0141-2701822

क्रमांक:- राप्राशिप/जय/औ.शि./दिशा-निर्देश/BRC/2017-18/3453 दिनांक:- 3/7/17

दिशा-निर्देश सत्र 2017-18
ब्लॉक संदर्भ केन्द्र ग्रांट (BRC Grant)

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017-18 में 301 ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (बीआरसी) हेतु बजट प्रावधान किया गया है। जिलेवार वार्षिक कार्य योजना में प्रावधान का विवरण संलग्न है जिनकी ईकाई लागत प्रत्येक बीआरसी (301) हेतु निम्न प्रकार है:-

कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट	50,000 रूपये वार्षिक प्रति बीआरसी।
मीटिंग, टी.ए	30,000 रूपये वार्षिक प्रति बीआरसी।

इस प्रकार कुल 301 बीआरसी हेतु कुल राशि 80,000 रूपये प्रति बीआरसी वार्षिक की दर से राशि कुल 240.80 लाख रूपये का अनुमोदन किया गया है। संक्षेप में निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :-

- मीटिंग, टी.ए ग्रान्टस में से मीटिंग में उपस्थित होने पर नियमानुसार टी.ए., डी.ए. का भुगतान आहरण कर सकेंगे।
- कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट में से सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यो को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष द्वारा फीडिंग एवं मॉनिटरिंग का खर्चा शामिल है। इन व्ययों का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान की रोकड बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
- बीआरसी अपने अधीन विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन प्रदान करने, सूचना प्राप्त करने के लिए विजिट करने पर राजकीय नियमानुसार टीए प्राप्त कर सकेगा, जिसका समायोजन मीटिंग, टी.ए. मद में किया जावेगा।
- उपरोक्त राशि का व्यय होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समयानुसार परिषद को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017-18 के अनुसार ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान (BRC Grant) सम्बन्धित को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि के साथ-साथ दिशा-निर्देश सम्बन्धित कार्यालयों/विद्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं, साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित समयानुसार प्रतिवेदन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध करावें। समयबद्ध कार्ययोजना निम्नानुसार है-

क्र.सं.	अनुदान	जारी करने का माह	परिषद को रिपोर्ट करने का माह
1	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान (BRC Grant)	जून/जुलाई	अगस्त से प्रति माह

विशेष :-

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेण्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....
ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि BRC .... को सत्र 2017–18 में कन्टेन्जेन्सी एवं मीटिंग टी.ए. हेतु प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया जाकर कैश बुक के पृष्ठ संख्या .... पर इन्द्राज कर लिया है।

क्र. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि		खर्च की गई राशि		शेष राशि	
		कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.

हस्ताक्षर
बीआरसी प्रभारी / BEEO

जिला स्तर
ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से जिले की कुल .... बीआरसी को .... राशि जारी की गई एवं परिषद् के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाकर .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा MPR में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है:–

Academic Support through Block Resource Centres Budget 2017-18 (Rs. In Lac.)

S.No.	District Name	BRC Grant					
		Contingency Grant		Meeting TA		Total	
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Ajmer	9	4.50	9	2.70	9	7.20
2	Alwar	14	7.00	14	4.20	14	11.20
3	Banswara	11	5.50	11	3.30	11	8.80
4	Baran	7	3.50	7	2.10	7	5.60
5	Barmer	17	8.50	17	5.10	17	13.60
6	Bhartpur	10	5.00	10	3.00	10	8.00
7	Bhilwara	12	6.00	12	3.60	12	9.60
8	Bikaner	7	3.50	7	2.10	7	5.60
9	Bundi	5	2.50	5	1.50	5	4.00
10	Chittoregarh	11	5.50	11	3.30	11	8.80
11	Churu	7	3.50	7	2.10	7	5.60
12	Dausa	6	3.00	6	1.80	6	4.80
13	Dholpur	5	2.50	5	1.50	5	4.00
14	Dungarpur	10	5.00	10	3.00	10	8.00
15	Ganganagar	9	4.50	9	2.70	9	7.20
16	Hanumangarh	7	3.50	7	2.10	7	5.60
17	Jaipur	19	9.50	19	5.70	19	15.20
18	Jaisalmer	3	1.50	3	0.90	3	2.40
19	Jalor	8	4.00	8	2.40	8	6.40
20	Jhalawar	8	4.00	8	2.40	8	6.40
21	Jhunjhunu	8	4.00	8	2.40	8	6.40
22	Jhodhpur	17	8.50	17	5.10	17	13.60
23	Karauli	6	3.00	6	1.80	6	4.80
24	Kota	6	3.00	6	1.80	6	4.80
25	Nagaur	14	7.00	14	4.20	14	11.20
26	Pali	10	5.00	10	3.00	10	8.00
27	Pratapgarh	5	2.50	5	1.50	5	4.00
28	Rajsamand	7	3.50	7	2.10	7	5.60
29	Sawai Madhopur	6	3.00	6	1.80	6	4.80
30	Sikar	9	4.50	9	2.70	9	7.20
31	Sirohi	5	2.50	5	1.50	5	4.00
32	Tonk	6	3.00	6	1.80	6	4.80
33	Udaipur	17	8.50	17	5.10	17	13.60
	Total	**301**	**150.50**	**301**	**90.30**	**301**	**240.80**

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त

क्रमांकः– राप्राशिप/जय/औ.शि./दिशा–निर्देश/BRC/2017–18/3454 दिनांकः– 3/7/17

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु उपनिदेशकों/जि.शि.अ./ बीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. नियन्त्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह 6 तारीख तक राप्राशिप, जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।
6. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन नागिया)
उपायुक्त

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन नं: 0141–2712376 फैक्स नं: 0141–2701822

क्रमांकः– राप्राशिप / जय / औ.शि. / दिशा–निर्देश / SFG / 2017–18 / 3455 दिनांकः– 3/7/17

दिशा–निर्देश सत्र 2017–18

विद्यालय सुविधा अनुदान (SCHOOL FACILITY GRANT)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा पुराने उपस्करों के प्रतिस्थापन हेतु विद्यालय सुविधा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य–सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक / भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस डाटा 2016–17 के अनुसार राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक / उच्च प्राथमिक खण्ड हेतु देय है जो कि शिक्षा विभाग / पंचायती राज विभाग / संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों / शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों / मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों / समाज कल्याण विभाग के अधीन आते है। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा राशि का स्थानान्तरण सीधे ही विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति के बैंक खाते में किया जायेगा। अतः निम्नानुसार वितरित किया जा कर शत–प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करें।

वित्तीय प्रावधान :

क्र.सं.	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या		विद्यालय का स्तर		योग
		प्रा.वि.	उप्रावि	प्राथमिक विद्यालय स्तर	उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर	
1.	रा.प्रा.वि. (कक्षा 1 से 5)	1	–	5000 / –	0	5000 / –
2.	रा.उ.प्रा.वि. (कक्षा 1 से 8)	1	1	5000 / –	7000 / –	12000 / –
3.	रा.उ.प्रा.वि. (कक्षा 6से 8)	–	1	0	7000 / –	7000 / –
4.	रा.मा. वि. / उ.मा.वि. (कक्षा 1 से 10 व 1 से 12)	1	1	5000 / –	7000 / –	12000 / –
5.	रा.मा.वि. / उ.मा.वि. (कक्षा 6 से 10 व 6 से 12)	–	1	0	7000 / –	7000 / –

नोट :– उपरोक्त तालिका के क्र.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची पृथक से संलग्न है।

कक्षा 1 से 8 संचालित प्रत्येक उच्च प्राथमिक/मा.वि./उ.मा.वि. विद्यालय में कक्षा 1 से 5 को एक प्राथमिक विद्यालय एवं कक्षा 6 से 8 को एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में पृथक–पृथक गणना की जावे तथा सम्बन्धित लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति में जोड़ा जावे।

नोट :– मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा। जिसका ध्यान डीपीसी द्वारा रखा जायेगा।

विद्यालय स्तर :–

एसएफजी राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है –

1. दरी पट्टी/दरी।	2. श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग–रोगन/ ग्रीन बोर्ड/ आदमकद दर्पण/ कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण।
3. चॉक, डस्टर।	4. परीक्षा संबंधी स्टेशनरी।
5. पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय।	6. एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
7. विज्ञान/गणित किट सामग्री के प्रतिस्थापन पर व्यय।	8. विज्ञान व गणित विषय के ई–कंटेन्ट कय कर कल्प लैब हेतु उपलब्ध करवाना।
9. प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री /उपलब्धि प्रमाण–पत्र मुद्रण।	10. शौचालय स्वच्छता व्यय (केवल शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के लिये अधिकतम 150 रूपये प्रतिमाह की सीमा तक)।
11. अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।	12. अन्य उपयोज्य सामग्री यथाः झाडू, मटका, बाल्टी, मग आदि।
13. शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया।	14. विद्यालय सौंदर्यन (उक्त कार्यों के पश्चात् बचत होने पर)।

नोटः– उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जावें। अति–आवश्यक होने पर परिषद की अनुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।

कार्य प्रक्रिया :

1. सर्वप्रथम एसएमसी अपने विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
2. वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
3. बिन्दु संख्या 2 के अनुसार यदि वित्तीय प्रावधान अंतर्गत बचत होती है तो उसका उपयोग विद्यालय सौंदर्यन अथवा BALA (अधिगम सहायक सामग्री के रूप में भवन) की अवधारणा को कार्यान्वित करने में किया जाकर शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जाये।
4. एसएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
5. क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
6. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
7. उपयोग के तत्काल पश्चात या प्रत्येक तिमाही पश्चात् पूर्व निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक/ CRC/ PEEO के माध्यम से तीन प्रतियों में सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यालय को भिजवायें जिससे समय पर इसका समायोजन हो सके। राशियों का माह दिसम्बर तक उपयोग किया जाकर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिले की उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) संकलित कर संलग्न प्रपत्र में परिषद् कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

विद्यालय सुविधा अनुदान राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जावे–

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/स्टाफ रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)।
2. जलपान आदि पर।
3. उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।

ध्यान देने योग्य बिन्दु:–

1. स्कूल फेसिलिटी ग्रान्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्ण पारदर्शिता से क्रय की जावे।
2. सामग्री क्रय करते समय राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
3. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. विद्यालय अवलोकनकर्त्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान विद्यालय सुविधा अनुदान के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. कल्प लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना।

ब्लॉक एवं जिला कार्यालय स्तर :–

औपचारिक शिक्षा के ब्लॉक एवं जिला प्रभारी समस्त एस.एम.सी. को उक्त दिशा निर्देश की प्रति प्राप्त होना, दिशा–निर्देशों की पालना होना एवं यू.सी. प्राप्त कर ब्लॉक कार्यालय स्तर पर त्रैमासिक आधार पर संकलित कर जिले को प्रस्तुत करना एवं पूर्ण राशि की यू.सी. संकलित कर जिले को जनवरी, 2018 प्रथम सप्ताह तक आवश्यकरूप से प्रेषित करेंगे। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों को दिशा–निर्देश भिजवाना व पालना सुनिश्चित करवायी जावे। औपचारिक शिक्षा के जिला प्रभारी प्राप्त समस्त यू.सी. संकलित कर समय पर राशि का समायोजन कर जिले को आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न प्रपत्र में परिषद् को प्रस्तुत करेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 के अनुसार विद्यालय सुविधा अनुदान (SFG) सम्बन्धित को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि के साथ–साथ दिशा–निर्देश सम्बन्धित कार्यालयों/विद्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं, साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित समयानुसार प्रतिवेदन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करावें। समयबद्ध कार्ययोजना निम्नानुसार है–

क्र.सं.	अनुदान	जारी करने का माह	परिषद् को रिपोर्ट करने का माह
1	विद्यालय सुविधा अनुदान (SFG)	जून/जुलाई	अगस्त से प्रति माह

विशेष :–

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेण्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम .... यू डाईस कोड..

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट) प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में प्राप्त विद्यालय सुविधा अनुदान राशि रू. .... का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा कर लिया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रुपये..................का चैक संख्या............................. बैक... शाखा.....................................दिनांक द्वारा .... वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा / संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

नोटः– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....
विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में ब्लॉक .... जिला .... के .... प्राथमिक विद्यालयों एवं .... उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जारी की गई विद्यालय सुविधा अनुदान की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा शाला सुविधा अनुदान हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्रति माह प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों को प्राप्त राशि	ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्राप्त राशि	ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों को व्यय राशि	ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को व्यय राशि	शेष राशि	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग								

हस्ताक्षर
संदर्भ व्यक्ति
....

हस्ताक्षर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
....

जिला स्तर
विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में जिला .... को शाला सुविधा अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... प्राथमिक विद्यालयों एवं कुल .... उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

School Facility Grant (SFG) Budget 2017-18 (In Lac)

S. No.	District Name	PS (Rs. 5000/- Unit Cost)		UPS (Rs. 7000/- Unit Cost)		Total	
		School	Fin.	School	Fin.	School	Fin.
1	Ajmer	1872	93.60	1250	87.50	3122	181.10
2	Alwar	2828	141.40	1970	137.90	4798	279.30
3	Banswara	2946	147.30	937	65.59	3883	212.89
4	Baran	1557	77.85	789	55.23	2346	133.08
5	Barmer	4810	240.50	2155	150.85	6965	391.35
6	Bhartpur	1744	87.20	1180	82.60	2924	169.80
7	Bhilwara	2847	142.35	1528	106.96	4375	249.31
8	Bikaner	1990	99.50	935	65.45	2925	164.95
9	Bundi	1258	62.90	691	48.37	1949	111.27
10	Chittoregarh	1800	90.00	1065	74.55	2865	164.55
11	Churu	1406	70.30	1093	76.51	2499	146.81
12	Dausa	1116	55.80	604	42.28	1720	98.08
13	Dholpur	2430	121.50	822	57.54	3252	179.04
14	Dungarpur	1534	76.70	866	60.62	2400	137.32
15	Ganganagar	1936	96.80	1046	73.22	2982	170.02
16	Hanumangarh	1088	54.40	787	55.09	1875	109.49
17	Jaipur	3734	186.70	2406	168.42	6140	355.12
18	Jaisalmer	1196	59.80	562	39.34	1758	99.14

19	Jalor	1906	95.30	940	65.80	2846	161.10
20	Jhalawar	1707	85.35	985	68.95	2692	154.30
21	Jhunjhunu	1585	79.25	1123	78.61	2708	157.86
22	Jhodhpur	3490	174.50	1625	113.75	5115	288.25
23	Karauli	1389	69.45	751	52.57	2140	122.02
24	Kota	1086	54.30	855	59.85	1941	114.15
25	Nagaur	3039	151.95	1843	129.01	4882	280.96
26	Pali	1785	89.25	1252	87.64	3037	176.89
27	Pratapgarh	1576	78.80	528	36.96	2104	115.76
28	Rajsamand	1720	86.00	856	59.92	2576	145.92
29	Sawai Madhopur	1051	52.55	744	52.08	1795	104.63
30	Sikar	1949	97.45	1415	99.05	3364	196.50
31	Sirohi	911	45.55	485	33.95	1396	79.50
32	Tonk	1453	72.65	1096	76.72	2549	149.37
33	Udaipur	4140	207.00	1544	108.08	5684	315.08
	Total	**66879**	**3343.95**	**36728**	**2570.96**	**103607**	**5914.91**

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त

क्रमांकः– राप्राशिप / जय / औ.शि. / दिशा–निर्देश / SFG / 2017–18 / 3456 दिनांक 3/7/17

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु उपनिदेशकों / जि.शि.अ. / बीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. नियन्त्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह 6 तारीख तक राप्राशिप, जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।
6. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन नोगिया)
उपायुक्त

225

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन नं: 0141–2712376 फैक्स नं: 0141–2701822

क्रमांक:– राप्राशिप / जय / औ.शि. / दिशा–निर्देश / CRC / 2017–18 / 3607 दिनांक:– 5/7/17

दिशा–निर्देश सत्र 2017–18

संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान (CRC Grant)

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 में संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) हेतु बजट प्रावधान किया गया है। जिलेवार वार्षिक कार्य योजना में प्रावधान का विवरण संलग्न है जिनकी ईकाई लागत प्रत्येक सीआरसी हेतु निम्न प्रकार है:–

कन्टीन्जेन्सी ग्रान्ट	2,878 रूपये वार्षिक
मीटिंग व टी.ए.	3,455 रूपये वार्षिक

इस प्रकार सीआरसी हेतु कुल राशि 676.28 लाख रूपये का अनुमोदन किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक प.15(1)प्राशि / संस्थापन / 2017 दिनांक 28.01.2017 की अनुपालना में 9894 ग्राम पंचायतों के माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान को पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) नामित किया गया है एवं आदेश कमांक प.15(1)राप्राशिप / संस्थापन / 2017 / जयपुर दिनांक 07.02.2017 द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEOs) को सर्व शिक्षा अभियान योजना हेतु जारी कार्यन्वयन के कार्यतंत्र अनुसार "संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (CRCF) घोषित किया गया है"। ग्रामीण क्षेत्र में नोडल प्रधानाध्यापक व्यवस्था को समाप्त कर PEEOs को ही संबंध कार्यों का दायित्व दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में कार्यरत सीआरसीएफ / नोडल द्वारा ही पूर्ववत्त उत्तदरायित्व निभाया जाना है। इस प्रकार राज्य सरकार के आदेश अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के 9894 आदर्श विद्यालयों को PEEO / संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) एवं 784 शहरी क्षेत्र के विद्यालयों को नोडल / सीआरसी का काम सौपा गया है। उक्त ग्रान्ट्स ब्लॉक कार्यालयो को भेजते हुए CRC / PEEO विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रावधानानुसार राशि हस्तान्तरण भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जावे। 10,678 सीआरसी को कन्टीन्जेन्सी के तहत प्रति सीआरसी 2,878 / – रूपये एवं मीटिंग व टी.ए. हेतु 3,455 / – रूपये, इस प्रकार कुल 6,333 / – रूपये प्रति सीआरसी हस्तान्तरित की जानी है। संक्षेप में निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

- PEEO की सूची एवं उनके SMC खातों की सूचना "ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी" द्वारा शाला दर्शन पोर्टल से अथवा संबंधित कार्यालयों से प्राप्त कर लेवें।
- पूर्व की नोडल प्रभारी / सीआरसी व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अतः BEEO द्वारा पूर्व के इन सीआरसी / नोडल कार्यालयों एवं उनके SMC खातों से पूर्व में जारी राशियों का मिलान कर सूचना जिला कार्यालयों के माध्यम से भेजना सुनिश्चित किया जाए।

- मीटिंग, टी.ए ग्रान्ट्स में से CRC / PEEO प्रधानाध्यापकों के ब्लॉक पर मीटिंग में उपस्थित होने पर नियमानुसार टी.ए., डी.ए. का भुगतान आहरण कर सकेंगे। प्रति CRC / PEEO हेतु उक्त मद में राशि 3455/– रूपये का प्रावधान है। मीटिंग की संख्या लगभग 10 (वार्षिक)।
- कन्टीन्जेन्सी ग्रान्ट 2878/– रूपये प्रति CRC / PEEO हेतु वितरित करना। इस राशि में से सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यो को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष द्वारा फीड़िग एवं मॉनिटरिंग का खर्चा शामिल है। इन व्ययो का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान की रोकड बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
- CRC / PEEO को अपने अधीन विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन प्रदान करने, सूचना प्राप्त करने के लिए विजिट करने पर राजकीय नियमानुसार टीए प्राप्त कर सकेगा, जिसका समायोजन मीटिंग टी.ए. मद में किया जावेगा।
- समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा उपरोक्त राशि का व्यय किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर समयानुसार परिषद् को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 के अनुसार संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान (CRC Grant) सम्बन्धित को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि के साथ–साथ दिशा–निर्देश सम्बन्धित कार्यालयों/विद्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं, साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित समयानुसार प्रतिवेदन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करावें। समयबद्ध कार्ययोजना निम्नानुसार है–

क्र.सं.	अनुदान	जारी करने का माह	परिषद् को रिपोर्ट करने का माह
1	संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान (CRC Grant)	जून/जुलाई	अगस्त से प्रति माह

विशेष :–

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेण्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि CRC / PEEO / नोडल ....(CRC / PEEO / नोडल का नाम) को सत्र....... में प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग निम्नानुसार कर लिया है।

क. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि		खर्च की गई राशि		शेष राशि	
		कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.

हस्ताक्षर
नोडल प्रभारी/ PEEO/ CRC

223

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में ब्लॉक .... जिला .... को CRC/ PEEO/ नोडल को जारी की गई संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधानों द्वारा संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान हेतु परिषद् में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्रति माह प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण संलग्न कर प्रस्तुत है:–

क्र. सं.	माह का नाम	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	CRC/ PEEO/ नोडल को प्राप्त राशि	CRC/ PEEO/ नोडल द्वारा व्यय राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर
संदर्भ व्यक्ति
....

हस्ताक्षर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
....

जिला स्तर

संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में जिला .... को संकुल संदर्भ केन्द्र अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से .... सीआरसी (विद्यालयों) को .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा MPR में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

222

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है:–

Academic Support through Cluster Resource Centres Budget 2017-18

Districtwise CRC (Rural & Urban)

S.No.	District Name	Rural CRC (PEEO)	Urban CRC (Nodal)	Total CRC (PEEO / Nodal)	Contingency Grant (Rs. 2878/- per CRC) (Rs. In Lac.)	Meeting TA (Rs. 3455/- per CRC) (Rs. In Lac.)	Total
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (6+7)
1	Ajmer	282	62	344	9.90	11.89	21.79
2	Alwar	512	40	552	15.89	19.07	34.96
3	Banswara	346	7	353	10.16	12.20	22.36
4	Baran	221	10	231	6.65	7.98	14.63
5	Barmer	489	4	493	14.19	17.03	31.22
6	Bhartpur	374	21	395	11.37	13.65	25.02
7	Bhilwara	384	25	409	11.77	14.13	25.90
8	Bikaner	290	27	317	9.12	10.95	20.08
9	Bundi	183	13	196	5.64	6.77	12.41
10	Chittoregarh	290	17	307	8.84	10.61	19.44
11	Churu	254	52	306	8.81	10.57	19.38
12	Dausa	234	10	244	7.02	8.43	15.45
13	Dholpur	171	16	187	5.38	6.46	11.84
14	Dungarpur	291	7	298	8.58	10.30	18.87
15	Ganganagar	336	31	367	10.56	12.68	23.24
16	Hanumangarh	251	29	280	8.06	9.67	17.73
17	Jaipur	532	67	599	17.24	20.70	37.93
18	Jaisalmer	140	7	147	4.23	5.08	9.31
19	Jalor	274	13	287	8.26	9.92	18.18
20	Jhalawar	252	5	257	7.40	8.88	16.28
21	Jhunjhunu	301	19	320	9.21	11.06	20.27
22	Jhodhpur	466	62	528	15.20	18.24	33.44
23	Karauli	227	9	236	6.79	8.15	14.95
24	Kota	155	97	252	7.25	8.71	15.96
25	Nagaur	467	21	488	14.04	16.86	30.91
26	Pali	321	30	351	10.10	12.13	22.23
27	Pratapgarh	165	4	169	4.86	5.84	10.70
28	Rajsamand	207	9	216	6.22	7.46	13.68
29	Sawai Madhopur	200	12	212	6.10	7.32	13.43
30	Sikar	343	20	363	10.45	12.54	22.99
31	Sirohi	162	13	175	5.04	6.05	11.08
32	Tonk	230	13	243	6.99	8.40	15.39
33	Udaipur	544	12	556	16.00	19.21	35.21
	Total	**9894**	**784**	**10678**	**307.31**	**368.92**	**676.24**

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
दिनांक:– 5/7/17

क्रमांक:– राप्राशिप / जय / औ.शि. / दिशा–निर्देश / CRC / 2017–18 / 3602
प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु उपनिदेशकों / जि.शि.अ. / बीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. नियन्त्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह 6 तारीख तक राप्राशिप, जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।
6. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन नोगिया)
उपायुक्त

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान

फोन नं. 0141–2712376 फैक्स नं. 0141–2701822

क्रमांक– राप्राशिप/जय/औ.शि./दिशा–निर्देश/TLE/2017–18/ 3459 दिनांक– 3/7/17

दिशा–निर्देश सत्र 2017–18

शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (TLE Grant)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नव क्रमोन्नत हुए रा.उ.प्रा. विद्यालयों के सम्बलन के लिए शैक्षिक/सहशैक्षिक/ भौतिक उपकरण क्रय किये जाने हेतु टीएलई ग्रान्ट का प्रावधान है।

उद्देश्य :

विद्यालयों को भौतिक/अकादमिक सम्बलन प्रदान करना।

वित्तीय प्रावधान :

- नवक्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु पचास हजार रु. प्रति विद्यालय एकमुश्त।

ध्यान देने योग्य बिन्दु :

- प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुये विद्यालयों हेतु 50,000/– (पचास हजार) का अनुदान शिक्षण अधिगम उपकरण खरीदने हेतु एक बार दिये जाने का प्रावधान है एवं एक साथ सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया जाना है।
- टीएलई सामग्री का क्रय संबंधित विद्यालय की एसएमसी द्वारा किया जाना है।
- प्रत्येक एसएमसी पर गठित क्रय समिति टीएलई क्रय के लिए उत्तरदायी होगी। क्रय समिति में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सचिव, दो अभिभावक/ ग्रामीण जन एवं सर्वोच्च कक्षा का विद्यार्थी होंगे, जो एसएमसी के सदस्य हैं।
- सामग्री क्रय करने हेतु एसएमसी बैठक में विद्यालय की प्राथमिकता तय करते हुये सामग्री का खरीदारी किया जावे।
- टीएलई सामग्री का क्रय करने से पूर्व बाजार सर्वे किया जावे।
- राशि प्राप्त होते ही एसएमसी की बैठक आयोजित की जावे।
- सामग्री का क्रय पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जावे। पारदर्शिता के लिए सभी सम्बन्धित पक्षों को जानकारी देने हेतु एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला बुलाने का दायित्व सम्बन्धित जिला परियोजना समन्वयक का होगा।
- सामग्री क्रय करते समय छात्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे। छात्रों की बैठने की उचित व्यवस्था सर्वप्रथम सुनिश्चित की जावे।

- कोई भी सामग्री अनावश्यक रूप से अत्यधिक/अतिन्यून मात्रा में क्रय न की जावे। यदि कोई सामग्री विद्यालय में पूर्व से मौजूद है तो उसे अनावश्यक क्रय न करें।
- शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते समय ध्यान रखें कि सामग्री नवीन शिक्षण विधाओं पर आधारित हो तथा बच्चों के लिये आनन्ददायी अधिगम में प्रभावी भूमिका अदा करें।
- टीएलई के अन्तर्गत पुस्तकों का क्रय एनसीईआरटी द्वारा संस्तुति की गई सूची से किया जावे।
- सामग्री गुणवत्तापूर्ण व उच्च मानकों की होनी चाहिये। जिला स्तर पर गुणवत्ता निरीक्षण समिति का निर्माण किया जाकर इसका सुनिश्चयन अपेक्षित है।
- क्रय प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् टीएलई सामग्री का भौतिक सत्यापन जिले द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा किया जावे। जिले पर जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय तीन सदस्यीय पर्यवेक्षण दल बनाये जावे जिनमें लेखा–शाखा से भी एक व्यक्ति सम्मिलित किया जावे। इस पर नियमानुसार होने वाला वाहन व्यय मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन मद में प्रभारित किया जावे। सामग्री घटिया स्तर की पाई जाने पर सम्बन्धित एसएमसी के सदस्य व अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

टीएलई राशि का उपयोग निम्नानुसार आवश्यकता की सामग्री क्रय करने में किया जा सकेगा –

क्र.सं.	सामग्री क्रय हेतु	सन्दर्भ सामग्री का संक्षिप्त विवरण
1	प्रधानाध्यापक कक्ष सामग्री	कुर्सी साधारण केन की, मेज, अलमारी, घडी, फाईल रेक, डस्टबिन, कैंची, स्टेपलर, पंचिंग मशीन आदि।
2	प्रार्थना सभा सामग्री	घण्टी (पीतल की) हारमोनियम, ढोलक, घुंघरू, मंजीरे, स्पीच स्टैण्ड, माईक सैट, पीटी ड्रम, लेक्चर स्टेण्ड, खंजरी, झीका आदि।
3	कक्षा–कक्ष उपकरण (छात्रों के उपयोग हेतु)	श्यामपट्ट, ग्रीन बोर्ड, छात्र फर्नीचर, छात्रों हेतु दरी/दरी पट्टी अध्यापक मेज, कुर्सी, महान व्यक्तियों के चित्र, बुक फोल्डर, रेक आदि।
4	अध्ययन सामग्री	विज्ञान/गणित/सामान्य विषयों की अध्ययन–अध्यापन सामग्री, पाठ्य विषय की सीडीज, सन्दर्भ पुस्तके, किट्स, चार्ट्स, मॉडल्स, टीएलएम, बाल साहित्य (एनबीटी, एनसीईआरटी प्राथमिकता से) आदि।
5	खेल/स्वास्थ्य संबंधी सामग्री	आवश्यकता व बच्चों की उपयोगितानुसार फुटबॉल, वॉलीबॉल, रिंग बॉल, वज़न तौलने की मशीन, ऊंचाई मापक यंत्र, बेडमिंटन, रैकिट, कॉक, कूदने की रस्सी, जेवेलिन (भाला), सोटपुट, डिस्क (तश्तरी) नीकैप, इंकलेट, हवा भरने का पम्प आदि।
6	अन्य विविध सामग्री	विद्यालय की आवश्यकता को देखते हुये एसएमसी में लिये गये निर्णय अनुसार प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, दरी, गिलास, जग पानी निकालने का डंडीदार लोटा, फावड़ा, खुरपी, कुदाली, परात, बाल्टी, पोल, रामझारा, पुस्तकालय हेतु अलमारी (बुक सेल्फ), राष्ट्रीय ध्वज, पोषाहार हेतु ड्रम/टंकी, स्टील बॉक्स आदि।

सामग्री क्रय कर, उसका भौतिक सत्यापन कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित बीईईओ द्वारा जिला स्तर पर प्रदान किया जाये तथा जिले द्वारा परिषद् कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 के अनुसार शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (TLE Grant) सम्बन्धित को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि के साथ–साथ दिशा–निर्देश सम्बन्धित कार्यालयों/विद्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित समयानुसार प्रतिवेदन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करावें। समयबद्ध कार्ययोजना निम्नानुसार है–

क्र.सं.	अनुदान	जारी करने का माह	परिषद् को रिपोर्ट करने का माह
1	शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (TLE Grant)	जून/जुलाई	अगस्त से प्रति माह

विशेष :–

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेण्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (टी.एल.ई. ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम : .... यू डाइस कोड : ....

विद्यालय क्रमोन्नत वर्षः .... क्रमोन्नत आदेश क्रमांक/दिनांक ....

शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (टी.एल.ई. ग्रांट) प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में प्राप्त शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान राशि रू. .... का उपयोग विद्यालय प्रवन्धन समिति द्वारा कर लिया गया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रुपये.............. डा चैक संख्या.................... बैंक.............................. शाखा.............................दिनांक द्वारा .... वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि.वि.
									पृ.सं.	दिनांक	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। शिक्षण अधिगम उपकरण सामग्री शाला में उपयोग में ली जा रही है/ उपयोग किया जा चुका है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (टी.एल.ई. ग्रांट)

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में ब्लॉक .... जिला .... के विद्यालयों प्राप्त शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान की राशि का उपयोग संबंधित एसएमसी द्वारा शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान हेतु परिषद् में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	एसएमसी को प्राप्त राशि	एसएमसी द्वारा व्यय राशि	शेष राशि	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर
संदर्भ व्यक्ति
....

हस्ताक्षर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
....

जिला स्तर

शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (टी.एल.ई. ग्रांट)

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में जिला .... को शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से .... विद्यालयों को .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है:–

शिक्षण अधिगम उपकरण अनुदान (टी.एल.ई. ग्रांट) 2017–18

क्र.सं.	जिले का नाम	विद्यालय का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाखों में)
1.	बांसवाड़ा	G.P.S. TIMBA MAHUDI	1	0.50
		G.P.S. STALIYA	1	0.50
2.	बीकानेर	G.P.S. HEMERA	1	0.50
3.	डूंगरपुर	G.P.S. CHAKMAHURI	1	0.50
4.	गंगानगर	G.P.S. 3E CHOTI	1	0.50
5.	हनुमानगढ़	G.P.S. 2 SBN SABUANA	1	0.50
		G.P.S. 6 GGR	1	0.50
6.	जैसलमेर	G.P.S. RABLAU FKIROWALA	1	0.50
7.	झुन्झुनू	SAH. SLV.P.S. G.P.S. DHAKA KA BAS	1	0.50
8.	जोधपुर	G.P.S. MEGHWALI KI DHANI	1	0.50
9.	करौली	G.P.S. AKBARPUR	1	0.50
10.	सिरोही	G.P.S. RAMPURA	1	0.50
11.	उदयपुर	G.P.S. SATI KI CHORI	1	0.50
	योग		13	6.50

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त

क्रमांक – राप्राशिप/जग/औ.शि./दिशा–निर्देश/TLE/2017–18/ 3460 दिनांक– 3/7/17

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु उपनिदेशकों/ जि.शि.अ./ बीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. नियन्त्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह 6 तारीख तक राप्राशिप, जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।
6. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन [illegible])
उपायुक्त

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन नं: 0141–2712376 फैक्स नः 0141–2701822

क्रमांक– राप्राशिप/जय/औ.शि./दिशा–निर्देश/TLM/2017–18/ 3457 दिनांकः– 3/7/17

दिशा–निर्देश सत्र 2017–18

शिक्षक अनुदान/ टी.एल.एम. (Teacher Grant)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों के अधिगम के लिये रूचिपूर्ण विद्यालयी वातावरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दृष्टि से, बच्चों एवं शिक्षकों की सृजनशीलता को उभारने तथा कक्षा शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु शिक्षक अनुदान (टीएलएम) का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य टीएलएम हेतु प्रदत्त राशि द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर आनन्ददायी शिक्षण के लिए छात्र को क्रियाशील करना एवं कक्षा में शैक्षिक, रोचक एवं जीवन्त वातावरण का निर्माण करना है। सत्र 2017–18 में बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आनन्ददायी शिक्षा देने के लिए इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

यह अनुदान यू डाइस 2016–17 के अनुसार शिक्षा विभाग/ पंचायती राज विभाग/संस्कृत शिक्षा/शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों/मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों/ समाज कल्याण विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगाये गये शिक्षा सहयोगियों तथा राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को देय है। अतः उक्तानुसार अनुदान सत्र के प्रारम्भ में वितरित किया जाकर शत प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् इसकी प्रगति का उल्लेख मासिक प्रगति प्रतिवेदन में करें।

शिक्षक एवं संस्था प्रधान राशि के उपयोग की कार्य योजना तैयार करेंगे। विषय–वस्तु के आधार पर विद्यालय परिसर व दीवारों पर टीएलएम राशि से चित्रांकन अथवा लेखन कराया जा सकता है। "करके सीखना" (Learning by doing) से ग्रहण की गई शिक्षा स्थायी होती है। अतः टीएलएम का अधिकाधिक उपयोग कर बच्चों को आनन्दायी शिक्षण दिया जा सकता है। शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिये संभावित टीएलएम की सूची नीचे अंकित की जा रही है। प्रत्येक शिक्षक के पास निम्न टीएलएम सन्दर्भ सामग्री में से कम से कम एक सामग्री आवश्यक रूप से होना अपेक्षित है।

क्र.सं.	विषयाध्यापक	न्यूनतम अपेक्षित स्थायी टीएलएम संदर्भ सामग्री प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक कक्षा शिक्षक हेतु
1.	अंग्रेजी	अंग्रेजी व्याकरण पुस्तक, शब्दकोश
2.	गणित	ज्योमेट्री बॉक्स, पहाड़ा चक्र
3.	विज्ञान	शरीर के आन्तरिक संरचना के मॉडल, चार्ट्स, विज्ञान के दैनिक जीवन में प्रयोग सम्बन्धी पुस्तिकाएं

4.	पर्यावरण अध्ययन	एटलस, जिला, राज्य एवं भारत के मानचित्र, ग्लोब
5.	हिन्दी	हिन्दी व्याकरण पुस्तक, महान व्यक्तियों की जीवनियाँ, पंचतन्त्र की कहानियाँ, शब्दकोश।
6.	संस्कृत	संस्कृत व्याकरण पुस्तक, शब्दकोश।

शेष राशि का उपयोग मॉडल/चार्ट बनाने में कच्ची सामग्री क्रय करने में किया जा सकता है।

वित्तीय प्रावधान :– 500 रुपये प्रति शिक्षक वार्षिक।

कार्य प्रक्रिया :

राशि का हस्तान्तरण जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सीधे ही विद्यालय प्रबन्धन समिति के बैंक खाते में किया जायेगा। कक्षा अनुसार पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुरूप चिह्नित सामग्री की सूची शिक्षकों द्वारा तैयार कर विद्यालय स्तर पर समेकित की जायेगी तथा टीएलएम का क्रय एसएमसी द्वारा गठित क्रय समिति जिसमें एक शिक्षक एवं दो अभिभावक प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, द्वारा किया जायेगा। टीएलएम सामग्री विद्यालय को इकाई मानकर तथा सभी शिक्षकों की पाठ्यक्रम की दृष्टि से कक्षावार समेकित आवश्यकता को ध्यान में रखकर क्रय की जायेगी।

यह सामग्री दो प्रकार की होगी –

1. **अस्थायी सामग्री (25 प्रतिशत राशि अर्थात् 125 रूपये) :–** इसका उपयोग शिक्षक कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों की सहभागिता से शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) निर्माण में कर सकेंगे। इस राशि से फेविकोल, गोंद, रंग, ब्रुश, रूई, धागा, कैंची, पतंगी कागज, चार्ट पेपर, स्केच पेन, थर्मोकॉल शीट, ब्लेड, सेलो टेप, बॉस की लकड़ी, माचिस की तीली, कृत्रिम फूल, पत्तियां, टहनी, स्क्रेप, गत्ते के कार्टून, पुराने समाचार पत्र–पत्रिकाओं में से विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का संग्रह, फलालेन का कपड़ा, सेल, बल्ब, फ्लेश कार्ड, चकरियां, मुखौटे, सांपसीढ़ी, विलोम शब्द सीढ़ी, कागज के खिलौने, कठपुतलियां, मिट्टी के खिलौने, गिनती के चार्ट, वर्णमाला चार्ट आदि सामग्री का क्रय अथवा निर्माण किया जा सकता है।
2. **स्थायी सामग्री (75 प्रतिशत अर्थात् 375 रु.) :–** इसके अन्तर्गत तैयार टीचिंग ऐड/मॉडल/सन्दर्भ पुस्तक क्रय किये जायेंगे जिनकी सहायता से शिक्षक पाठ को सरल, रोचक एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकेंगें। इस राशि का उपयोग निम्न में किया जा सकता है –
   1. वर्किंग मॉडल्स।
   2. नॉन वर्किंग मॉडल्स।
   3. सन्दर्भ पुस्तकें, शब्दकोश।
   4. अन्य टीचिंग एड/कक्षा–कक्षों, बरामदों में सन्दर्भ शिक्षण सामग्री चित्रांकन जैसे – विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सन्धि, समास, कारक, गणित के सूत्र, यातायात संकेत, राजधानी, महापुरूषों के नाम व चित्र, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम, विज्ञान की जानकारियां आदि।

ध्यान देने योग्य बिन्दु :

1. प्रत्येक शिक्षक अपने द्वारा बनायी गई टीएलएम पर अपना नाम एवं निर्माण वर्ष अवश्य अंकित करें।
2. शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग मात्र प्रधानाध्यापक कक्ष को सजाने हेतु नहीं किया जाए बल्कि उसका उपयोग कक्षा–शिक्षण कार्य में विषय वस्तु को रोचक, आसान एवं आनन्ददायी बनाने हेतु किया जावे।
3. टीएलएम सामग्री को बक्से तथा अलमारी में बन्द नहीं रखें। उसका शिक्षण कार्य में दैनिक उपयोग करें तथा शिक्षक दैनन्दिनी में उल्लेख करें। उपयोग से सामग्री खराब होने की चिंता नहीं करें। इसका अधिकाधिक उपयोग करें।
4. हस्तनिर्मित सामग्री से वर्तनी (Spellings) की शुद्धतायुक्त, सुन्दर, स्पष्ट एवं सुपाठ्य लेखन एवं आकर्षक टीएलएम का निर्माण करें ताकि शिक्षण कार्य को सम्बलन मिल सके।
5. टीएलएम को कक्षा–कक्ष अथवा विद्यालय में निर्धारित स्थान (TLM Corner) पर रखें जिससे वह बच्चों को उपयोग करने हेतु आसानी से प्राप्त हो सके।
6. सामग्री को बरसात, नमीयुक्त जगह आदि से बचाकर रखें। टीएलएम के खराब न होने एवं रखरखाव आदि के लिए अध्यापक / प्रधानाध्यापक को सजग एवं जागरूक रहना चाहिए।
7. सामग्री का उपयोग कर उचित माध्यम से जिला परियोजना समन्वयक को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपयोग के एक माह के अन्दर भिजवाये व इसकी सूचना परिषद् पर आवश्यक रूप से भिजवाये।

प्रधानाध्यापक का दायित्वः

प्रधानाध्यापक अपने दैनिक कक्षा अवलोकन में शिक्षक द्वारा शिक्षण में उपयोग की गई टीएलएम का अंकन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि शिक्षक द्वारा टीएलएम का उपयोग विषयवस्तु के अनुसार अध्यापक दैनन्दिनी की पाठ योजना में दर्शाया गया है।

बीईईओ का दायित्वः

विद्यालय अवलोकन में टीएलएम के उपयोग को सुनिश्चित करावें तथा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की मासिक बैठक में टीएलएम के उपयोग के बारे में समीक्षा की जावे तथा डीपीसी, एसएसए को अनुपालना रिपोर्ट मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करें।

प्राप्त टीएलएम सामग्री को शिक्षकों द्वारा टीएलएम पंजिका में निम्न प्रपत्र में संधारित किया जायेः–

कच्ची सामग्री इंद्राज प्रपत्र

(रजिस्टर के बायें पृष्ठ पर बनायें)

क्र.सं.	दिनांक	प्राप्त सामग्री	संख्या	राशि	उपयोग विवरण

हस्ताक्षर अध्यापक

निर्मित सामग्री इन्द्राज प्रपत्र

(रजिस्टर के दायें पृष्ठ पर बनायें)

क्र.सं.	निर्मित सामग्री का विवरण	संख्या	उपयोग का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि बांये पृष्ठ पर प्राप्त कच्ची सामग्री से उक्तानुसार दर्शायी शिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया है।

हस्ताक्षर अध्यापक

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 के अनुसार शिक्षक अनुदान (Teacher Grant) सम्बन्धित को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्चयक यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि के साथ–साथ दिशा–निर्देश सम्बन्धित कार्यालयों/विद्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं, साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित समयानुसार प्रतिवेदन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करावें। समयबद्ध कार्ययोजना निम्नानुसार है–

क्र.सं.	अनुदान	जारी करने का माह	परिषद् को रिपोर्ट करने का माह
1	शिक्षक अनुदान (Teacher Grant)	जून/जुलाई	अगस्त से प्रति माह

विशेष :–

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेण्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

उपयोगिता प्रमाण पत्र (विद्यालय स्तर)

सत्र 2017–18 हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति ....(नाम विद्यालय) को दिनांक .... को प्राप्त टीएलएम राशि से निर्मित/क्रय शिक्षण अधिगम सामग्री को रजिस्टर के पृष्ठ संख्या .... पर दर्ज कर लिया गया है। सामग्री का कक्षा.................. विषय.................. के शिक्षण में उपयोग किया जा रहा है

क्र. स.	माह का नाम	नाम सामग्री	मात्रा	दर	राशि	विषय–वस्तु जिससे सम्बन्धित है	कच्चे माल से तैयार मॉडल का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज पृ. सं./दि.	अध्यापक जिसको इश्यू की गई

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... के अनुरूप क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया।

हस्ताक्षर
सचिव

हस्ताक्षर
अध्यक्ष (एसएमसी)

हस्ताक्षर
अध्यापक

कार्यालय ब्लॉक .... जिला ....

शिक्षक अनुदान / टी.एल.एम.

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में ब्लॉक .... जिला .... के विद्यालयों को प्राप्त शिक्षक अनुदान की राशि का उपयोग संबंधित एसएमसी द्वारा शिक्षक अनुदान हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्रति माह प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	एसएमसी को प्राप्त राशि	एसएमसी द्वारा व्यय राशि	शेष राशि	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर
संदर्भ व्यक्ति
....

हस्ताक्षर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
....

जिला स्तर

शिक्षक अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में जिला .... को शिक्षक अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी
....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
....

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है:–

Teacher Grant Budget 2017-18

(Rs. In lakh)

S.No.	District Name	PS				UPS		Total	
		Class 1 to 2		Class 3 to 5		Class 6 to 8			
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Ajmer	1144	5.72	1717	8.59	5335	26.68	**8196**	**40.98**
2	Alwar	1929	9.65	2894	14.47	7742	38.71	**12565**	**62.83**
3	Banswara	2025	10.13	3039	15.20	4006	20.03	**9070**	**45.35**
4	Baran	1145	5.73	1719	8.60	2726	13.63	**5590**	**27.95**
5	Barmer	2493	12.47	3740	18.70	6183	30.92	**12416**	**62.08**
6	Bhartpur	1049	5.25	1575	7.88	4534	22.67	**7158**	**35.79**
7	Bhilwara	1783	8.92	2675	13.38	5872	29.36	**10330**	**51.65**
8	Bikaner	1250	6.25	1877	9.39	3853	19.27	**6980**	**34.90**
9	Bundi	789	3.95	1185	5.93	2500	12.50	**4474**	**22.37**
10	Chittoregarh	1086	5.43	1629	8.15	3779	18.90	**6494**	**32.47**
11	Churu	767	3.84	1152	5.76	4180	20.90	**6099**	**30.50**
12	Dausa	754	3.77	1132	5.66	2596	12.98	**4482**	**22.41**
13	Dholpur	1487	7.44	2232	11.16	2986	14.93	**6705**	**33.53**
14	Dungarpur	1029	5.15	1544	7.72	3381	16.91	**5954**	**29.77**
15	Ganganagar	1107	5.54	1662	8.31	3713	18.57	**6482**	**32.41**
16	Hanumangarh	555	2.78	834	4.17	2904	14.52	**4293**	**21.47**
17	Jaipur	2936	14.68	4406	22.03	9426	47.13	**16768**	**83.84**
18	Jaisalmer	698	3.49	1048	5.24	1658	8.29	**3404**	**17.02**
19	Jalor	1037	5.19	1556	7.78	3576	17.88	**6169**	**30.85**
20	Jhalawar	1112	5.56	1668	8.34	3630	18.15	**6410**	**32.05**
21	Jhunjhunu	998	4.99	1498	7.49	4449	22.25	**6945**	**34.73**
22	Jhodhpur	2401	12.01	3602	18.01	5833	29.17	**11836**	**59.18**
23	Karauli	1033	5.17	1550	7.75	2934	14.67	**5517**	**27.59**
24	Kota	915	4.58	1374	6.87	3108	15.54	**5397**	**26.99**
25	Nagaur	2225	11.13	3338	16.69	7405	37.03	**12968**	**64.84**
26	Pali	1213	6.07	1821	9.11	5032	25.16	**8066**	**40.33**
27	Pratapgarh	797	3.99	1196	5.98	1801	9.01	**3794**	**18.97**
28	Rajsamand	1027	5.14	1541	7.71	3417	17.09	**5985**	**29.93**
29	Sawai Madhopur	874	4.37	1313	6.57	2717	13.59	**4904**	**24.52**
30	Sikar	1367	6.84	2052	10.26	5773	28.87	**9192**	**45.96**
31	Sirohi	574	2.87	861	4.31	2253	11.27	**3688**	**18.44**
32	Tonk	1191	5.96	1787	8.94	3221	16.11	**6199**	**31.00**
33	Udaipur	2522	12.61	3784	18.92	5991	29.96	12297	**61.49**
	Total	**43312**	**216.56**	**65001**	**325.01**	**138514**	**692.57**	**246827**	**1234.14**

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त
दिनांक: 3/7/17

क्रमांकः– राप्राशिप / जय / औ.शि. / दिशा–निर्देश / TLM / 2017–18 / 3458

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु अतिनिदेशकों/जि.शि.अ./ बीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. नियन्त्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह 6 तारीख तक राप्राशिप, जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।
6. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन नोगिया)
उपायुक्त

E:\Sh. Suresh Ku. Sir DD AS\M.S.Office\PFT\Grants 2017-18\Teacher Grant\Teacher Grant.doc

प्रपत्र–3

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं छः माही मांग पत्र

ब्लॉक : .... जिला : .... माह : .... कुल कार्य दिवस ....

क.सं.	पात्र छात्र/ छात्राओं की संख्या		कुल अग्रिम प्राप्त राशि (रुपये में)	राशि जिसका भुगतान किया गया	उपलब्ध शेष राशि (रुपये में)	कुल मांग राशि (रुपये में)	शुद्ध वास्तविक आगामी मांग राशि (रुपये में)
	प्राथमिक कक्षा स्तर	उच्च प्राथमिक कक्षा स्तर					
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

(हस्ताक्षर)
PEEO /ADPC

कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान जिला............

प्रपत्र–अ

वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत एबीएल कक्ष हेतु चयनित विद्यालयों की सूचना प्रपत्र

ब्लॉक का नाम	राज्य स्तर से वर्ष 2017–18 में एबीएल कक्ष हेतु चयनित विद्यालयों की संख्या			परिषद से प्राप्त राशि	विद्यालयों की संख्या जिनको राशि स्थानान्तरित की गई			सर्वयोग	राशि जो विद्यालयों वितरण से शेष रही है कारण सहित	विद्यालयों की संख्या जिनमें एबीएल कक्ष विकसित हो चुका है			सर्वयोग
	उत्कृष्ट	आदर्श	लैब/अन्य		उत्कृष्ट	आदर्श	लैब/अन्य			उत्कृष्ट	आदर्श	लैब/अन्य	

प्रपत्र–ब

संस्था प्रधान हेतु कार्यशाला आयोजन विवरण प्रपत्र

ब्लॉक का नाम	जिला/ ब्लॉक स्तर पर एबीएल कक्ष विकास हेतु आयोजित कार्यशाला				कार्यशाला के आयोजन में व्यय राशि		Wall Painting coloured प्रपत्र Printing में व्यय राशि	कार्यशाला आयोजन विवरण	
	आयोजन दिनांक	उपस्थित संस्था प्रधान			व्यय राशि	मद		कार्यालय आदेश संख्या	दिनांक
		उत्कृष्ठ	आदर्श	लैब/अन्य					

हस्ताक्षर
जिला परि0 समन्वयक
जिला ....

हस्ताक्षर
अति0जिला परि0 समन्वयक, एसएसए
जिला ....

हस्ताक्षर
अति0जिला परि0 समन्वयक, रमसा
जिला ....

कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय ....जिला, डूंगरपुर

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–1 (प्रति विद्यालय) विद्यालय कोड ....

क्र. स.	सत्र	ब्लॉक	जिला	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	मद जिन पर व्यय किया गया	नियमानुसार व्यय हों/नही	शेष/अवशेष राशि	शेष रहने का कारण	वि० वि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2017–18									
योग :–										

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी
मय सील

कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय ....जिला, डूंगरपुर

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–2 (विद्यालय स्तर पर रिकार्ड संधारण)सत्र :–2015–16

क्र. स.	विद्यालय का नाम	विद्यालय का कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम/पता/मोबाईल नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी
मय सील

कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय ....जिला, डूंगरपुर

क्रमांक :– दिनांक :–

उपयोगिता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान मद मे .... (विद्यालय का नाम) को प्राप्त राशि .... में से ....राशि नियमानुसार व्यय की गई है, उक्त मे किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

प्रमाणितकर्ता (संस्थाप्रधान)
मय मोहर

समिति में समाधान हेतु कन्वीनेन्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि CRC / PEEO / नोडल ....(CRC / PEEO / नोडल का नाम) को सत्र....... में प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग निम्नानुसार कर लिया है।

क. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि		खर्च की गई राशि		शेष राशि	
		कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.

हस्ताक्षर
नोडल प्रभारी / PEEO/ CRC

प्रधानाध्यापक का दायित्व:

प्रधानाध्यापक अपने दैनिक कक्षा अवलोकन मे शिक्षक द्वारा शिक्षण मे उपयोग की गई टीएलएम का अंकन करे तथा यह सुनिश्चित करे कि शिक्षक द्वारा टीएलएम का उपयोग विषयवस्तु के अनुसार अध्यापक दैनन्दिनी की पाठ योजना मे दर्शाया गया है।

बीईईओ का दायित्व:

विद्यालय अवलोकन मे टीएलएम के उपयोग को सुनिश्चित करावें तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की मासिक बैठक मे टीएलएम के उपयोग के बारे में समीक्षा की जावे तथा डीपीसी, एसएसए को अनुपालना रिपोर्ट मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करें।

प्राप्त टीएलएम सामग्री को शिक्षकों द्वारा टीएलएम पंजिका में निम्न प्रपत्र में संधारित किया जाये।

कच्ची सामग्री इंद्राज प्रपत्र

रजिस्टर के बायें पृष्ठ पर बनायें

क्र.स.	दिनाक	प्राप्त सामग्री	संख्या	राशि	उपयोग विवरण

हस्ताक्षर अध्यापक

निर्मित सामग्री इन्द्राज प्रपत्र

रजिस्टर के दायें पृष्ठ पर बनायें

क्र.स.	निर्मित सामग्री का विवरण	संख्या	उपयोग का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि बायें पृष्ठ पर प्राप्त कच्ची सामग्री से उक्तानुसार दर्शायी शिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया है।

हस्ताक्षर अध्यापक

उपयोगिता प्रमाण पत्र

सत्र 2016–17 हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति ....(नाम विद्यालय) से दिनांक .... को प्राप्त टीएलएम राशि से निर्मित/क्रय शिक्षण अधिगम सामग्री को रजिस्टर के पृष्ठ संख्या .... पर दर्ज कर लिया गया है। सामग्री का कक्षा.............. विषय.................के शिक्षण में उपयोग किया जा रहा है।

क्र. सं.	नाम सामग्री	मात्रा	दर	राशि	विषय–वस्तु जिससे सम्बन्धित है	कच्चे माल से तैयार मॉडल का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज पृ. सं./दि.	अध्यापक जिसको इश्यु की गई

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री हेतु शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... के अनुरूप सामग्री क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया।

हस्ताक्षर सचिव	हस्ताक्षर अध्यक्ष (एसएमसी)	हस्ताक्षर अध्यापक

Scanned by CamScanner

78% 7:53 PM
SFG gr...line-1

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

विद्यालय का नाम .... यू. डाईस कोड.......................................

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट) प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2016–17 में प्राप्त विद्यालय सुविधा अनुदान राशि रू. .... का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति में पारित प्रस्ताव संख्या ....दिनांक......................के अनुसार कर लिया गया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रुपये...............का चैक संख्या.............................. बैंक...................................... शाखा...............................दिनांक द्वारा .... वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र.सं.	बिल संख्या व दिनांक	नाम सामग्री	फर्म का नाम	मात्रा/ संख्या	दर	राशि (रुपये)	भण्डार पंजिका में इन्द्राज पृ.सं. /दि.

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री हेतु शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक.... .... के अनुरूप सामग्री क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

नोटः– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Scanned by CamScanner

कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान जिला............

प्रपत्र–अ

वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत एबीएल कक्ष हेतु चयनित विद्यालयों की सूचना प्रपत्र

ब्लॉक का नाम	राज्य स्तर से वर्ष 2017–18 में एबीएल कक्ष हेतु चयनित विद्यालयों की संख्या			परिषद से प्राप्त राशि	विद्यालयों की संख्या जिनको राशि स्थानान्तरित की गई			सर्वयोग	राशि जो विद्यालयों वितरण से शेष रही है कारण सहित	विद्यालयों की संख्या जिनमें एबीएल कक्ष विकसित हो चुका है			सर्वयोग
	उत्कृष्ट	आदर्श	लैब/अन्य		उत्कृष्ट	आदर्श	लैब/अन्य			उत्कृष्ट	आदर्श	लैब/अन्य	

प्रपत्र–ब

संस्था प्रधान हेतु कार्यशाला आयोजन विवरण प्रपत्र

ब्लॉक का नाम	जिला/ ब्लॉक स्तर पर एबीएल कक्ष विकास हेतु आयोजित कार्यशाला				कार्यशाला के आयोजन में व्यय राशि		Wall Painting coloured प्रपत्र Printing में व्यय राशि	कार्यशाला आयोजन विवरण	
	आयोजन दिनांक	उपस्थित संस्था प्रधान							
		उत्कृष्ठ	आदर्श	लैब/अन्य	व्यय राशि	मद		कार्यालय आदेश संख्या	दिनांक

हस्ताक्षर
जिला परि० समन्वयक
जिला ....

हस्ताक्षर
अति०जिला परि० समन्वयक, एसएसए
जिला ....

हस्ताक्षर
अति०जिला परि० समन्वयक, रमसा
जिला ....

प्रपत्र–3

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं छः माही मांग पत्र

ब्लॉक : .... जिला : .... माह : .... कुल कार्य दिवस ....

क.स.	पात्र छात्र/ छात्राओं की संख्या		कुल अग्रिम प्राप्त राशि (रुपये में)	राशि जिसका भुगतान किया गया	उपलब्ध शेष राशि (रुपये में)	कुल मांग राशि (रुपये में)	शुद्ध वास्तविक आगामी मांग राशि (रुपये में)
	प्राथमिक कक्षा स्तर	उच्च प्राथमिक कक्षा स्तर					
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

(हस्ताक्षर)
PEEO /ADPC

कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय ....जिला, डूंगरपुर

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–1 (प्रति विद्यालय) विद्यालय कोड ....

क्र. स.	सत्र	ब्लॉक	जिला	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	मद जिन पर व्यय किया गया	नियमानुसार व्यय हों/नही	शेष/अवशेष राशि	शेष रहने का कारण	वि० वि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2017–18									
योग :–										

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी
मय सील

कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय ....जिला, डूंगरपुर

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–2 (विद्यालय स्तर पर रिकार्ड संधारण)सत्र :–2015–16

क्र. स.	विद्यालय का नाम	विद्यालय का कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम/पता/मोबाईल नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी
मय सील

कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय ....जिला, डूंगरपुर

क्रमांक :– दिनांक :–

उपयोगिता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान मद मे ....

(विद्यालय का नाम) को प्राप्त राशि .... में से ....राशि नियमानुसार व्यय की गई है, उक्त मे किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

प्रमाणितकर्ता (संस्थाप्रधान)
मय मोहर

SFG gr...line-1

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

विद्यालय का नाम .... यू. डाईस कोड.................................

विद्यालय सुविधा अनुदान (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट) प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2016–17 में प्राप्त विद्यालय सुविधा अनुदान राशि रू. .... का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति में पारित प्रस्ताव संख्या ....दिनांक......................के अनुसार कर लिया गया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रुपये...............का चैक संख्या.......................... बैक............................ शाखा..............................दिनांक द्वारा .... वापस भिजवाया जा रहा है।

क्र.सं.	बिल संख्या व दिनांक	नाम सामग्री	फर्म का नाम	मात्रा/ संख्या	दर	राशि (रुपये)	भण्डार पंजिका में इन्द्राज पृ.सं. /दि.

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री हेतु शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक..... .... के अनुरूप सामग्री क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति
....

नोटः– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Scanned by CamScanner

सम्बन्धित में समाधान हेतु कन्टीन्जेन्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि CRC / PEEO / नोडल ....(CRC / PEEO / नोडल का नाम) को सत्र....... में प्राप्त राशि रू. .... का उपयोग निम्नानुसार कर लिया है।

क्र. सं.	माह का नाम	आवंटित राशि		खर्च की गई राशि		शेष राशि	
		कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	कन्टीन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.

हस्ताक्षर
नोडल प्रभारी / PEEO/ CRC

C:\Users\SSA\Downloads\CRC Grant.doc

प्रधानाध्यापक का दायित्व:

प्रधानाध्यापक अपने दैनिक कक्षा अवलोकन में शिक्षक द्वारा शिक्षण में उपयोग की गई टीएलएम का अंकन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि शिक्षक द्वारा टीएलएम का उपयोग विषयवस्तु के अनुसार अध्यापक दैनन्दिनी की पाठ योजना में दर्शाया गया है।

बीईईओ का दायित्व:

विद्यालय अवलोकन में टीएलएम के उपयोग को सुनिश्चित करावें तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की मासिक बैठक में टीएलएम के उपयोग के बारे में समीक्षा की जावे तथा डीपीसी, एसएसए को अनुपालना रिपोर्ट मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करें।

प्राप्त टीएलएम सामग्री को शिक्षकों द्वारा टीएलएम पंजिका में निम्न प्रपत्र में संधारित किया जाये।

कच्ची सामग्री इंद्राज प्रपत्र

रजिस्टर के बायें पृष्ठ पर बनायें

क्र.स.	दिनांक	प्राप्त सामग्री	संख्या	राशि	उपयोग विवरण

हस्ताक्षर अध्यापक

निर्मित सामग्री इन्द्राज प्रपत्र

रजिस्टर के दायें पृष्ठ पर बनायें

क्र.स.	निर्मित सामग्री का विवरण	संख्या	उपयोग का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि बायें पृष्ठ पर प्राप्त कच्ची सामग्री से उक्तानुसार दर्शायी शिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया है।

हस्ताक्षर अध्यापक

उपयोगिता प्रमाण पत्र

सत्र 2016–17 हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति ....(नाम विद्यालय) से दिनांक .... का प्राप्त टीएलएम राशि से निर्मित/क्रय शिक्षण अधिगम सामग्री को रजिस्टर के पृष्ठ संख्या .... पर दर्ज कर लिया गया है। सामग्री का कक्षा.............. विषय.................के शिक्षण में उपयोग किया जा रहा है।

क्र.स.	नाम सामग्री	मात्रा	दर	राशि	विषय–वस्तु जिससे सम्बन्धित है	कच्चे माल से तैयार मॉडल का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज पृ.सं./दि.	अध्यापक जिसको इश्यु की गई

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री हेतु शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... के अनुरूप सामग्री क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया।

हस्ताक्षर सचिव	हस्ताक्षर अध्यक्ष (एसएमसी)	हस्ताक्षर अध्यापक

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रधानाध्यापक..

उपयोगिता प्रमाण पत्र

1. PEEO केन्द्र का नाम :-..............................
2. प्रधानाध्यापक का नाम व मो0 :-..............................
3. बैंक का नाम व शाखा :-..............................
4. खाता संख्या :-..............................

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त राशि.............................. का उपयोग उस उद्देश्य के लिए कर लिया गया है जिसके लिए आंवटित की गई थी। उपयोग राशि का इन्द्राज कैश बुक/भंडार पंजिका में कर मूल अभिलेख विद्यालय में रख लिया गया है।
वर्ष 2017–18

क्र0स0	मद का नाम	प्राप्त राशि	उपयोग राशि	अन्तिम शेष
1.	एसएफजी			
2.	एसएमजी (मरम्मत एवं रखरखाव)			
3.	ट्रांसपोर्ट राशि			
4.	एस्कोर्ट राशि			
5.	नोडल कन्टीजेन्सी			
6.	नोडल टी ए			
7.	TLM (500/- प्रति अध्यापक)			
8.	स्वच्छता अनुदान राशि (5000रू)			
9.	आपणी लाडो (144/-)			
10.	बाल समारोह (203 रू/365 रू)			
11.	समुदायिक जागृति दिवस (843.20रू)			
12.	बालिका शिक्षा जागृति/poster(100रू)			
13.	सीसीई /कलाकिट (20रू.प्रति छात्र)			
14.	A.B.L.(13300/-)			
15.	R.A.A.(8000/-)			
16.	मीना मंच गठन की राशि(500/-)			
17.	समुदायिक शिक्षा समारोह (1000/-)			
18.	ब्याज राशि			
19.	अन्य			
	योग			

पास बुक में शेष राशि..............................

नोट :– यदि किसी विद्यालय में वर्ष **2015-16** व **2016-17** में किसी मद में राशि है तो उक्त प्रारूप में जमा करवाये।

प्रधानाध्यापक

कार्यालय प्रधानाध्यापक..

उपयोगिता प्रमाण पत्र

1. PEEO केन्द्र का नाम :- ....
2. प्रधानाध्यापक का नाम व मो0 :- ....
3. बैंक का नाम व शाखा :- ....
4. खाता संख्या :- ....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त राशि.......................... का उपयोग उस उद्देश्य के लिए कर लिया गया है जिसके लिए आंवटित की गई थी। उपयोग राशि का इन्द्राज कैश बुक/भंडार पंजिका में कर मूल अभिलेख विद्यालय में रख लिया गया है। वर्ष 2017–18

क्र0स0	मद का नाम	प्राप्त राशि	उपयोग राशि	अन्तिम शेष
1.	एसएफजी			
2.	एसएमजी (मरम्मत एवं रखरखाव)			
3.	ट्रांसपोर्ट राशि			
4.	एस्कोर्ट राशि			
5.	नोडल कन्टीजेन्सी			
6.	नोडल टी ए			
7.	TLM (500/- प्रति अध्यापक)			
8.	स्वच्छता अनुदान राशि (5000रू)			
9.	आपणी लाडो (144/-)			
10.	बाल समारोह (203 रू/365 रू)			
11.	समुदायिक जागृति दिवस (843.20रू)			
12.	बालिका शिक्षा जागृति/poster(100रू)			
13.	सीसीई /कलाकिट (20रू.प्रति छात्र)			
14.	A.B.L.(13300/-)			
15.	R.A.A.(8000/-)			
16.	मीना मंच गठन की राशि(500/-)			
17.	समुदायिक शिक्षा समारोह (1000/-)			
18.	ब्याज राशि			
19.	अन्य			
	योग			

पास बुक में शेष राशि..................................

नोट :– यदि किसी विद्यालय में वर्ष **2015-16** व **2016-17** में किसी मद में राशि है तो उक्त प्रारूप में जमा करवाये।

प्रधानाध्यापक